सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों

पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या - 2

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या–2

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	v
विहंगावलोकन	-	vii-xi
पहला अध्याय		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप	1	1
प्रस्तावना	1.1	1-2
जवाबदेयता संरचना	1.2 - 1.4	2-3
छत्तीसगढ़ शासन का अंश	1.5	3
राज्य के पीएसयूज में निवेश	1.6 - 1.7	3-5
वर्ष के दौरान विशेष सहायता एवं प्रत्याय	1.8	5-6
वित्त लेखों से समाधान	1.9	7
लेखों के अंतिमीकरण में बकाया	1.10 - 1.11	7-8
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति	1.12	8-9
लेखों का अंतिमीकरण न करने पर प्रभाव	1.13	9
अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार पीएसयूज के निष्पादन	1.14 - 1.17	9-11
लेखों पर टिप्पणियाँ	1.18 - 1.19	11-12
लेखापरीक्षा के प्रति शासन की प्रतिक्रिया	1.20	12
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन	1.21 - 1.23	13-14
इस प्रतिवेदन का क्षेत्र	1.24	14
दूसरा अध्याय		
सरकारी कम्पनी की निष्पादन लेखापरीक्षा	2	--
छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के क्रियाकलाप	--	15
कार्यकारी सारांश	--	15-16
प्रस्तावना	2.1	16-17
संगठन संरचना	2.2	17
लेखापरीक्षा के उद्देश्य	2.3	17
लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि	2.4	17-18
लेखापरीक्षा मानदण्ड	2.5	18
लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	--	18
वित्तीय प्रबंधन	2.6.1 - 2.6.3	18-21
औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं संधारण	2.7.1 - 2.7.9	21-27
भूमि का आबंटन	2.8.1 - 2.8.8	27-34
दर अनुबंधों का अंतिमीकरण	2.9.1 - 2.9.3	34-35
आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी	2.10.1 - 2.10.3	36-37
निष्कर्ष एवं अनुशंसायें	--	37-38

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
तीसरा अध्याय		
लेन–देन से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	3	
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड		
ताप विद्युत गृहों में ठेके प्रदान करने में अनियमितताओं पर वृहद् कंडिका	3.1	39-43
दाण्डिक ब्याज का परिहार्य भुगतान	3.2	43-45
निष्क्रिय उपकरण के निपटान में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय	3.3	45
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड		
कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति एवं अधिक वेतन का भुगतान	3.4	46-47
छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड		
ब्याज की हानि	3.5	48
छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड		
दाण्डिक ब्याज का परिहार्य भुगतान	3.6	49-50
कृषि उपज का बीमा नही होने से हानि	3.7	50-51
छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड		
स्वयं के मार्जिन से मूल्य संवर्द्धित कर का भुगतान करने के कारण हानि	3.8	51-52
छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड		
शास्ति की अल्प वसूली	3.9	53-54
जोखिम क्रय की लागत की वसूली न होना	3.10	54-55
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड		
फ्रेंचाइजियों को अनुचित वित्तीय लाभ	3.11	55-57
राजस्व की वसूली में विलम्ब	3.12	57-58
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड		
संचालन एवं संधारण प्रभार की गैर वसूली	3.13	58-59

अनुलग्नक

क्र.सं.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	राज्य सरकार द्वारा पीएसयू में किया गया निवेश दिखाने वाला विवरण जिनके लेखे बकाया है	1.11	61
1.2	अद्यतन अंतिमीकृत वित्तीय विवरण/लेखों के आधार पर सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगम के संक्षिप्त वित्तीय स्थिति/कार्यकारी परिणाम	1.14	62-64
2.1	कम्पनी के औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण	2.1	65
2.2	संगठनात्मक चार्ट	2.2	66

क्र. सं.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.3	कम्पनी की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम (प्राविधिक एवं गैर–अंकेक्षित)	2.6	67
2.4	सावधि जमाओं में एक ही दिन में अलग-अलग दरों में निवेश के कारण हुई हानि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.6.2	68-71
2.5	औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की स्थिति	2.7.3	72
2.6	बिना निविदाएं आमंत्रित किए आदेशित कार्यों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.7.4	73-74
2.7	मेटल पार्क, रायपुर में पक्की नाली के निर्माण के लिए कार्यादेशित विवरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.7.5	75
2.8	मेटल पार्क, रायपुर में सीमेंट से निर्मित पक्की नाली के निर्माण के लिए दिये गये संशोधित कार्यादेश को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.7.5	76
2.9	औद्योगिक क्षेत्र बोरई में पानी की आपूर्ति का अमितव्ययतापूर्ण संचालन के कारण हुए नुकसान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.7.9	77
2.10	भू–प्रीमियम और भू–भाटक के कम आंकलन को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.8.1	78
2.11	जिला जांजगीर चांपा में सोना पावर प्राइवेट लिमिटेड को अगस्त 2010 में आबंटित भूमि के संबंध में भू–प्रीमियम और भू–भाटक के कम आंकलन को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.8.1	79
2.12	ग्राम रामबोड़, जिला बिलासपुर में मेसर्स राधा माधव इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को जुलाई 2010 में आबंटित भूमि के संबंध में भू–प्रीमियम और भू–भाटक का कम आंकलन को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.8.2. (अ)	80
2.13	रिंग रोड़–3, रायपुर में ग्राम गिरोद पर मेसर्स एल एल लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को अक्टूबर 2011 में आबंटित भूमि के संबंध में भू–प्रीमियम और भू–भाटक के कम आंकलन को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.8.2. (अ)	81
2.14	ग्राम अटारी, रायपुर में मेसर्स तिरूपति चावल उद्योग को आबंटित भूमि के संबंध में भू–प्रीमियम और भू–भाटक के कम आंकलन को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.8.2. (ब)	82
2.15	राजस्थान पत्रिका और आईआरसीटीसी को आबंटित भूमि के संबंध में भू–प्रीमियम और भू–भाटक के कम आंकलन के कारण हुए नुकसान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.8.5	83
2.16	औद्योगिक हब भाटापारा में लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और औद्योगिक क्षेत्र, तिल्दा में जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड को आबंटित भूमि के संबंध में भू–प्रीमियम और भू–भाटक का कम आंकलन के कारण हुए नुकसान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.8.6	84

क्र. सं.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.17	सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र, बिलासपुर में वाहन सेवा केन्द्र के लिए आबंटित भूमि के भू–प्रीमियम और भू–भाटक का कम आंकलन से हुई हानि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.8.6	85
2.18 (अ)	31 मार्च 2015 को उपयोग प्रभार की बकाया राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.8.7	86
2.18 (ब)	बकाया उपयोग प्रभार का वर्षवार विश्लेषण (औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया)	2.8.7	86
2.19	उपयोग प्रभार की वसूली के संबध में लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना जांच के प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.8.7	87-90
2.20	आबंटितियों द्वारा रियायत की शर्त के पालन करने में विफल प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.8.8	91
3.1	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के संविदा कर्मचारियों को फरवरी 2015 तक भुगतान किए गए अधिक वेतन को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.4	92-97
3.2	बैंक खातों में ऑटो स्वीप की सुविधा न लेने के कारण ब्याज में हुई हानि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.5	98
3.3	कम्पनी द्वारा भुगतान की गयी वैट राशि को दिखाने वाला विवरण पत्रक	3.8	99
3.4	राजस्व आधारित प्रणाली के अधीन विद्यमान कार्य आदेशों को जारी रखने को दिखाने वाला विवरण पत्रक	3.11	100
3.5	रायगढ़ ओ एण्ड एम संभाग I और II में फ्रेंचाइजी को किये गये परिहार्य अतिरिक्त भुगतान को दिखाने वाला विवरण पत्रक	3.11	101-102

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ की कम्पनियों एवं सांविधिक निगम की 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है।

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित) की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम के अधीन सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक (चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट) के द्वारा सत्यापित लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा सीएजी के अधिकारियों द्वारा की जाती है तथा सीएजी अपनी टिप्पणी देता है या सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को पूरकता प्रदान करता है। इसके अलावा, इन कम्पनियों की नमूना लेखापरीक्षा भी सीएजी द्वारा की जाती है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा–शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (ए) के प्रावधानों के अधीन सरकारी कम्पनियों या निगमों के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सीएजी द्वारा शासन को दिए जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित है जो वर्ष 2014–15 के दौरान लेखापरीक्षा में ध्यान में आए तथा वे भी जो पहले के वर्षों में ध्यान में आए, परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में शामिल नहीं थे। 2014–15 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों को ध्यान में रखकर की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत अधिशासित होती है। 31 मार्च 2015 को छत्तीसगढ़ राज्य में 20 सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम[1] (सभी कार्यशील) थे। सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा भी की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम की लेखापरीक्षा भण्डारगृह निगम अधिनियम, 1962 के तहत शासित होती है। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में, 31 मार्च 2015 को 20239 कर्मचारी नियोजित थे। 30 सितम्बर 2015 तक अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ₹ 15510.96 करोड़ आवर्त दर्ज किया गया।

(कंडिका 1.1)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2015 को 21 पीएसयू (एक सांविधिक निगम सहित) में निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋण) ₹ 25947.51 करोड़ था जो कि 2010–11 के ₹ 9178.35 करोड़ से 182.70 प्रतिशत बढ़ा। कुल निवेश में 47.58 प्रतिशत पूँजी तथा 52.42 प्रतिशत दीर्घकालीन ऋण था। 2014–15 के दौरान शासन ने समता, ऋण तथा अनुदान/उपदान के प्रति ₹ 2824.39 करोड़ का अंशदान किया।

(कंडिका 1.6 एवं 1.8)

बकाया लेखे

सितम्बर 2015 तक 17 पीएसयू के 34 लेखे बकाया थे। पीएसयू को लेखों को तैयार करने से संबंधित कार्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के साथ–साथ बकाया लखों के निष्पादन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(कंडिका 1.10)

पीएसयू का निष्पादन

वर्ष 2014–15 के दौरान 21 पीएसयू में से 12 पीएसयू ने ₹ 111.55 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा छः पीएसयू ने ₹ 1344.19 करोड़ की हानि उठाई। एक पीएसयू ने न लाभ दर्ज किया न हानि उठाई। शेष दो पीएसयू ने अपने प्रथम लेखे अंतिमीकृत नहीं किये थे। उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को क्रमशः ₹ 683.96 करोड़ एवं ₹ 630.42 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 1.15)

[1] छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम

लेखों की गुणवत्ता

अक्टूबर 2014 से सितम्बर 2015 के दौरान कार्यशील पीएसयू के 24 अंतिमीकृत लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने चार लेखों को अमर्यादित प्रमाण–पत्र, 19 लेखों को मर्यादित प्रमाण–पत्र तथा एक लेखे को प्रतिकूल प्रमाण–पत्र दिया। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा ने लेखों की गुणवत्ता में सुधार की ओर इंगित किया।

(कंडिका 1.18 एवं 1.19)

इस प्रतिवेदन का क्षेत्र

इस प्रतिवेदन में 12 कंडिकाएँ, एक वृहद् कंडिका तथा एक निष्पादन लेखापरीक्षा ''छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के क्रियाकलाप'' पर है, जिसका वित्तीय प्रभाव ₹ 605.79 करोड़ है।

(कंडिका 1.24)

2. "छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के क्रियाकलाप" की निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) का मुख्य कार्य राज्य में उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर व बाहर औद्योगिक इकाईयों को भूमि का आबंटन तथा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं रख–रखाव करना हैं। कम्पनी शासकीय क्रय के लिए दर अनुबंध का अंतिमीकरण भी करता है। कम्पनी ने 31 मार्च 2015 तक 17 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये थे तथा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये चार परियोजनायें प्रगतिरत् थी। इसके अलावा, कम्पनी ने 2010–15 के दौरान पाँच परियोजनाओं को भी स्थापित करने का विचार किया, जिसमें अभी विकास गतिविधियां प्रारंभ होनी है।

निष्पादन लेखापरीक्षा कम्पनी के 2010–15 के दौरान के कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं जैसे कि औद्योगिक क्षेत्रों का विकास व रख–रखाव, भूमि का आबंटन, औद्योगिक इकाईयों से उपयोग प्रभारों की बिलिंग व उनकी वसूली, दर अनुबंधों का अंतिमीकरण, आधिक्य कोष का विनियोग एवं आंतरिक नियंत्रण व निगरानी के निष्पादन का आंकलन करने के लिए की गयी। निष्पादन लेखापरीक्षा की मुख्य आपत्तियाँ निम्नवत् है।

(कंडिका 2.1 और 2.4)

वित्तीय प्रबंधन

• कम्पनी ने अब तक 2010–11 से 2014–15 तक के लेखों का अंतिमीकरण नहीं किया हैं। कम्पनी के द्वारा वार्षिक लेखों के अंतिमीकरण में विलंब होने तथा अनुमानित आय के गलत निर्धारण के कारण अग्रिम कर जमा करने में त्रुटि होने के परिणामस्वरूप कम्पनी ने आयकर विभाग को ₹ 4.70 करोड़ का दाण्डिक ब्याज का भुगतान किया।

(कंडिका 2.6.1)

औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं संधारण

• कम्पनी ने राज्य औद्योगिक नीति के उद्देश्यों के अनुरूप राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान एवं विकास के लिए कोई भी योजना नहीं बनायी थी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने छत्तीसगढ़ शासन के अगस्त 2009 के निर्देशों के अनुसार राज्य में औद्योगिक विकास के लिए भूमि बैंक के निर्माण के लिए रोडमैप भी नहीं बनाया।

(कंडिका 2.7.1 और 2.7.2)

• 2010–15 के दौरान, कम्पनी ने चार औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की तथा 31 मार्च 2015 को चार औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना प्रगति पर थी। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी में विलम्ब, भूमि की अनुपलब्धता तथा अनुदान की शर्तों को पूर्ण न करने के कारण भारत सरकार से अनुदान की प्राप्ति न होने के कारणों से एक से पाँच वर्षों का विलम्ब हुआ।

(कंडिका 2.7.3)

• कम्पनी ने भूमि की वास्तविक विकास की लागत तथा संधारण प्रभार को ध्यान में रखे बिना भूमि के आबंटन के लिए असामान्य रूप से निम्न दर पर भू–प्रीमियम तथा संधारण प्रभार निर्धारित किया था जो कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों के अनुसार नहीं था। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 171.70 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 2.7.7 और 2.7.8)

भूमि का आबंटन

• 2010–15 के दौरान, कम्पनी ने औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर 3367 हेक्टेयर भूमि के लिए 71 आबंटन किये थे। भू–आबंटन के सात प्रकरणों में जिसकी माप 446.112 हेक्टेयर थी, भू–प्रीमियम का निर्धारण छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों के अनुसार लागू दर से निम्न दर पर किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 262.64 करोड़ की कम वसूली हुई थी।

(कंडिका 2.8.1 और 2.8.2)

• औद्योगिक क्षेत्र में सहायक/वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए भू–आबंटन के छः प्रकरणों में जिसकी माप 16.715 हेक्टेयर थी, कम्पनी ने भू–आबंटन नियम, 1974 तथा संचालक मंडल के निर्णय के अनुसार वाणिज्यिक दर पर भू–प्रीमियम वसूल नहीं किया, परिणामस्वरूप ₹ 52.49 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 2.8.6)

• 31 मार्च 2015 की स्थिति में, पाँच वर्ष की अवधि के लिए 1112 आबंटिती से उपयोग प्रभार की राशि ₹ 26.27 करोड़ बकाया थी। कम्पनी ने लीज डीड के प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता आबंटितियों से उपयोग प्रभार की बकाया वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

(कंडिका 2.8.7)

आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी

• कम्पनी के पास प्रबंध सूचना प्रणाली व आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग नहीं थे। बाह्य चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा की गयी आंतरिक लेखापरीक्षा व्यापक न होकर केवल लेखों के प्रारंभिक जाँच तक ही सीमित थी। कंपनी ने 2010–15 के दौरान सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन भी नहीं कराया।

(कंडिका 2.10)

3. लेन–देन से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेन–देन से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन में कमियों को उजागर करती है जिसमें गम्भीर वित्तीय परिणाम सम्मिलित है। इसमें एक वृहद् कंडिका भी सम्मिलित है। इंगित की गई अनियमितताएं मुख्यतः निम्नवत् प्रकृति की है:

नियमों, निर्देशों, प्रक्रियाओं एवं अनुबंध के नियम एवं शर्तों का अनुपालन न करने के कारण 10 प्रकरणों में ₹ 66.94 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11)

त्रुटिपूर्ण–दोषपूर्ण नियोजन के कारण एक प्रकरण में ₹ 5.98 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.5)

वृहद् कंडिका पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों का सारांश नीचे दिया गया है:

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुये कोरबा ताप विद्युत गृह में राखड़ बांध के निर्माण के लिए ₹ 1.96 करोड़ मूल्य का ठेका दिया।

(कंडिका 3.1.5)

कम्पनी ने सामान्य वित्तीय नियम का उल्लंघन करते हुये ₹ 1.11 करोड़ का ब्याज रहित अतिरिक्त मोबिलाईजेशन अग्रिम दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23.13 लाख के परिहार्य ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 3.1.6)

कम्पनी ठेकेदारों द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों को छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के अनुसार दिये जाने वाले विशेष भत्ते के भुगतान को सुनिश्चित करने में विफल हुई।

(कंडिका 3.1.8)

अन्य लेन–देन के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों का सारांश नीचे दिया गया है:

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड को जल का उपयोग प्रारम्भ करने की अवधि को बढ़ाने के लिए कमिटमेंट चार्जेस के भुगतान में विलम्ब के कारण ₹ 57.76 लाख की दाण्डिक ब्याज के रूप में हानि हुई।

(कंडिका 3.2)

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड ने बिना किसी अनुमोदित सेटअप के कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा आधार पर की एवं शासन के नियमों और निर्देशों का उल्लंघन करते हुये उच्चतर समेकित वेतन का भुगतान किया, जिससे ₹ 56.98 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 3.4)

बैंक खातों में ऑटो स्वीप सुविधा न लेने के कारण छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड को ₹ 5.98 करोड़ की ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 3.5)

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा कम अग्रिम कर जमा करने एवं समय पर आयकर विवरणियों को दाखिल नहीं करने के कारण ₹ 8.38 करोड़ के दाण्डिक ब्याज का परिहार्य भुगतान किया।

(कंडिका 3.6)

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा 'मध्यप्रदेश कृषि भण्डारगृह अधिनियम 1947' के प्रावधान के अनुसार अपने भण्डारगृहों में जमा कृषि उपज का बीमा करवाने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 85.62 लाख की हानि हुई।

(कंडिका 3.7)

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड ने भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के विक्रय पर मूल्य संवर्द्धित कर का भुगतान फुटकर विक्रेताओं से वसूलने के बजाए स्वयं के मार्जिन से किया, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 53.65 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 3.8)

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने आपूर्तिकर्ता से निम्न दर पर शास्ति की वसूली की, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 1.22 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 3.9)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड द्वारा विद्युत प्रभार की वसूली के लिए नया 'इनपुट आधारित फ्रेंचाइजी प्रणाली' के बजाय पुरानी 'राजस्व आधारित फ्रेंचाइजी प्रणाली' को ही चालू रखने के कारण फ्रेंचाइजियों को ₹ 67.40 लाख का अतिरिक्त कमीशन का भुगतान किया।

(कंडिका 3.11)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड द्वारा साख पत्र लेने में विफल एवं पूलिंग सब–स्टेशन से उपभोक्ता को विच्छेद करने में विलंब के परिणामस्वरूप पूलिंग सब स्टेशन के संचालन एवं संधारण प्रभार के रूप में ₹ 71.23 लाख की वसूली न होना।

(कंडिका 3.13)

पहला अध्याय

पहला अध्याय

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के अन्तर्गत राज्य की सरकारी कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगम आते हैं। राज्य के पीएसयूज की स्थापना जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए किया गया है। 31 मार्च 2015 को छत्तीसगढ़ में 21 पीएसयूज थे, जिनमें 20 कम्पनियाँ[1] तथा एक सांविधिक निगम[2] (सभी कार्यरत्) शामिल थे। इनमें से कोई भी कम्पनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2014–15 के दौरान एक पीएसयू छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लिमिटेड (सीआरडीसीएल) की स्थापना हुई तथा कोई भी पीएसयू/सांविधिक निगम बंद नहीं हुआ। 31 मार्च 2015 को राज्य के पीएसयू का विवरण *तालिका – 1.1* में दिया गया है :–

तालिका – 1.1: 31 मार्च 2015 को पीएसयू की कुल संख्या

पीएसयूज के प्रकार	कार्यरत् पीएसयूज	गैर–कार्यरत् पीएसयूज[3]	कुल
सरकारी कम्पनियाँ[4]	20	–	20
सांविधिक निगम	1	–	1
कुल	21	–	21

30 सितम्बर 2015 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार इन कार्यरत् पीएसयूज ने ₹ 15510.96 करोड़ का आवर्त दर्ज किया। वर्ष 2014–15 के लिए यह आवर्त राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 7.38 प्रतिशत के बराबर था। 30 सितम्बर 2015 को पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार कार्यरत् पीएसयू ने ₹ 1232.64 करोड़

[1] (i) छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (सीआरबीईकेव्हीएनएल), (ii) छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (सीआरव्हीव्हीएनएल), (iii) छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम (सीएनजेव्हीएव्हीएन), (iv) छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (सीआईडीसी), (v) छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी), (vi) छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (सीएमडीसी), (vii) सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड (सीआईसीएल), (viii) छत्तीसगढ़ सोंधिया कोल कम्पनी लिमिटेड (सीएससीसीएल), (ix) सीएसपीजीसीएल एईएल पारसा कोलरीज लिमिटेड (सीएपीसीएल), (x) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), (xi) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल), (xii) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीएचसीएल), (xiii) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीटीआरसीएल), (xiv) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल), (xv) छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (सीएसबीसीएल), (xvi) छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (सीएससीएससीएल), (xvii) छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज निगम लिमिटेड (सीएमएससीएल), (xviii) छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड (सीपीएचसीएल), (xix) रायपुर नगर निगम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड (आरएनएनटीएल), (xx) छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लिमिटेड (सीआरडीसीएल)

[2] छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम (सीएसडब्ल्यूसी)

[3] गैर–कार्यरत् सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वो है जिन्होनें अपनी गतिविधियाँ पूरी तरह बन्द कर दी है।

[4] सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सम्मिलित है, अन्य कम्पनियाँ जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) एवं 139 (7) में चिन्हित है।

की हानि वहन की। मार्च 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार इन पीएसयूज ने 20239 कर्मचारियों को नियोजित किया था।

राज्य के पीएसयूज में एक स्वायत्तशासी निकाय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) शामिल नही है जिसका भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) एकमात्र लेखापरीक्षक है।

जवाबदेयता संरचना

1.2 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 एवं 143 के अनुसार अधिशासित होती है। अधिनियम की धारा 2 (45) के अनुसार, "सरकारी कम्पनी" वह कम्पनी है जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी में केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार या सरकार, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकार और एक सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी को सम्मिलित करते हुये ऐसी कम्पनी का हिस्सा 51 प्रतिशत से कम न हो।

इसके अतिरिक्त, सीएजी यदि आवश्यक समझे तो ऐसी कम्पनियाँ जो अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (5) एवं (7) के अन्तर्गत आती हैं, को धारा 143 की उपधारा (7) के अनुसार या किसी आदेश के अनुसार इन कम्पनियों के लेखों की नमूना जाँच लेखापरीक्षा कर सकते है तथा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा–शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (ए) के प्रावधान भी ऐसी नमूना जाँच प्रतिवेदन पर लागू होंगें। इस प्रकार सरकारी कम्पनी या अन्य कोई कम्पनी जिसका स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार या अन्य राज्य सरकार या सरकार या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकार के पास हो, का लेखापरीक्षण सीएजी द्वारा किया जा सकता है। 31 मार्च 2014 को या उसके पूर्व के वित्तीय वर्षों के संबंध में कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार ही अधिशासित होगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.3 सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों (जैसा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा 139 (5) एवं (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा की जाती है, जो अधिनियम की धारा 143 (5) के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के वित्तीय विवरणों को सम्मिलित करते हुये अन्य के साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करेगा। इन वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(6) के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्राप्त होने के 60 दिनों के अन्दर सीएजी द्वारा संपादित की जाती हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (सीएसडब्ल्यूसी) जो कि एक सांविधिक निगम है, की लेखापरीक्षा भण्डारगृह निगम अधिनियम, 1962 के तहत शासित है। सीएसडब्ल्यूसी की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेंटो द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

सरकार एवं विधायिका की भूमिका

1.4 राज्य शासन इन पीएसयूज के मामलों पर नियंत्रण अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से रखती है। बोर्ड के लिए मुख्य कार्यकारी तथा निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधायिका पीएसयूज के लेखांकन तथा सरकारी निवेश की उपयोगिता की भी निगरानी करती है। इसके लिए, अधिनियम की धारा 394 या संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार की कम्पनियाँ, अपने वार्षिक प्रतिवेदन के साथ सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन एवं सीएजी की टिप्पणियों तथा सांविधिक निगम के संदर्भ में, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, विधायिका में प्रस्तुत की जाती है। सीएजी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा–शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (ए) के अधीन शासन को प्रस्तुत किया जाता है।

छत्तीसगढ़ शासन का अंश

1.5 इन पीएसयूज में राज्य शासन का बड़ा वित्तीय अंश है। यह अंश मुख्यतः तीन प्रकार के है:

- **अंश पूँजी एवं ऋण**– अंश पूँजी योगदान के अतिरिक्त, राज्य सरकार समय समय पर ऋण देकर पीएसयूज को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता–** राज्य सरकार पीएसयूज को आवश्यकता के अनुसार बजटीय सहायता, अनुदान एवं उपदान देती है।
- **प्रत्याभूति–** राज्य सरकार, वित्तीय संस्थानों द्वारा पीएसयूज को प्रदान किये गये ब्याज सहित ऋण की अदायगी के लिए प्रत्याभूति भी प्रदान करती है।

राज्य के पीएसयूज में निवेश

1.6 31 मार्च 2015 को, 21 पीएसयूज में निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 25947.51 करोड़ था, जिसका विवरण *तालिका – 1.2* में दिया गया है।

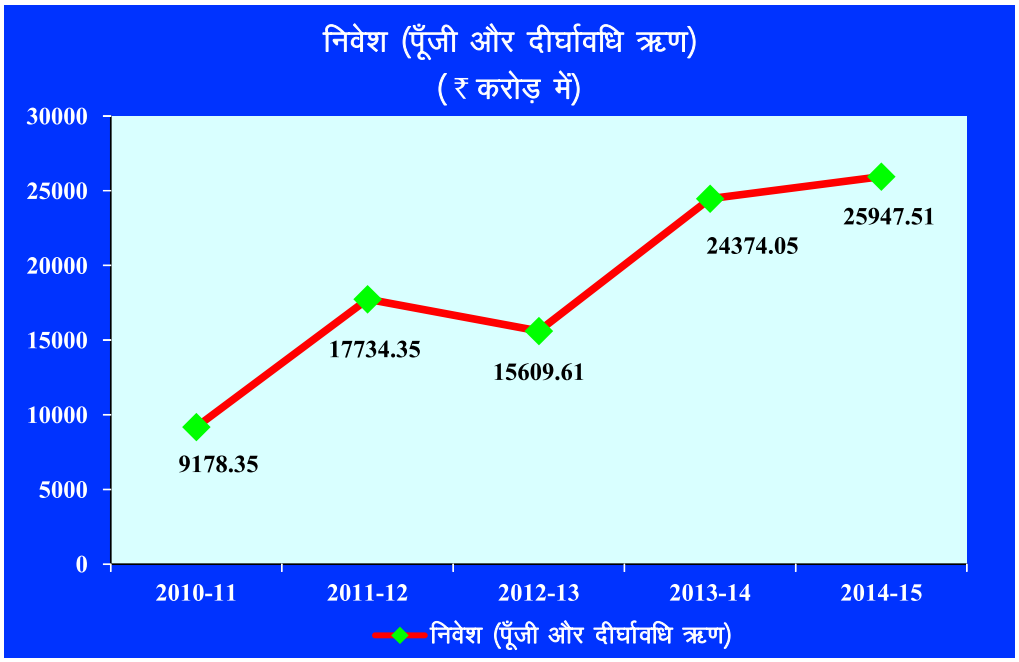
तालिका – 1.2: पीएसयूज में कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			कुलयोग
पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
12341.36	13519.78	25861.14	4.04	82.33	86.37	25947.51

31 मार्च 2015 को राज्य के पीएसयूज में कुल निवेश का, 47.58 प्रतिशत पूँजी में और 52.42 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों में था। पीएसयूज में निवेश वर्ष 2010–11 में ₹ 9178.35 करोड़ से 182.70 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 25947.51 करोड़ हो गया जैसा कि *रेखाचित्र–1.1* में दर्शाया गया है।

रेखाचित्र – 1.1



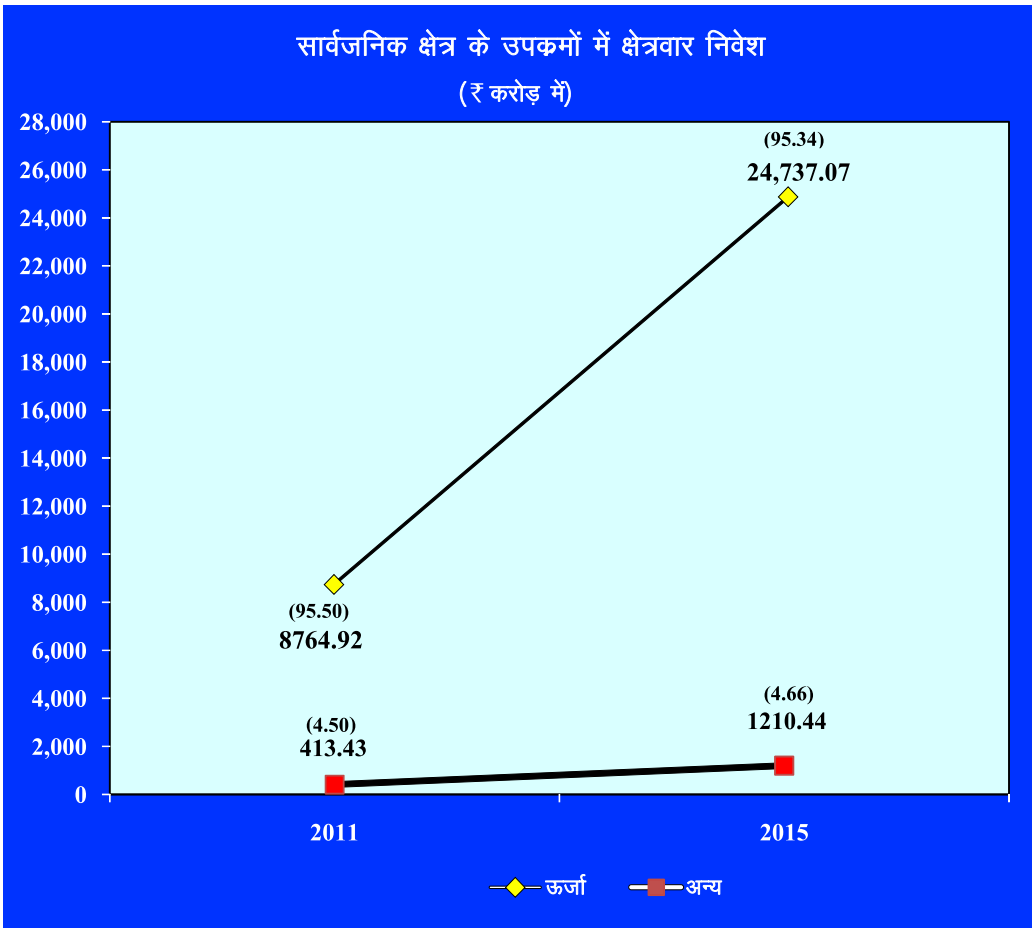
1.7 31 मार्च 2015 को राज्य के पीएसयूज में निवेश का क्षेत्रवार सारांश *तालिका – 1.3* में दिया गया है।

तालिका – 1.3: पीएसयूज में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	कुल	निवेश (₹ करोड़ में)
कृषि एवं संबंधित	2	–	2	27.15
वित्त	1	–	1	31.00
अधोसंरचना	3	–	3	33.66
खनन	4	–	4	106.76
विद्युत	5	–	5	24737.07
सेवाऐं	5	1	6	1011.87
कुल	**20**	**1**	**21**	**25947.51**

31 मार्च 2011 तथा 31 मार्च 2015 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनका प्रतिशत *रेखाचित्र – 1.2* में दर्शाया गया हैं। पीएसयूज में निवेश का जोर मुख्यतः ऊर्जा के क्षेत्र में था, यह 2010–11 में ₹ 8764.92 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 24737.07 करोड़ हो गया।

रेखाचित्र – 1.2



(कोष्ठक में दी गई संख्या कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाती है)

पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में निवेश वृद्धि की प्रवृति को दर्शाता है। इसमें 182.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई (2010–11 से 2014–15) जिसका मुख्य कारण ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के द्वारा पावर फाईनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड/रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड से अपनी नई परियोजनाओं/विकास/उन्नयन कार्यों के लिए सरकार द्वारा समता एवं ऋण में किया गया निवेश रहा।

वर्ष के दौरान विशेष सहायता एवं प्रत्याय

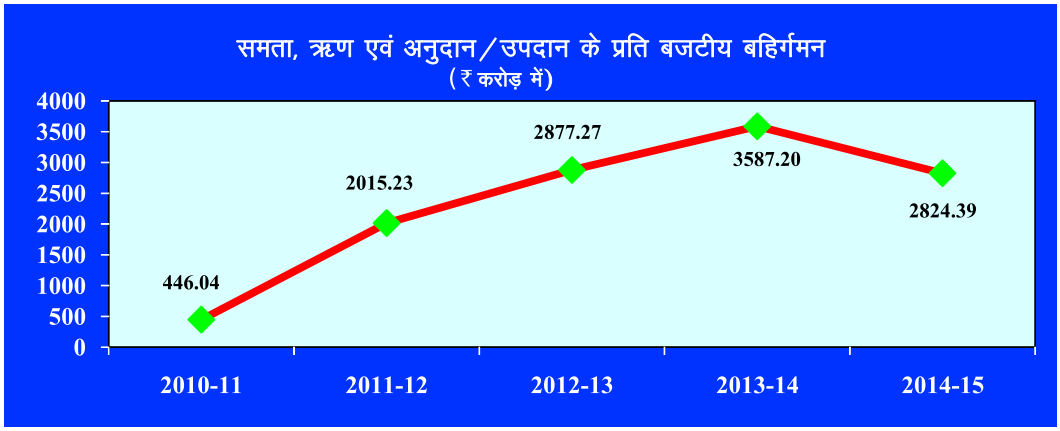
1.8 राज्य शासन वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूप में पीएसयूज को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। राज्य पीएसयूज में समता, ऋण, अनुदान/उपदान, ऋण का अपलेखन व ब्याज की माफी के प्रति बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण 2014–15 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिए *तालिका – 1.4* में दिया गया है।

तालिका – 1.4: पीएसयूज को दी गई बजटीय सहायता का विवरण

क्र. सं.	विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
		पीएसयूज की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	बजट से समता पूँजी बहिर्गमन	4	903.52	2	22.45	1	4.90
2.	बजट से दिये गए ऋण	3	651.66	3	556.78	1	16.87
3.	प्राप्त अनुदान/उपदान	6	1322.09	8	3007.97	9	2802.62
4.	**कुल बहिर्गमन (1+2+3)**	**10**	**2877.27**	**11**	**3587.20**	**11**	**2824.39**
5.	ऋण एवं ब्याज की माफी	–	–	–	–	–	–
6.	निर्गत प्रत्याभूति	1	500.00	1	500.00	2	526.00
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	3	736.08	3	867.70	3	744.73

विगत पाँच वर्षों के लिए समता, ऋण एवं अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन का विवरण *रेखाचित्र – 1.3* में दिया गया है।

रेखाचित्र – 1.3



समता, ऋण एवं अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन वर्ष 2010–11 में ₹ 446.04 करोड़ से अत्यधिक बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 3587.20 करोड़ हो गया, तत्पश्चात्, वर्ष 2014–15 में घटकर ₹ 2824.39 करोड़ हो गया। वर्ष 2014–15 के दौरान बजटीय बहिर्गमन ₹ 2824.39 करोड़ में समिलित है, ₹ 2465.81 करोड़ की सहायता जो कि दो पीएसयू को दी गई है यथा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को क्रमशः ₹ 1800.00 करोड़ एवं ₹ 665.81 करोड़ अनुदान एवं उपदान के रूप में रहा।

अदत्त प्रत्याभूति 2012–13 में ₹ 736.08 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 744.73 करोड़ हो गई। वर्ष 2014–15 के दौरान किसी भी पीएसयूज के द्वारा राज्य शासन को प्रत्याभूति शुल्क/कमीशन का भुगतान नहीं किया गया था।

वित्त लेखों से समाधान

1.9 राज्य के पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार समता, ऋण और अदत्त प्रत्याभूति के आंकड़े, राज्य के वित्त लेखों में दर्शाए गए आंकड़ो के समान होने चाहिए। यदि आंकड़ो में भिन्नता हो तो, संबंधित पीएसयू और वित्त विभाग को भिन्नताओं का समाधान करना चाहिए। इस संदर्भ में 31 मार्च 2015 की स्थिति *तालिका – 1.5* में दर्शित है।

तालिका – 1.5: वित्त लेखों और पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार समता, ऋण और अदत्त प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

अदत्त के संबंध में	वित्त लेखों के अनुसार राशि	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार राशि	भिन्नता
समता	1667.78	6812.79	5145.01
ऋण	458.75	16.87	441.88
प्रत्याभूति	748.40	744.73	3.67

हमने पाया कि 9 पीएसयू[5] के आंकड़ो में भिन्नता थी और इनमें से कुछ भिन्नताओं का समाधान 2004–05 से लंबित था। यद्यपि वित्त लेखों में दर्ज आंकड़े और पीएसयू के अभिलेखों में भिन्नताओं को पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किया गया था, परंतु राज्य शासन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई। शासन और पीएसयूज को भिन्नताओं के समाधान के लिए उचित समय के अंदर ठोस कदम उठाना चाहिए।

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

1.10 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनियों के वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 96 (1) के प्रावधानों के अनुसार सितम्बर माह के अंत तक अर्थात् संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने के अंदर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसमे हुई विफलता अधिनियम की धारा 99 के तहत् दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित कर सकती हैं। इसी तरह सांविधिक निगम के मामले में लेखों का अंतिमीकरण, लेखापरीक्षण एवं विधायिका में प्रस्तुतीकरण संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।
30 सितम्बर 2015 तक लेखों के अंतिमीकरण करने में पीएसयूज द्वारा की गई प्रगति का विवरण *तालिका – 1.6* में प्रस्तुत है।

[5] सीआरव्हीव्हीएनएल, सीएसआईडीसी, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएससीएससीएल, सीपीएचसीएल एवं सीएसडब्ल्यूसी।

तालिका – 1.6: कार्यरत् पीएसयूज के लेखों के अंतिमीकरण की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1.	पीएसयू की संख्या	18	20[6]	19	20	21[7]
2.	वर्ष के दौरान अंतिमीकृत हुए लेखों की संख्या	15	16	24	21	24
3.	लंबित लेखों की संख्या	38	41	36	37[8]	34
4.	लंबित लेखों वाले पीएसयू की संख्या	15	15	15	15	17
5.	लंबित लेखों की अवधि (वर्ष)	1 से 5	1 से 6	1 से 7	1 से 7	1 से 6

यह देखा जा सकता है कि लंबित लेखों की संख्या वर्ष 2010–11 के 38 लेखों से घटकर वर्ष 2014–15 में 34 हो गयी।

प्रशासनिक विभागों पर इन इकाईयों के कार्यकलापों का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है तथा यह भी सुनिश्चित करना है कि ये पीएसयू अपने लेखों का अंतिमीकरण एवं उनका अंगीकरण निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर कर रहे हैं। संबंधित शासकीय प्रशासनिक विभागों एवं अधिकारियों को लेखों के अंतिमीकरण में बकाया से संबंधित जानकारी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त, यह मामला महालेखाकार द्वारा मुख्य सचिव को लंबित लेखों को समाप्त करने के लिए चालू वित्त वर्ष (अप्रैल 2015 और सितम्बर 2015) के दौरान दो बार अवगत कराया गया है। यद्यपि कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं देखा गया है।

1.11 वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने आठ पीएसयू में ₹ 759.67 करोड़ (ऋणः ₹ 516.88 करोड़ तीन पीएसयू में एवं अनुदानः ₹ 242.79 करोड़ पाँच पीएसयू में) का निवेश किया जिनके लेखे अंतिमीकृत नहीं हुऐ थे जिनका विवरण ***अनुलग्नक – 1.1*** में दिया गया है। लेखों के अंतिमीकरण और उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि किए गए निवेश और व्यय का लेखांकन उचित तरीके से किया गया था एवं जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था, उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं। इसके अतिरिक्त, इन पीएसयू के वर्तमान शुद्ध आवर्त का आंकलन लेखों के अंतिमीकरण के अभाव में नहीं किया जा सकता। इस प्रकार इन पीएसयू में शासकीय निवेश राज्य की विधायिका के नियंत्रण से बाहर रहा।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

1.12 छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के लेखों पर सीएजी द्वारा निर्गमित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को राज्य विधायिका में प्रस्तुत किये जाने की स्थिति ***तालिका – 1.7*** में दर्शित है।

[6] सीएसईबी को लंबित लेखों के रूप में विचारित नहीं किया गया है और 14 दिसम्बर 2011 को निगमित सीपीएचसीएल को भी उसके प्रथम लेखे 15 माह की अवधि के लिए तैयार करने के कारण लंबित लेखों में विचारित नहीं किया गया है। यद्यपि सीएमएससीएल के संबंध में दो लेखों को लंबित माना गया क्योंकि कम्पनी ने दो पृथक लेखे पहला 7 अक्टूबर 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि के लिए और दूसरा 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 की अवधि हेतु तैयार किये है।

[7] 11 नवम्बर 2014 को सीआरडीसीएल निगमित हुआ।

[8] आरएनएनटीएल से तीन वर्षों 2011–12 से 2013–14 तक के लेखे अप्राप्त है।

तालिका – 1.7: विधायिका में प्रस्तुत एसएआर की स्थिति

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक का एसएआर विधायिका में रखा गया	एसएआर जिस वर्ष से विधायिका में रखा जाना शेष है	
			एसएआर का वर्ष	शासन को जारी करने की तिथि
1.	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	2012–13	2013–14	13.02.2015

(स्त्रोतः निगम द्वारा प्रस्तुत जानकारी से संकलित आंकड़े)

लेखों के अंतिमीकरण न करने पर प्रभाव

1.13 जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है (कंडिका 1.10 और 1.11), लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब से प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन के साथ लोकनिधि की धोखाधड़ी एवं बर्बादी के जोखिम की सम्भावना हो सकती है। उपरोक्त के अनुसार राज्य के लंबित लेखों की दशा में वर्ष 2014–15 में राज्य की जीडीपी में पीएसयू का वास्तविक योगदान का आंकलन नहीं किया जा सकता था तथा राजकोष में उनके योगदान को भी राज्य की विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया।

अतः ये अनुशंसा की जाती है किः

- सरकार को बकाया के निराकरण के निरीक्षण हेतु एक प्रकोष्ठ का गठन करना चाहिए और प्रत्येक कम्पनी/निगम के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए जिसका निरीक्षण प्रकोष्ठ द्वारा किया जाए।
- जहाँ स्टाफ अपर्याप्त या अयोग्य है वहाँ सरकार को लेखे तैयार करने के लिए बाह्य स्त्रोत पर विचार करना चाहिए।

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार पीएसयूज के निष्पादन

1.14 सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगम की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम का विस्तृत विवरण *अनुलग्नक – 1.2* में है। पीएसयू के आवर्त का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सक्रियता की सीमा को दर्शाता है। वर्ष 2014–15 में समाप्त पाँच वर्षों की अवधि में पीएसयू आवर्त और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का विस्तृत विवरण *तालिका – 1.8* में प्रदर्शित है।

तालिका – 1.8: कार्यरत पीएसयूज का आवर्त और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का विस्तृत विवरण

(₹ करोड़ में)

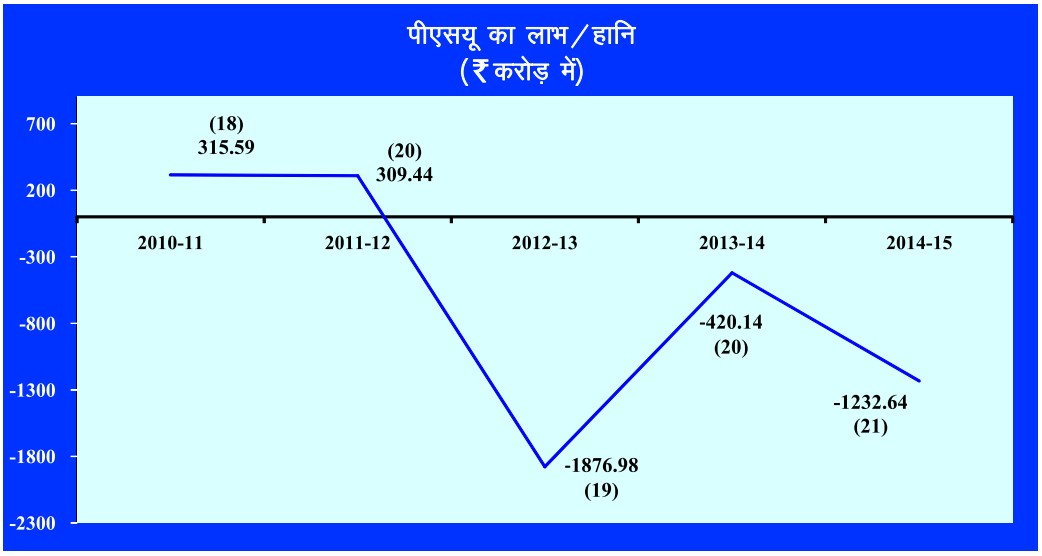
विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
आवर्त[9]	8804.03	14200.21	11776.04	13734.46	15510.96
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद	119419.76	144112.20	165641.20	185682.48	210191.79
राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में आवर्त का प्रतिशत	7.37	9.85	7.11	7.40	7.38

[9] 30 सितम्बर को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार आवर्त

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से राज्य के पीएसयू के समग्र आवर्त का प्रतिशत वर्ष 2011–12 को छोड़कर, वर्ष 2010–15 के दौरान, लगभग स्थिर था।

1.15 वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान राज्य के कार्यरत पीएसयू द्वारा अर्जित लाभ और हुई हानि *रेखाचित्र – 1.4* में प्रदर्शित की गई है।

रेखाचित्र – 1.4



(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े अद्यतन लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर संबंधित वर्षों में पीएसयू की संख्या को दर्शाते हैं।)

राज्य के पीएसयू द्वारा 2010–11 में अर्जित औसत लाभ ₹ 315.59 करोड़ था, जो कि वर्ष 2012–13 में ₹ 1876.98 करोड़ की औसत हानि में परिवर्तित हो गयी, जिसका मुख्य कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को हुई अत्यधिक हानि (₹ 2012.27 करोड़) थी। वर्ष 2014–15 में समग्र हानि ₹ 1232.64 करोड़ थी। वर्ष के दौरान, 21 कार्यरत पीएसयू में से, 12 पीएसयू[10] द्वारा ₹ 111.55 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया गया तथा छः पीएसयू[11]में समग्र रूप से ₹ 1344.19 करोड़ की हानि हुई। एक पीएसयू[12] को न लाभ न हानि हुआ। शेष दो पीएसयू[13] ने अपने प्रथम लेखों को अंतिमीकृत नहीं किया। लाभ में प्रमुख योगदान छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (₹ 41.40 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (₹ 20.53 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 16.84 करोड़), का रहा। मुख्यतः हानि, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹ 683.96 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 630.42 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (₹ 28.38 करोड़), को हुई।

1.16 राज्य के पीएसयूज से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापदण्ड *तालिका – 1.9* में दिए गए है।

10 सीआरबीईकेव्हीएनएल, सीआरव्हीव्हीएनएल, सीएनजेव्हीएव्हीएन, सीआईडीसी, सीएसआईडीसी, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीआरसीएल, सीएसबीसीएल, सीएससीएससीएल, सीएमएससीएल, सीपीएचसीएल एवं सीएसडब्ल्यूसी

11 सीएमडीसी, सीएससीसीएल, सीएपीसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल एवं सीएसपीटीसीएल

12 सीआईसीएल

13 आरएनएनटीएल एवं सीआरडीसीएल

तालिका – 1.9: राज्य के पीएसयूज के मुख्य मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
नियोजित पूँजी पर प्रत्याय (प्रतिशत में)	5.10	5.59	–	–	–
ऋण	5258.06	8576.28	3156.39	12033.56	13602.11
आवर्त[14]	8804.03	14200.21	11776.04	13734.46	15510.96
ऋण/आवर्त अनुपात	0.60	0.60	0.27	0.88	0.88
ब्याज का भुगतान	353.87	618.38	395.46	415.87	697.83
संचित लाभ/(–) हानि	2025.21	2002.78	(–) 3136.26	(–) 3627.12	(–) 4780.58

वर्ष 2010–11 और 2011–12 के दौरान नियोजित पूँजी पर प्रत्याय क्रमशः 5.10 प्रतिशत एवं 5.59 प्रतिशत था और बाद के वर्षों में कोई प्रत्याय प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पीएसयू को हानि हुई। 2010–11 में राज्य के पीएसयू का संचित लाभ ₹ 2025.21 करोड़ था जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड में हुई अत्यधिक हानि के परिणामस्वरूप ₹ 4780.58 करोड़ की संचित हानि में परिवर्तित हो गयी। यह पीएसयू में संचालनात्मक निष्पादन में हुई गिरावट को इंगित करता है। ऋण/आवर्त अनुपात 2010–11 में 0.60:1 से बढ़कर 2014–15 में 0.88:1 हो गया जो यह दर्शाता है कि उक्त अवधि के दौरान ऋण की वृद्धि के अनुपात में आवर्त की वृद्धि नहीं हुई।

1.17 राज्य सरकार ने अपने द्वारा दी गई प्रदत्त अंशपूँजी पर न्यूनतम प्रत्याय देने के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनाई गयी है। उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, 12 पीएसयू ने ₹ 111.55 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया जिनमें से केवल दो पीएसयू (छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम) ने ₹ 2.48 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

लेखों पर टिप्पणियाँ

1.18 1 अक्टूबर 2014 से 30 सितम्बर 2015 तक की अवधि में 16 कम्पनियों ने अपने 23 अंकेक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से, 13 कंपनियों[15] का चयन अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए किया गया। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा दर्शाती हैं कि वास्तव में लेखों के संधारण की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की आवश्यकता हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों के समग्र मौद्रिक मूल्य का विवरण *तालिका – 1.10* में दिया गया है।

[14] 30 सितम्बर 2015 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार पीएसयू का आवर्त

[15] सीआरबीईकेव्हीएनएल, सीआरव्हीव्हीएनएल, सीएनजेव्हीएव्हीएन, सीआईडीसी, सीएसआईडीसी, सीएमडीसी, सीएससीसीएल, सीआईसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसबीसीएल, एवं सीएससीएससीएल

तालिका – 1.10: कार्यरत कम्पनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

क्र. सं.	विवरण	2012–13		2013–14		2014–15	
		लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	6	9.41	7	3.70	9	26.35
2.	हानि में वृद्धि	4	42.66	3	216.54	4	6.09
3.	लाभ में वृद्धि	4	10.90	4	0.90	5	150.74
4.	हानि में कमी	3	129.49	4	1448.49	1	360.86
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट न करना	1	1.74	3	1065.51	6	527.54
6.	वर्गीकरण में त्रुटियाँ	4	216.94	1	34.01	6	77.76

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा चार लेखों को अमर्यादित प्रमाण पत्र, 18 लेखों को मर्यादित प्रमाण पत्र एंव एक को प्रतिकूल प्रमाण पत्र दिए गए (अर्थात् लेखे सत्य एवं संतोषजनक स्थिति व्यक्त नहीं करते हैं)। कम्पनियों द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि वर्ष के दौरान 15 लेखों में से 35 मामलों में गैर अनुपालन देखा गया।

1.19 इसी प्रकार, वर्ष 2014–15 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम के द्वारा वर्ष 2013–14 के लेखों को महालेखाकार को अग्रेषित किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र दिया गया तथा निगम के लेखों को अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया। निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक तथा सीएजी की टिप्पणियों के समग्र मौद्रिक मूल्य का विवरण *तालिका – 1.11* में दिया गया हैं।

तालिका – 1.11: सांविधिक निगम पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रभाव

क्र. सं.	विवरण	2012–13		2013–14		2014–15	
		लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	लाभ में वृद्धि	1	0.81	–	–	1	0.53
2	लाभ में कमी	–	–	1	0.20	1	0.82

लेखापरीक्षा के प्रति शासन की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एंव कंडिकाएँ

1.20 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के लिए, छः विभागों से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा, एक वृहद् कंडिका एवं 12 अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ, संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों को छः सप्ताह के अंदर उत्तर उपलब्ध करने के निवेदन के साथ जारी किया गया था। यद्यपि, राज्य शासन से एक निष्पादन लेखापरीक्षा एंव आठ अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं से संबंधित उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2015)।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

उत्तर अप्राप्त

1.21 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की चरम स्थिति को प्रदर्शित करती हैं। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) के आंतरिक कार्यों हेतु प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभाग को स्वतः सभी लेखापरीक्षा की कंडिकाएँ एवं निष्पादन लेखापरीक्षा जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल है उन पर कार्यवाही करनी चाहिए बजाए इसके कि इनका कोपू के द्वारा जाँच के लिए चयन किया गया हैं या नहीं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विधायिका में प्रस्तुति के 6 माह के अंदर उन पर सुधारात्मक कार्यवाही की गयी या की जाने वाली हो, को प्रदर्शित करते हुए व्याख्यात्मक टिप्पणी भी प्रस्तुत करना चाहिए था। उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणी 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में अप्राप्त है जिसे *तालिका – 1.12* में दर्शाया गया है।

तालिका – 1.12: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (30 सितम्बर 2015 की स्थिति में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/पीएसयू)	राज्य विधायिका में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएँ (पीएएस) एवं कंडिकाएँ		पीएएस/कंडिकाओं की संख्या जिनके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं	
		पीएएस	कंडिकाएँ	पीएएस	कंडिकाएँ
2008–09	26.03.2010	1	5	–	2
2013–14	26.03.2015	1	11	1	4
योग		**2**	**16**	**1**	**6**

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि पाँच विभागों से संबंधित 18 कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से सात कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षाएँ, जिन पर टिप्पणी की गई थी, के व्याख्यात्मक टीप अप्राप्त (सितम्बर 2015) थे।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.22 30 सितम्बर 2015 को निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कंडिकाओं की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू) में शामिल थे, जिन पर कोपू के द्वारा चर्चा की गई, *तालिका – 1.13* में दी गई है।

तालिका – 1.13: 30 सितम्बर 2015 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की गई निष्पादन लेखापरीक्षाओं/कंडिकाओं पर की गई चर्चा का विवरण।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं (पीएएस)/कंडिकाओं की संख्या					
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल		कंडिकाएँ जिनपर चर्चा हुई		चर्चा के लिए लंबित कंडिकाएँ	
	पीएएस	कंडिकाएँ	पीएएस	कंडिकाएँ	पीएएस	कंडिकाएँ
2008–09	1	5	1	3	–	2
2010–11	1	8	1	2	–	6
2011–12	1	10	–	1	1	9
2012–13	1	9	–	3	1	6
2013–14	1	11	–	–	1	11
योग	**5**	**43**	**2**	**9**	**3**	**34**

सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.23 जुलाई 2008 एवं मार्च 2012 के दौरान राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत कोपू के छः प्रतिवेदनों से संबंधित सात कंडिकाओं पर शासकीय विभागों की कार्यवाही विवरण (एक्शन टेकन नोट्स) अप्राप्त रहे (सितम्बर 2015) जैसा कि *तालिका – 1.14* में इंगित किया गया हैं।

तालिका – 1.14: कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू के प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपू के प्रतिवेदन में अनुशंसाओं की कुल संख्या	अनुशंसाओं की संख्या जिनके लिए कार्यवाही विवरण प्राप्त नहीं हुए
2008–09	1	1	1
2009–10	1	1	1
2010–11	3	4	3
2011–12	1	2	2
योग	**6**	**8**	**7**

कोपू के इन प्रतिवेदनों में तीन विभागों से संबंधित कंडिकाओं के बारे में अनुशंसाएँ थी, जो 2002–03 से 2004–05 के वर्षों में भारत के सीएजी के प्रतिवेदनों में शामिल थी।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि: (अ) निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कोपू की अनुशंसाओं पर कार्यवाही विवरण के उत्तर/व्याख्यात्मक टीप निर्धारित समय सीमा में भेजे जायें; (ब) हानि/लंबित अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूली निर्धारित समय सीमा में की जाये; एवं (स) लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तर देने से संबंधित प्रणाली का नवीनीकरण किया जाना चाहिए।

इस प्रतिवेदन का क्षेत्र

1.24 इस प्रतिवेदन में 12 कंडिकाएँ, एक वृहद् कंडिका तथा एक निष्पादन लेखापरीक्षा "छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के क्रियाकलाप" पर है इनका वित्तीय प्रभाव ₹ 605.79 करोड़ है।

दूसरा अध्याय

दूसरा अध्याय

2. सरकारी कम्पनी की निष्पादन लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के क्रियाकलाप

कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) का मुख्य कार्य राज्य में उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर व बाहर औद्योगिक इकाईयों को भूमि का आबंटन तथा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं रख–रखाव करना हैं। कम्पनी शासकीय क्रय के लिए दर अनुबंध का अंतिमीकरण भी करता है। कम्पनी ने 31 मार्च 2015 तक 17 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये थे तथा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये चार परियोजनायें प्रगतिरत् थी। इसके अलावा, कम्पनी ने 2010–15 के दौरान पाँच परियोजनाओं को भी स्थापित करने का विचार किया, जिसमें अभी विकास गतिविधियां प्रारंभ होनी है।

निष्पादन लेखापरीक्षा कम्पनी के 2010–15 के दौरान के कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं जैसे कि औद्योगिक क्षेत्रों का विकास व रख–रखाव, भूमि का आबंटन, औद्योगिक इकाईयों से उपयोग प्रभारों की बिलिंग व उनकी वसूली, दर अनुबंधों का अंतिमीकरण, आधिक्य कोष का विनियोग एवं आंतरिक नियंत्रण व निगरानी के निष्पादन का आंकलन करने के लिए की गयी। निष्पादन लेखापरीक्षा की मुख्य आपत्तियाँ निम्नवत् है।

(कंडिका 2.1 और 2.4)

वित्तीय प्रबंधन

• कम्पनी ने अब तक 2010–11 से 2014–15 तक के लेखों का अंतिमीकरण नहीं किया हैं। कम्पनी के द्वारा वार्षिक लेखों के अंतिमीकरण में विलंब होने तथा अनुमानित आय के गलत निर्धारण के कारण अग्रिम कर जमा करने में त्रुटि होने के परिणामस्वरूप कम्पनी ने आयकर विभाग को ₹ 4.70 करोड़ का दाण्डिक ब्याज का भुगतान किया।

(कंडिका 2.6.1)

औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं संधारण

• कम्पनी ने राज्य औद्योगिक नीति के उद्देश्यों के अनुरूप राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान एवं विकास के लिए कोई भी योजना नहीं बनायी थी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने छत्तीसगढ़ शासन के अगस्त 2009 के निर्देशों के अनुसार राज्य में औद्योगिक विकास के लिए भूमि बैंक के निर्माण के लिए रोडमैप भी नहीं बनाया।

(कंडिका 2.7.1 और 2.7.2)

• 2010–15 के दौरान, कम्पनी ने चार औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की तथा 31 मार्च 2015 को चार औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना प्रगति पर थी। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी में विलम्ब, भूमि की अनुपलब्धता तथा अनुदान की शर्तों को पूर्ण न करने के कारण भारत सरकार से अनुदान की प्राप्ति न होने के कारणों से एक से पाँच वर्षों का विलम्ब हुआ।

(कंडिका 2.7.3)

• कम्पनी ने भूमि की वास्तविक विकास की लागत तथा संधारण प्रभार को ध्यान में रखे बिना भूमि के आबंटन के लिए असामान्य रूप से निम्न दर पर भू–प्रीमियम तथा संधारण प्रभार निर्धारित किया था जो कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों के अनुसार नहीं था। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 171.70 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 2.7.7 और 2.7.8)

भूमि का आबंटन

• 2010–15 के दौरान, कम्पनी ने औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर 3367 हेक्टेयर भूमि के लिए 71 आबंटन किये थे। भू–आबंटन के सात प्रकरणों में जिसकी माप 446.112 हेक्टेयर थी, भू–प्रीमियम का निर्धारण छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों के अनुसार लागू दर से निम्न दर पर किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 262.64 करोड़ की कम वसूली हुई थी।

(कंडिका 2.8.1 और 2.8.2)

• औद्योगिक क्षेत्र में सहायक/वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए भू–आबंटन के छः प्रकरणों में जिसकी माप 16.715 हेक्टेयर थी, कम्पनी ने भू–आबंटन नियम, 1974 तथा संचालक मंडल के निर्णय के अनुसार वाणिज्यिक दर पर भू–प्रीमियम वसूल नहीं किया, परिणामस्वरूप ₹ 52.49 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 2.8.6)

• 31 मार्च 2015 की स्थिति में, पाँच वर्ष की अवधि के लिए 1112 आबंटिती से उपयोग प्रभार की राशि ₹ 26.27 करोड़ बकाया थी। कम्पनी ने लीज डीड के प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता आबंटितियों से उपयोग प्रभार की बकाया वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

(कंडिका 2.8.7)

आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी

• कम्पनी के पास प्रबंध सूचना प्रणाली व आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग नहीं थे। बाह्य चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा की गयी आंतरिक लेखापरीक्षा व्यापक न होकर केवल लेखों के प्रारंभिक जाँच तक ही सीमित थी। कंपनी ने 2010–15 के दौरान सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन भी नहीं कराया।

(कंडिका 2.10)

2.1 प्रस्तावना

पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड का निगमन (नवम्बर 1981) कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन हुआ, जिसे वर्ष 2000 में नये राज्य छत्तीसगढ़ की स्थापना पर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) के रूप में नया नाम दिया (अप्रैल 2001) गया। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों[1] का विकास एवं रख–रखाव के साथ सामान्य सुविधाओं जैसे– सड़क, पानी, विद्युत इत्यादि उपलब्ध कराने एवं औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर एवं बाहर संभावित औद्योगिक इकाईयों को भूमि आबंटित करने के अतिरिक्त राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन, स्थापना में सहायता एवं उनके संवर्द्धन तथा औद्योगीकरण करना है। कम्पनी ने 31 मार्च 2015 तक 17 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित

[1] औद्योगिक क्षेत्र, विकास केन्द्र, औद्योगिक पार्क इत्यादि।

किये थे तथा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये चार परियोजनायें प्रगतिरत् थी। इसके अलावा, कम्पनी ने 2010–15 के दौरान पाँच परियोजनाओं को भी स्थापित करने का विचार किया, जिसमें अभी विकास गतिविधियां प्रारम्भ होनी है। औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण ***अनुलग्नक – 2.1*** में दिया गया है।

कम्पनी अपनी औद्योगिक क्षेत्रों के विकास व रखरखाव की मुख्य गतिविधियों के अलावा शासकीय क्रय के लिए दर अनुबंध का अंतिमीकरण, छत्तीसगढ़ के लघु उद्योग इकाईयों (एसएसआई) के लिए लौह इस्पात व कोयला की आपूर्ति, अपने परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से औद्योगिक उत्पादों के लिए विभिन्न परीक्षण सुविधाऐं प्रदान करना और सरकारी आपूर्ति के लिए स्टील व लकड़ी के फर्नीचर का निर्माण करती है। इसी प्रकार कम्पनी का वित्त अनुभाग पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा छत्तीसगढ़ की सीमाओं में वितरित ऋण की वसूली का कार्य भी देखता है तथा यह उद्योगों को कोई भी ऋण प्रदान नहीं करता है।

2.2 संगठन संरचना

कम्पनी का प्रबंधन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और प्रबंध संचालक को सम्मिलित करते हुए आठ संचालकों वाली संचालक मण्डल में निहित है। प्रबंध संचालक मुख्य कार्यकारी अधिकारी है और वह कम्पनी के दिन–प्रतिदिन के कार्यों को कार्यकारी संचालक व कार्यकारी प्रमुख की सहायता से करता है। कम्पनी के दो क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग एवं बिलासपुर में है, प्रत्येक कार्यालय का प्रमुख मुख्य महाप्रबंधक होता है। कम्पनी की कुल मानवशक्ति मार्च 2015 की स्थिति में 283 थी। संगठन चार्ट ***अनुलग्नक – 2.2*** में दिया गया है।

2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारण करने के लिए की गई है कि क्या कम्पनी ने:-

- एक प्रभावशाली और कुशल वित्तीय प्रबंध तंत्र स्थापित किया;
- अपने उद्देश्यों और राज्य के औद्योगिक नीति के अनुरूप एक मितव्ययी व प्रभावशाली ढंग से औद्योगिक क्षेत्रों के विकास व रखरखाव के लिए परिभाषित व व्यवहार्य योजनाओं का गठन व क्रियान्वयन किया;
- पारदर्शी और न्यायसंगत ढंग से उद्योगों को भूमि का आबंटन किया;
- शासकीय क्रय के लिए दर अनुबंध का मितव्ययितापूर्ण, प्रभावशाली, कुशलतापूर्वक तथा समयबद्ध ढंग से अंतिमीकरण किया; और
- एक कुशल व प्रभावी निगरानी प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण ढांचा स्थापित किया।

2.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान कम्पनी के निष्पादन को निर्धारित करने हेतु विभिन्न पहलुओं जैसे औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं

संधारण, भू–आबंटन, औद्योगिक इकाईयों से उपयोग प्रभारों[2] की बिलिंग तथा वसूली, शासकीय क्रय हेतु दर अनुबंधों का अंतिमीकरण, आधिक्य कोषों का निवेश तथा आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी को ध्यान में रखते हुए मई से जुलाई 2015 के दौरान की गई।

हमने सभी चार औद्योगिक क्षेत्रों (कापन, टेकनार, इंजीनियरिंग पार्क तथा मेटल पार्क) जो 2010–15 के दौरान स्थापित हुये तथा मुख्यालय स्तर पर चल रही नौ परियोजनाओं तथा दो क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की समीक्षा की। प्रवेश सम्मेलन का आयोजन सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा कम्पनी के प्रबंध संचालक के साथ 24 जून 2015 को हुआ जिसमें उद्देश्य, क्षेत्र एवं कार्यविधि पर चर्चा हुई। कम्पनी तथा छत्तीसगढ़ शासन को जुलाई 2015 में लेखापरीक्षा आपत्तियाँ सूचित की गई तथा 28 अक्टूबर 2015 को आयोजित निर्गमन सम्मेलन में उन पर चर्चा की गई। निर्गमन सम्मेलन में सचिव (वाणिज्य एवं उद्योग), छत्तीसगढ़ शासन तथा कम्पनी के प्रबंध संचालक उपस्थित थे। निर्गमन सम्मेलन के दौरान उनके द्वारा व्यक्त अभिमतों को निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतिमीकरण में ध्यान में रखा गया है।

2.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

कम्पनी के निष्पादन का आंकलन निम्नलिखित संदर्भ में निर्धारित किया गया:

- जारी की गई राज्य औद्योगिक नीति (एसआईपी) एवं दिशा–निर्देश;
- कम्पनी का पार्षद सीमा नियम एवं अंतर्नियम, एजेण्डा नोट्स, संचालक मण्डल द्वारा पारित संकल्प, कम्पनी द्वारा जारी परिपत्र, वार्षिक बजट तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर);
- परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मानक कार्यविधियाँ तथा छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग का मेन्युअल;
- भू–आबंटन नियम, 1974 (एलएआर 1974) तथा उस पर जारी दिशानिर्देश एवं बाद में किये गये संशोधन;
- छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 तथा तत्पश्चात् संशोधन; तथा
- कम्पनी अधिनियम 1956 तथा आयकर अधिनियम 1961।

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

लेखापरीक्षा आपत्तियों पर चर्चा आगामी कण्डिकाओं में की गई है।

2.6 वित्तीय प्रबंध

कम्पनी की आय का प्रमुख स्त्रोत औद्योगिक क्षेत्रों से प्राप्त भू–प्रीमियम तथा उपयोग प्रभार, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु भारत सरकार/छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त अनुदान, अन्य गतिविधियों से आय, औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर आबंटित भूमि पर सेवा प्रभार, सावधि जमा पर अर्जित ब्याज इत्यादि हैं। औद्योगिक क्षेत्रों से प्राप्त भू–प्रीमियम तथा उपयोग प्रभार के साथ ही भारत सरकार/छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त अनुदान को शासकीय आय माना गया हैं और इस प्रकार यह कम्पनी के लाभ एवं हानि खातें में सम्मिलित नहीं किया जाता।

[2] भू–भाटक, वार्षिक संधारण प्रभार तथा सड़क बत्ती प्रभार।

औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं संधारण से सम्बन्धित व्यय को शासकीय राजस्व में से पूरा किया जाता है। शासकीय राजस्व के अधिशेष को कम्पनी द्वारा रोका गया तथा 'राज्य शासन मेमोरेण्डम खाते' के अंतर्गत सरकार को देय के रूप में दर्शाया गया हैं। इस अधिशेष राशि को कम्पनी द्वारा सावधि जमाओं में निवेश किया गया। सावधि जमाओं पर प्राप्त ब्याज को भी मुख्यालय के वेतन एवं प्रशासनिक व्ययों का समायोजन करने के बाद लाभ–हानि खातें के माध्यम से 'राज्य शासन मेमोरेण्डम खाते' में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रकार लाभ–हानि खाते में दर्शित लाभ/हानि कम्पनी की अन्य गतिविधियों के परिचालन निष्पादन जैसे कि लघु औद्योगिक इकाईयों को लोहा, स्टील तथा कोयले की आपूर्ति, औद्योगिक उत्पादों के विभिन्न परीक्षणों की सुविधा उपलब्ध कराना तथा लकड़ी तथा स्टील के फर्नीचर का निर्माण को चित्रित करता हैं।

कम्पनी ने अब तक वर्ष 2009–10 तक के अपने लेखें अंतिमीकृत किये हैं। मार्च 2013 के अंत तक विगत तीन वर्षों के कम्पनी की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम से संबंधित गैर–अंकेक्षित प्राविधिक आँकड़े ***अनुलग्नक – 2.3*** में दिये गये हैं। कम्पनी को 2010–11 में ₹ 1.32 करोड़ की हानि हुई जो कि 2012–13[3] में बढ़कर ₹ 1.56 करोड़ हो गई यह हानि अपनी अन्य गतिविधियों जैसे कोयला अनुभाग, फर्नीचर कारखाना तथा टेस्टिंग लैब के कारण हुई।

वार्षिक लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप दाण्डिक ब्याज का परिहार्य भुगतान

2.6.1 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 एवं सहपठित धारायें 166 एवं 216 के अंतर्गत संचालक मण्डल का यह उत्तरदायित्व हैं कि वह संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा में लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के साथ कम्पनी के लेखे प्रस्तुत करें।

वार्षिक लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब तथा अग्रिम कर के भुगतान के लिये बजटीय आय की सामयिक समीक्षा की प्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 4.70 करोड़ के दाण्डिक ब्याज का परिहार्य भुगतान।

हमने पाया कि कम्पनी वार्षिक लेखों को तैयार करने में बैकलॉग थी। अक्टूबर 2015 की स्थिति में, पाँच वर्षों के (2010–11 से 2014–15) वार्षिक लेखे बकाया थे। लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब के कारण न केवल कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि इसके कारण कम्पनी को भूल–चूक/धोखाधड़ी का पता लगाने/रोकने तथा त्वरित सुधारात्मक कदम उठाने को कठिन बना देती है। हमने यह भी पाया कि लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब के कारण तथा बजटीय आय की सामयिक समीक्षा की प्रणाली के अभाव में, कम्पनी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 208 के अंतर्गत आवश्यक तिमाही लाभ/हानि का ठीक–ठीक अनुमान लगाने में असफल रही जो कि अग्रिम कर के भुगतान के उद्देश्य से आवश्यक था। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी ने अग्रिम कर का कम भुगतान किया तथा कम्पनी को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234 ए/बी/सी के अंतर्गत वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 के लिये ₹ 4.70 करोड़ के दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2015) कि बैकलॉग को एक वर्ष के अंदर पूर्ण करने हेतु लेखों का अंतिमीकरण उच्च प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है।

[3] कम्पनी ने 2013–14 तथा 2014–15 के प्रावधिक आंकड़े अभी तक अंतिमीकृत नहीं किये है।

अनुशंसा:

कम्पनी को लेखों के बैकलॉग को समाप्त करने की आवश्यकता है। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अग्रिम आयकर के भुगतान हेतु इसे बजटीय आय की सामयिक समीक्षा की प्रणाली बनानी चाहिये।

आधिक्य निधि के अन्यायोचित निवेश के परिणामस्वरूप ₹ 90.39 लाख के ब्याज की हानि हुई

कम्पनी द्वारा अपनी आधिक्य निधि का अन्यायोचित निवेश के परिणामस्वरूप ₹ 90.39 लाख के ब्याज की हानि हुई।

2.6.2 जैसा कि कण्डिका 2.6 में चर्चा की गई है, कम्पनी अपनी आधिक्य निधि को विभिन्न अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा (एफडी) के रूप में निवेश करती है। 31 मार्च 2015 की स्थिति में कम्पनी के पास ₹ 355.26 करोड़ की एफडी थी। हमने पाया कि जून 2015 की स्थिति में कम्पनी ने अपनी आधिक्य निधि के निवेश की कोई योजना नहीं बनाई जबकि लेखापरीक्षा[4] के द्वारा बार–बार इस पर आपत्ति ली गई थी। उक्त के अभाव में, कम्पनी ने अपनी तरलता स्थिति का उचित विश्लेषण किये बिना ही, स्वविवेक के आधार पर एफडी की। उदाहरण के लिये, कुछ प्रकरणों में कम्पनी ने अलग–अलग ब्याज दर पर, अलग–अलग बैंकों में एक ही तिथि को समान अवधि के लिये एफडी की, बजाये इसके कि उच्च ब्याज दर का प्रस्ताव देने वाले बैंकों में निवेश किया जाता, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 66.47 लाख के ब्याज की हानि हुई जैसा कि ***अनुलग्नक – 2.4*** में दर्शित है।

हमने यह भी पाया कि चार बैंकों में जमा ₹ 160.45 करोड़ की 19 एफडी जो कि अक्टूबर 2013 को परिपक्व हुई, को कम्पनी ने पुनः एफडी में निवेश करने का निर्णय लिया। कम्पनी द्वारा कॉर्पोरेशन बैंक द्वारा प्रस्तावित एक वर्ष के लिये ₹ एक करोड़ से ₹ पाँच करोड़ से कम की अवधि के लिये 9.25 प्रतिशत की उच्च ब्याज दर की अनदेखी करते हुये उन्हें उन्हीं संबंधित बैंकों में नौ तथा 9.10 प्रतिशत की दर के मध्य नवीनीकृत कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23.92 लाख के ब्याज की हानि हुई।

आपत्ति को स्वीकार करते हुये, शासन ने कहा (अक्टूबर 2015) कि कम्पनी ने अब अपनी आधिक्य निधि के निवेश हेतु नीति तैयार कर ली है तथा उसका एफडी से अधिकतम ब्याज प्राप्त करने हेतु उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

चालू खाते में ऑटो–स्वीप की सुविधा न लेने के कारण ₹ 26.45 लाख की ब्याज की हानि

कम्पनी द्वारा चालू खाते में ऑटो स्वीप सुविधा न लेने के कारण ₹ 26.45 लाख के ब्याज की हानि हुई।

2.6.3 कम्पनी के पास मुख्यालय तथा मैदानी कार्यालयों के अलग–अलग बैंकों में 23 चालू खाते (पक्षकारों को भुगतान करने के लिये लेन–देन खाते) थे। यद्यपि कम्पनी ने ऑटो–स्वीप की सुविधा (जहाँ बचत/चालू खाते में जमा आधिक्य निधि साप्ताहिक आधार पर स्वतः एफडी में परिवर्तित हो जाती हैं) केवल दो चालू खातों के लिये ली है।

हमने रॉ मटेरियल डिविजन के बैंक ऑफ बड़ौदा (बिना ऑटो स्वीप सुविधा) में संचालित चालू खाते के बैंक विवरण की नमूना जाँच की और पाया कि 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान ₹ 3.48 लाख से ₹ 3.92 करोड़ के मध्य की राशि बिना ब्याज वाले चालू खाते में पड़ी रही। यदि कम्पनी ने ऑटो स्वीप सुविधा ली होती, तो वह ₹ 26.45 लाख ब्याज प्राप्त कर सकती थी।

[4] छत्तीसगढ़ शासन का 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के सीएजी के प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) की कंडिका क्रमांक 4.3.6 तथा छत्तीसगढ़ शासन का 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के सीएजी के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक 3.7

प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2015) कि कम्पनी की आवश्यकता के आधार पर जहाँ कहीं भी संभव होगा ऑटो स्वीप की सुविधा का क्रियान्वयन किया जायेगा। शासन ने भी कम्पनी के अभिमत पर अपनी सहमति (अक्टूबर 2015) व्यक्त की।

2.7 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं संधारण

कम्पनी का औद्योगिक संवर्द्धन एवं परियोजना विकास अनुभाग नये औद्योगिक क्षेत्रों को स्थापित करने का विचार करता है तथा संचालक मण्डल से अनुमोदन के बाद डीपीआर तैयार करता है। कम्पनी का भू–अधिग्रहण अनुभाग आवश्यक शासकीय भूमि को राजस्व विभाग से स्थानांतरण के द्वारा तथा निजी भूमि को भू–अधिग्रहण अधिकारी (एलएओ) यथा संबंधित जिले का कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त करता है। कम्पनी को आवश्यक भूमि हस्तांतरित होने के बाद, कम्पनी का तकनीकी अनुभाग ठेकेदारों को लगाकर सामान्य सुविधाओं जैसे सड़के, नालियाँ, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था इत्यादि का विकास प्रारम्भ करता है। विकसित भूमि का आबंटन उद्यमियों को कर दिया जाता हैं तथा संधारण कार्य जैसे सड़कों, नालियों, विद्युत व्यवस्था की मरम्मत एवं निर्माण आवश्यकता के आधार पर किया जाता हैं। इसके संबंध में पाई गई कमियों की चर्चा आगामी कण्डिकाओं में की गई हैं।

औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की योजना का न होना

2.7.1 कम्पनी के उद्देश्यों एवं राज्य औद्योगिक नीति 2009–14 के उद्देश्यों के अनुरूप पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर अधिक बल देते हुये राज्य के उद्योगों का त्वरित एवं संतुलित विकास हेतु, यह आवश्यक था कि मात्रात्मक एवं वित्तीय लक्ष्य स्थापित कर इसकी निगरानी दीर्घकालीन योजना दस्तावेजों के माध्यम से किया जाए।

हमने पाया कि कम्पनी ने औद्योगिक क्षेत्रों को चिन्हित करने एवं उनका विकास करने की कोई मितव्ययी तथा सक्षम योजना तैयार नहीं की। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिये स्थल के चयन के पहले स्थल की उपयुक्तता को सुनिश्चित करने के लिये औद्योगिक उपयुक्तता सर्वेक्षण नहीं कराया।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2015) कि राज्य में गैर प्रमुख क्षेत्र तथा संतुलित औद्योगिक विकास की संभावना तलाशने के लिये परामर्शदाता के माध्यम से योजना तैयार की जा रही है।

अनुशंसा:

कम्पनी को एसआईपी के तारतम्य में औद्योगिक क्षेत्रों के चिन्हांकन एवं विकास के लिये योजना तैयार करनी चाहिये।

भूमि बैंक के निर्माण का प्रारूप तैयार न करना

2.7.2 एसआईपी 2009–14 के उद्देश्यों के तारतम्य में राज्य के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने तथा संतुलित वृद्धि के लिये, छत्तीसगढ़ शासन ने निर्दिष्ट (अगस्त 2009) किया कि कम्पनी भूमि बैंक के निर्माण के लिये आगामी 20 वर्षों के लिये एक प्रारूप तैयार करें। यह भी निर्दिष्ट किया गया कि शासकीय/बंजर भूमि का चिन्हांकन कर लिया जाये ताकि कृषि भूमि का कम से कम अधिग्रहण सुनिश्चित किया जा सके। मई 2015 की स्थिति में, कम्पनी के भूमि बैंक के पास 517.161 हेक्टेयर भूमि थी।

हमने पाया कि कम्पनी ने अभी तक छत्तीसगढ़ शासन के अगस्त 2009 के निर्देशों के तारतम्य में शासकीय/बंजर भूमि का न तो चिन्हांकन किया और न ही अभी तक कोई प्रारूप तैयार किया है। शासन का उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2015) है।

अनुशंसा:

कम्पनी को भूमि बैंक के निर्माण के लिये तत्काल प्रारूप तैयार करना चाहिये।

औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में विलंब

2.7.3 जून 2015 की स्थिति में 2010–15 के दौरान स्थापित चार औद्योगिक क्षेत्रों (कापन, टेकनार, इंजीनियरिंग पार्क, भिलाई तथा मेटल पार्क, रायपुर) तथा प्रगतिरत् चार औद्योगिक क्षेत्रों (तिल्दा, तेन्दुआ, गंगापुरखुर्द तथा सेक्टर डी, तिफरा) के विकास कार्यों का विवरण ***अनुलग्नक – 2.5*** में दिया गया है। ***अनुलग्नक – 2.5*** में यह देखा जा सकता है कि परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब की अवधि एक से पाँच वर्ष तक थी। विलम्ब का मुख्य कारण डीपीआर तैयार करने में देरी (औद्योगिक क्षेत्र, टेकनार), भूमि का अतिक्रमण (मेटल पार्क, रायपुर), बिना डीपीआर तैयार किये विकास कार्य प्रारम्भ करना (औद्योगिक क्षेत्र, गंगापुरखुर्द), बिना पर्याप्त भूमि के विकास कार्य प्रारम्भ करना (औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर–डी, तिफरा), भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान देने की शर्तों का कम्पनी द्वारा पूरा न कर पाना (औद्योगिक क्षेत्र–कापन, टेकनार तथा तिल्दा) था।

औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए परियोजनाओं के कियान्वयन में विलम्ब की अवधि एक से पाँच वर्ष थी।

शासन का उत्तर अप्राप्त (अक्टूबर 2015) है।

अनुशंसा:

कम्पनी को परियोजनाओं के कियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिये तथा परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

बिना निविदा बुलाये ₹ 13.26 करोड़ के कार्यादेश दिये गये

2.7.4 निविदा के नियम एवं शर्त की अनुक्रमणिका 2.10 के उपवाक्य 2.6 यह प्रावधानित करता है कि ठेकेदार मुख्य कार्य से संबंधित अतिरिक्त/गैर–एसओआर कार्य को इस शर्त पर निष्पादित करेगा कि किसी भी सामग्री/सामग्रियों की मात्राओं में विचलन (+) 25 प्रतिशत तक एवं कार्य की कुल लागत में वृद्धि ठेके की लागत राशि के (+) 10 प्रतिशत तक सीमित रहे।

अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि कम्पनी ने उपवाक्य 2.6 के प्रावधान का उल्लेख करते हुये, कार्य की अति–आवश्यकता एवं सुगमता बताते हुये 2010–15 के दौरान ₹ 13.26 करोड़ मूल्य के नौ कार्य जो मुख्यकार्य के पास के कार्य थे, को बिना निविदा बुलाये ठेकेदार को सौंप दिया जैसा कि ***अनुलग्नक – 2.6*** में वर्णित है। हमने पाया कि बिना निविदा बुलाये कार्य सौंपना न्यायोचित नहीं था क्योंकि निविदा के नियम एवं शर्त के उपवाक्य 2.6 के अनुसार यह कार्य न तो अतिरिक्त कार्य की श्रेणी में आते है और न ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में इनकी अति–आवश्यकता प्रदर्शित हुई। बिना निविदा बुलाये ₹ 13.26 करोड़ के कार्यादेश देना अनियमित था जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी प्रतिस्पर्धी दरों के लाभ को प्राप्त नहीं कर सकी।

कंपनी ने बिना निविदा बुलाये ₹ 13.26 करोड़ मूल्य के नौ कार्यादेश दिये।

प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2015) कि सभी कार्य अति–आवश्यक प्रकृति के थे तथा निविदा के नियम एवं शर्त के उपवाक्य 2.6 के अनुसार ही थे और इस कारण उनको मौजूदा ठेकेदारों के द्वारा ही करवाया गया। यद्यपि, प्रबंधन ने आश्वासित किया कि भविष्य में सभी कार्य केवल निविदा के माध्यम से करवाये जायेंगे। सरकार ने भी कम्पनी के अभिमत पर अपनी सहमति व्यक्त की (अक्टूबर 2015)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये कार्य निविदा के नियम एवं शर्त के उपवाक्य 2.6 के अंतर्गत मुख्य कार्य से संबंधित अतिरिक्त कार्य की श्रेणी

में नहीं आते क्योंकि ये कार्य अलग–अलग स्थानों पर पूर्णतः नये कार्य थे और किसी भी तरह से मुख्य कार्य से संबंधित नहीं थे।

अनुशंसा:

कम्पनी को कार्यादेश देते समय मानक निविदा प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

कार्य में अनावश्यक परिवर्तन करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय

2.7.5 तकनीकी स्वीकृति (जनवरी 2013) के अनुसार मेटल पार्क, रायपुर में रीइन्फोर्स्ड सीमेन्ट कांक्रीट (आरसीसी) ड्रेन का निर्माण किया जाना था। यद्यपि, कार्यस्थल की दशाओं को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने रेण्डम रबल मेसोनरी पक्का सरफेस ड्रेन (आरआर मेसोनरी) का निर्माण करना उचित समझा (जनवरी 2014) और ***अनुलग्नक – 2.7*** में वर्णित ₹ 7.30 करोड़ मूल्य के तीन कार्य सौंपे। ठेकेदार ने आरआर मेसोनरी ड्रेन निर्माण के लिये आवश्यक बोल्डर की बाजार में अनुपलब्धता के आधार पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया तथा कम्पनी से कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन करते हुये आरसीसी ड्रेन के निर्माण का निवेदन[5] किया। कम्पनी ने निवेदन स्वीकार करते हुये कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया तथा ₹ 8.63 करोड़ का पुनरीक्षित कार्यादेश जारी किया जैसा कि ***अनुलग्नक – 2.8*** में दिया गया है।

कार्य में अनावश्यक परिवर्तन करने के कारण कम्पनी को ₹ 1.33 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय करना पड़ा।

हमने पाया कि कम्पनी ने ठेकेदार द्वारा बोल्डर की अनुपलब्धता के दावे का सत्यापन किये बिना ही कार्य के क्षेत्र में अनुचित परिवर्तन कर दिया उसी समय (अप्रैल से दिसम्बर 2014) निकट के औद्योगिक क्षेत्र जैसे उरला तथा सरोरा में आरआर मेसोनरी ड्रेन के निर्माण का कार्य अन्य ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा था, जो कि दर्शाता है वहां पर बोल्डर की कमी नहीं थी। इस प्रकार कार्य के क्षेत्र में अनावश्यक परिवर्तन करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.33 करोड (₹ 8.63 करोड़ – ₹ 7.30 करोड़) का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2015) कि आरसीसी ड्रेन की जगह आर आर मेसोनरी ड्रेन का निर्माण कार्य स्थल की दशाओं तथा तकनीकी स्वीकृति के आधार पर हुआ। शासन ने यह भी बताया (अक्टूबर 2015) कि कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन कार्य स्थल की दशाओं के अनुसार किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि, तकनीकी स्वीकृति के अनुसार आरसीसी ड्रेन बनाया जाना था, बाद में कम्पनी ने सोच–समझकर कार्य स्थल की दशाओं के अनुसार आरआर मेसोनरी ड्रेन निर्माण करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने ठेकेदार के बोल्डर की अनुपलब्धता के दावे का सत्यापन किये बिना ही कार्य में परिवर्तन कर दिया।

परिमाण बिल (बीओक्यू) में अनियमित विचलन के परिणामस्वरूप ₹ 69.74 लाख का अतिरिक्त व्यय

निविदा बुलाते समय परिमाण बिल में अनियमित विचलन के कारण कंपनी को ₹ 69.74 लाख का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

2.7.6 कम्पनी ने मेटल पार्क, रायपुर स्थित सेक्टर–3 तथा 4 के लिए 18 मीटर चौड़ी वेट मिक्स्ड मेकेडम तथा बिटुमिनस रोड के निर्माण का कार्य मेसर्स रायपुर कन्सट्रॅक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ठेकेदार) को दरों की अनुसूची (एसओआर 2010–11) से 19 प्रतिशत अधिक पर ₹ 6.08 करोड़ के संभावित ठेका मूल्य पर दिया (सितम्बर 2013)। ठेकेदार ने ₹ 4.33 करोड़ मूल्य का कार्य निष्पादित किया तथा जून 2015 की स्थिति में कार्य प्रगतिरत् था। हमने पाया कि तकनीकी स्वीकृति के अनुसार ग्रेनुलर सब बेस के लिये ग्रेड–3 सामग्री

[5] अक्टूबर 2014 –प्रथम कार्य/मई 2014 – द्वितीय कार्य/जून 2014 – तृतीय कार्य

का उपयोग किया जाना था। यद्यपि, निविदा बुलाते समय ग्रेनुलर सब बेस के लिये सामग्री की श्रेणी ग्रेड–3 से ग्रेड–1 में परिवर्तन करने के परिणामस्वरूप लागत में ₹ 69.74 लाख की वृद्धि हुई (ग्रेड – 3 की तुलना में ग्रेड – 1 की सामग्री अधिक महंगी हैं तथा अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता पड़ती हैं), इसका औचित्य अभिलेखों में दर्ज नहीं है।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2015) कि तकनीकी स्वीकृति में दर्शित ग्रेड–3 की मात्रा के बराबर की मूल मात्रा का उपयोग करते हुये ग्रेनुलर सब बेस (ग्रेड–1) का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही शासन ने यह भी कहा (अक्टूबर 2015) कि कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन कार्यस्थल की दशाओं के कारण हुआ तथा अनुबंध के प्रावधानों के तहत् ही हुआ। यद्यपि, शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में यह नहीं बताया कि गुणवत्ता से समझौता किये बिना ग्रेनुलर सब बेस (ग्रेड–1) जिसमें 14782 घनमीटर सामग्री की आवश्यकता होती है को ग्रेड–3 में लगने वाली 10564.56 घनमीटर की कम मात्रा के उपयोग से कैसे पूरा किया जायेगा। यह सुनिश्चित होता हैं कि बिना किसी औचित्य के कम्पनी द्वारा निविदा प्राक्कलन तैयार किया गया था। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 2015 में शासन द्वारा प्रस्तुत उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है तथा यह पश्च–विचारित प्रतीत होता है क्योंकि हमें इसके संबंध में अभिलेखों में कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुये।

औद्योगिक केन्द्रों के लिये भू–प्रीमियम का निम्नतर पर निर्धारण करने के कारण ₹ 108.32 करोड़ की हानि

औद्योगिक क्षेत्रों के लिये भू–प्रीमियम का निम्नतर पर निर्धारण किया गया जिसके कारण ₹ 108.32 करोड़ की हानि हुई।

2.7.7 अगस्त 2009 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार, कम्पनी द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में भू–प्रीमियम का निर्धारण भू–अधिग्रहण की लागत, सेवा प्रभार, विकास की लागत इत्यादि को ध्यान में रखकर करना था। वर्ष 2010–15 की अवधि के दौरान स्थापित/स्थापित किये जाने वाले नये औद्योगिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में, हमने पाया कि कम्पनी के पास छत्तीसगढ़ शासन के अगस्त 2009 में दिये निर्देश के तारतम्य में सभी घटकों को ध्यान में रखते हुये भू–प्रीमियम की दर सुनिश्चित करने के लिये नीति/कार्यप्रणाली में कोई एकरूपता नहीं थी। उपरोक्त की अनुपस्थिति में, भू–प्रीमियम का निर्धारण तदर्थ आधार पर निम्नतर पर किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 108.32 करोड़ की हानि हुई जिसकी चर्चा *तालिका – 2.1* में की गई है।

तालिका – 2.1: भू–प्रीमियम के निर्धारण का विवरण

क्र. सं.	विवरण	औद्योगिक क्षेत्र					
		मेटल पार्क, रायपुर	इंजीनियरिंग पार्क, भिलाई	औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर डी, तिफरा	औद्योगिक क्षेत्र, तिल्दा, रायपुर	औद्योगिक क्षेत्र, गंगापुरखुर्द	औद्योगिक क्षेत्र, तेन्दुआ, रायपुर
1	डीपीआर के अनुसार परियोजना के विकास की कुल अनुमानित लागत भूमि की लागत को छोड़कर (₹ करोड़ में)	92.00	49.78	18.00	18.45	18.98	12.21
2	एससी/एसटी उद्यमियों के लिये आरक्षित भूमि को छोड़कर कुल विक्रय योग्य भूमि (हेक्टेयर)	26.77	42.00	11.38	11.48	3.55	8.38
3	भू–प्रीमियम जो निर्धारित किया जाना था (₹ करोड़ में प्रति हेक्टेयर) (1/2)	3.44	1.19	1.58	1.61	5.35	1.46
4	भू–प्रीमियम जो निर्धारित किया गया (₹ करोड़ में प्रति हेक्टेयर)	1.00	1.00	1.00	1.00	0.40	1.00
5	भू–प्रीमियम जो कम निर्धारित हुआ (₹ करोड़ में प्रति हेक्टेयर) (3–4)	2.44	0.19	0.58	0.61	4.95	0.46
6	**भू–प्रीमियम निम्नतर पर निर्धारित होने के कारण लागत की कम वसूली (₹ करोड़ में) (2×5)**	**65.32**	**7.98**	**6.60**	**7.00**	**17.57**	**3.85**
7	**कम वसूल हुई कुल लागत (₹ करोड़ में)**						**108.32**

(स्त्रोतः कम्पनी द्वारा प्रस्तुत जानकारी से संकलित आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों में ₹ 1.19 करोड़ से ₹ 5.35 करोड़ होने वाली प्रति हेक्टेयर विकास लागत के विरूद्ध भू–प्रीमियम की दर ₹ 40 लाख से ₹ एक करोड़ प्रति हेक्टेयर की असामान्य न्यून दर पर निर्धारित किया गया।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2015) कि कम्पनी का मूल उद्देश्य लाभार्जन न होकर औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देना है। भू–प्रीमियम निर्धारण करने के पहले लागत के अतिरिक्त, अन्य घटक जैसे विक्रययोग्यता इत्यादि देखी जानी चाहिये। सरकार ने यह भी कहा कि नया भू–आबंटन नियम, 2015 (एलएआर 2015) क्रियान्वित किया जा चुका है तथा उसके अनुसार समय–समय पर प्रीमियम पुनरीक्षित किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि कम्पनी ने भू–प्रीमियम निर्धारित करते समय भूमि की विकास लागत को ध्यान में नहीं रखा जो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अगस्त 2009 में दिये निर्देशों के पालनार्थ आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये, एसआईपी विशेषीकृत उद्योगों के लिये कम्पनी द्वारा निर्धारित भू–प्रीमियम में पहले से ही छूट प्रदान करती हैं। इस प्रकार, भू–प्रीमियम का निम्नतर पर निर्धारण उद्योगों को दुगुनी छूट उपलब्ध कराता हैं जो कि न्यायोचित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा प्रीमियम के माध्यम से लाभार्जन करने का सुझाव नहीं देती अपितु यह विचार व्यक्त करती हैं कि कम्पनी को कम से कम विकास लागत तो वसूल करनी ही चाहिये। एलएआर, 2015 के अनुसार कम्पनी द्वारा जून 2015 में भू–प्रीमियम का पुनरीक्षण करते समय कोई विश्लेषण नहीं किया गया और न ही विकास लागत को ध्यान में रखा गया।

अनुशंसा:

कम्पनी को छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश के अनुरूप वास्तविक लागत को ध्यान में रखते हुये भू–प्रीमियम का निर्धारण करना चाहिए।

संधारण प्रभार का निम्नतर पर निर्धारण करने के कारण ₹ 63.38 करोड़ की हानि

2.7.8 औद्योगिक क्षेत्रों के उचित एवं नियमित संधारण के लिये कम्पनी आबंटितियों से वार्षिक संधारण प्रभार एवं सड़क बत्ती प्रभार वसूल करती है। कम्पनी ने प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को दरें पुनरीक्षित करने की शर्त के साथ संधारण प्रभार को भू–प्रीमियम का 2.50 प्रतिशत तथा सड़क बत्ती प्रभार को ₹ 10000 प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष की दर से पुनरीक्षित (सितम्बर 2010) किया।

संधारण प्रभार का निम्नत्तर निर्धारण करने के कारण कम्पनी को ₹ 63.38 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।

यद्यपि कम्पनी ने उसके बाद संधारण प्रभार को पुनरीक्षित नही किया अपितु सड़क बत्ती प्रभार को केवल एक बार जून 2015 में पुनरीक्षित किया (₹ 15000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से वृद्धि की)। कम्पनी के पास इन गतिविधियों पर वहन किये जाने वाले वास्तविक व्ययों को ध्यान में रखते हुये इन प्रभारों को निर्धारित करने की कोई नीति/कार्यप्रणाली नहीं हैं। 2010–15 के दौरान तथ्यों से यह प्रकट होता हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों के संधारण पर होने वाले ₹ 70.06 करोड़ के कुल व्यय के विरूद्ध, कम्पनी ने संधारण तथा सड़क बत्ती प्रभारों पर केवल ₹ 6.68 करोड़ का राजस्व अर्जित किया जिसका विवरण *तालिका – 2.2* में दर्शित हैं।

तालिका – 2.2 संधारण एवं विद्युत प्रभारों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग
किया गया संधारण व्यय	7.90	10.65	16.72	12.95	19.90	68.12
भुगतान किया गया विद्युत प्रभार	0.23	0.24	0.37	0.48	0.62	1.94
कुल व्यय	**8.13**	**10.89**	**17.09**	**13.43**	**20.52**	**70.06**
संधारण एवं सड़क बत्ती प्रभारों से प्राप्त राजस्व	**1.16**	**1.01**	**1.25**	**1.69**	**1.67**	**6.68**

(स्त्रोतः कम्पनी द्वारा प्रस्तुत जानकारी से संकलित आंकड़ें)

इस प्रकार संधारण एवं सड़क बत्ती प्रभारों का असामान्य रूप से निम्नतर पर निर्धारित करने के परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 63.38 करोड़ की हानि हुई, इसके साथ–साथ उद्योगों को उस सीमा तक अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।

शासन ने कहा (जुलाई 2015) कि संधारण प्रभार लीज डीड में बताये अनुसार था तथा इसी कारण उसको पुनरीक्षित नहीं किया जा सकता था। शासन ने यह भी कहा कि एलएआर 2015 कियान्वित किया जा चुका है तथा उसी के अनुसार संधारण प्रभारों को पुनरीक्षित किया जायेगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि कम्पनी के संचालक मंडल की 115वीं बैठक (अगस्त 2013) में, यह निर्णय लिया गया था कि संधारण प्रभारों के पुनरीक्षण से संबंधित उचित शर्त को नये लीज डीड के साथ–साथ वर्तमान लीज डीड में भी जोड़ा जाना था यद्यपि, अभी तक ऐसी कोई भी उचित शर्त को लीज डीड में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि कम्पनी ने एलएआर 2015 के अनुसार, जून 2015 में विद्युत प्रभारों की दरों को पुनरीक्षित किया किन्तु संधारण प्रभारों की दरों को एलएआर 2015 के अंतर्गत आवश्यक वास्तविक व्ययों को ध्यान में रखकर पुनरीक्षण नहीं किया गया।

अनुशंसा:

कम्पनी को वास्तविक लागत को ध्यान में रखकर संधारण प्रभार निर्धारित करना चाहिये।

जल प्रभार की वसूली निम्न दर से करने के कारण ₹ 30.56 करोड़ की हानि

2.7.9 कम्पनी, अपने औद्योगिक क्षेत्रों को, उनकी माँग के आधार पर या तो अपने स्वयं के स्त्रोतों से (ट्यूबवेल, बोरवेल इत्यादि) या फिर जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी), छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त जल के माध्यम से जल की आपूर्ति करती है। कम्पनी के पास दुर्ग जिले के बोरई औद्योगिक क्षेत्र में जल आपूर्ति के लिये अपनी जल आपूर्ति प्रणाली (बोरई एनीकट) है जहाँ वह डब्ल्यूआरडी से जल प्राप्त करता है तथा वहां से बोरई एनिकट के ऑपरेटर रेडियस वाटर लिमिटेड (आरडब्ल्यूएल) द्वारा उद्योगों को जल आपूर्ति की जाती है। बोरई में उद्योगों को जल आपूर्ति करने के लिये, कम्पनी को मुख्य रूप से दो लागतें वहन करनी पड़ती है जैसे– डब्ल्यूआरडी तथा आरडब्ल्यूएल को जल प्रभार का भुगतान।

बोरई औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों से जल प्रभार की वसूली निम्न दर से करने के कारण कम्पनी को ₹ 30.56 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।

हमने पाया कि 2010–15 के दौरान जल आपूर्ति की वहन की गई ₹ 62.02 करोड़ की वास्तविक लागत के विरूद्ध, कम्पनी द्वारा उद्योगों से ₹ 31.47 करोड़ का जल प्रभार वसूला गया जैसा कि ***अनुलग्नक – 2.9*** में दिखाया गया है। हमने यह भी पाया कि 2010–15 के दौरान उद्योगों को की गई जल आपूर्ति की वास्तविक लागत ₹ 26.71 एवं ₹ 42.55 प्रति किलोलीटर के मध्य थी जो कम्पनी द्वारा वहन की गई। इसके विरूद्ध कम्पनी द्वारा बड़े/मध्यम उद्योगों से ₹ 21.75 प्रति किलोलीटर तथा छोटे उद्योगों से ₹ 17.25 प्रति किलोलीटर की निम्न दर से जल प्रभार वसूल किया गया। जल प्रभार की वसूली कम दर से करने के परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 30.56 करोड़ की हानि हुई, जिसका विवरण ***अनुलग्नक– 2.9*** में दिया गया है तथा जिसके परिणामस्वरूप उद्योगों को अनपेक्षित सब्सिडी के रूप में अनुचित लाभ भी हुआ।

प्रबंधन ने आपत्ति को स्वीकार करते हुये कहा (जुलाई 2015) कि बोरई उद्योग संघ द्वारा विरोध करने के कारण जल प्रभार नहीं बढ़ाया गया। प्रबंधन ने यह भी कहा कि जल प्रभार में वृद्धि करने से संबंधित प्रस्ताव को संचालक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। शासन ने भी कम्पनी के अभिमत पर सहमति (अक्टूबर 2015) व्यक्त की।

अनुशंसा:

कम्पनी को हानि टालने के लिये जल प्रभार का निर्धारण करते समय वास्तविक लागत को ध्यान में रखना चाहिये।

2.8 भूमि का आबंटन

कम्पनी औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर साथ ही साथ अपने द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों के अन्दर भूमि को आबंटित करती है।

औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भूमि का आबंटन

कम्पनी औद्योगिक क्षेत्रों को भू–आबंटन के लिए छत्तीसगढ़ शासन के केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड (सीव्हीबी) के दिशा–निर्देशों[6] के अनुसार भूमि के मूल्य के बराबर भू–प्रीमियम के साथ 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम, 12 प्रतिशत की दर से ब्याज व प्रचलित दर से सेवा प्रभार एकत्रित करता हैं।

[6] केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड प्रत्येक वर्ष के लिए विभिन्न भूमियों का मूल्य उनकी प्रकृति व स्थिति के अनुसार निर्धारित करता है।

कम्पनी ने 2010–15 के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर 71 प्रकरणों में कुल 3367 हेक्टेयर भूमि को आबंटित किया था। उक्त आबंटनों में पायी गयी अनियमितताओं पर अग्र कंडिकाओं में चर्चा की गयी है।

आदर्श पुनर्वास नीति के अनुसार भू–प्रीमियम का निर्धारण न होना।

2.8.1 मार्च 2012 के छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार (19 मार्च 2010 से भूतलक्षी प्रभाव के साथ लागू किया) उद्योगों से भू–प्रीमियम सीव्हीबी द्वारा अधिसूचित दर से लिया जाना था। भू–प्रीमियम गैर कृषि भूमि[7] के लिए न्यूनतम दर ₹ 14.83 लाख प्रति हेक्टेयर व सिंचित भूमि के लिए ₹ 24.71 लाख प्रति हेक्टेयर है जैसा कि आदर्श पुनर्वास नीति, 2007 में उल्लेखित है।

कम्पनी ने औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर आबंटित भूमि के चार प्रकरणों में आदर्श पुनर्वास नीति के अनुसार भू–प्रीमियम का निर्धारण नही होने के कारण ₹ 233.33 करोड़ की कम वसूली की थी।

हमने पाया कि गैर कृषि भूमि (216.135 हेक्टेयर) आबंटन (मार्च 2010 से मार्च 2012 के मध्य) के तीन प्रकरणों में कम्पनी द्वारा सीव्हीबी की दरों के अनुसार वसूल किया गया भू–प्रीमियम आदर्श पुनर्वास नीति के अनुसार निर्धारित न्यूनतम दर ₹ 14.83 लाख प्रति हेक्टेयर से भी कम था। इस प्रकार छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के अनुसार कम्पनी को उक्त प्रकरणों में भू–प्रीमियम के अन्तर की राशि को वसूलने के लिए भू–प्रीमियम को बढ़ाकर पुनरीक्षित करते हुए ₹ 14.83 लाख प्रति हेक्टेयर करना था। जबकि, कम्पनी ने पुनरीक्षित भू–प्रीमियम की वसूली नहीं की इसके परिणामस्वरूप भू–प्रीमियम ₹ 29.70 करोड़ की कम वसूली हुई और 99 वर्ष की लीज अवधि के लिए ₹ 97.96 करोड़ की भू–भाटक की कम वसूली हुई जिसका विवरण ***अनुलग्नक – 2.10*** में दर्शित है।

इसके अतिरिक्त, हमने पाया कि 206.210 हेक्टेयर की सिंचित भूमि के आबंटन (अगस्त 2010) के एक प्रकरण में कम्पनी ने गलती से सिंचित भूमि के लिए लागू ₹ 24.71 लाख प्रति हेक्टेयर के स्थान पर गैर कृषि भूमि के लिए लागू ₹ 14.83 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से भू–प्रीमियम वसूल किया जबकि कम्पनी ने मार्च 2012 के छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार भू–प्रीमियम को भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर दिया था। जिसके परिणामस्वरूप भू–प्रीमियम ₹ 24.58 करोड़ से तथा 99 वर्ष की लीज अवधि के लिए ₹ 81.09 करोड़ से भू–भाटक की कम वसूली हुई जिसका विवरण ***अनुलग्नक – 2.11*** में दर्शित है।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रथम तीन प्रकरणों को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2015) कि अन्तर की राशि का भुगतान करने के लिए संबंधित आबंटितियों को नोटिस जारी (जुलाई 2015) कर दिया गया है। इसके साथ शासन ने यह भी कहा (अक्टूबर 2015) कि अन्तर की राशि को जमा न करने वालों के प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। यद्यपि, अगस्त 2010 में आबंटित भूमि के चौथे प्रकरण में शासन का उत्तर अप्राप्त (अक्टूबर 2015) है।

2.8.2 केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा निर्धारित दर से निम्न दर पर भू–प्रीमियम का निर्धारण

कम्पनी ने केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भू–प्रीमियम का निर्धारण न करने के कारण औद्योगिक क्षेत्र के बाहर आबंटित भूमि के तीन प्रकरणों में ₹ 29.31 करोड़ की कम वसूली की।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, छत्तीसगढ़ के केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड (सीव्हीबी), विभिन्न भूमि की प्रकृति व स्थिति के अनुसार उनका मूल्य निर्धारित करती है। सरकारी भूमि का आबंटन करते हुए कम्पनी सीव्हीबी द्वारा निर्धारित दर से भू–प्रीमियम वसूल करती है।

(अ) हमने पाया कि दो प्रकरणों में कम्पनी ने मुख्य मार्ग पर स्थित 22.268 हेक्टेयर सरकारी भूमि का आबंटन (जुलाई 2010 और अक्टूबर 2011) सीव्हीबी द्वारा निर्धारित दर से निम्न दर पर किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.36 करोड़ के भू–प्रीमियम तथा 99 वर्षों की लीज

[7] पड़ती भूमि

अवधि के लिए ₹ 20.96 करोड़ के भू–भाटक की कम वसूली हुई, जिनका विवरण *अनुलग्नक – 2.12* व *अनुलग्नक – 2.13* में दिया गया है।

प्रबंधन ने जुलाई 2010 में आबंटित भूमि के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये कहा (जुलाई 2015) कि अंतर की राशि का भुगतान करने के लिये नोटिस जारी कर दिया गया है। अक्टूबर 2011 में किये गये आबंटन के संबंध में, प्रबंधन ने कहा कि उल्लेखित भूमि आबंटन के समय मुख्य मार्ग पर स्थित नहीं थी तदानुसार मुख्य मार्ग पर लागू दर से वसूली नहीं की गई। शासन ने भी प्रबंधन के उत्तर पर अपनी सहमति (अक्टूबर 2015) व्यक्त की।

द्वितीय आबंटन के संबंध में उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि सरकारी अभिलेखों के अनुसार भूमि मुख्य मार्ग (रिंग रोड) पर स्थित थी तथा कम्पनी ने प्रारंभिक आबंटन के लिए प्रस्ताव जारी (29 मार्च 2011) करते समय इस तथ्य को स्वीकार किया था।

(ब) इसके अतिरिक्त, हमने पाया कि अन्य प्रकरण में कम्पनी ने मुख्य मार्ग से 46 मीटर के अन्दर स्थित 1.509 हेक्टेयर सरकारी भूमि का आबंटन (जनवरी और अक्टूबर 2010) निम्न दर पर मुख्य मार्ग से 46 मीटर से बाहर स्थित भूमि के लिए लागू दर से किया। कम्पनी ने एसआईपी के अधीन दुग्ध उद्योग फर्म के लिए लागू भू–प्रीमियम पर 50 प्रतिशत कटौती की भी छूट दी। यह सही नहीं था क्योंकि एसआईपी की कटौती औद्योगिक क्षेत्र की भूमि में स्थापित फर्म के लिए लागू थी जबकि उक्त भूमि औद्योगिक क्षेत्र के बाहर स्थित थी। इस प्रकार भूमि के लिए निम्न दर स्वीकार करने व भू–प्रीमियम में अनियमित रूप से 50 प्रतिशत की कटौती देने के परिणामस्वरूप भू–प्रीमियम पर ₹ 53.27 लाख व 99 वर्ष की लीज अवधि के लिए भू–भाटक ₹ 1.46 करोड़ की कम वसूली हुई जिसका विवरण *अनुलग्नक – 2.14* में दिया गया है।

शासन का उत्तर अप्राप्त (अक्टूबर 2015) है।

अनुशंसा:

कम्पनी को भू–प्रीमियम का निर्धारण करते समय सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए तथा आबंटितियों से कम वसूल की गई राशि को शीघ्र वसूल करना चाहिए।

₹ 2.98 करोड़ के दाण्डिक ब्याज की वसूली न होना

2.8.3 कम्पनी ने भिलाई में निवास सह व्यवसायिक कॉम्पलेक्स के निर्माण के लिए एक फर्म को निर्माणकर्ता के रूप में चयन (मार्च 2008) किया तथा कम्पनी और फर्म को प्राधिकृत करने वाला अनुबंध का निष्पादन जुलाई 2008 में हुआ था। प्राधिकृत अनुबंध की धारा 8.3 अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान भी करती है कि लीज डीड पर हस्ताक्षर के दिनाँक से भू–प्रीमियम चार बराबर तिमाही किश्तों में भुगतान किया जाये तथा भुगतान में चूक की दशा में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दाण्डिक ब्याज लिया जायेगा। प्राधिकृत अनुबंध की शर्त के अनुसार, कम्पनी ने फर्म को 16.390 हेक्टेयर भूमि ₹ 14.54 करोड़ के कुल प्रीमियम पर आबंटित (अप्रैल 2010) की।

भू–प्रीमियम के विलम्ब से भुगतान के फलस्वरूप कम्पनी ₹ 2.98 करोड़ के दाण्डिक ब्याज को वसूल करने में विफल रही।

लेखापरीक्षा संवीक्षा यह प्रकट करती है कि फर्म ने तिमाही किश्तों का विलम्ब से भुगतान किया यद्यपि उसने प्राधिकृत अनुबंध की धारा 8.3 के अनुसार विलंब से प्रीमियम के भुगतान के फलस्वरूप ₹ 2.98 करोड़ के दाण्डिक ब्याज का भुगतान नहीं किया तथा फर्म ने उक्त भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण दाण्डिक ब्याज को माफ करने हेतु कम्पनी से निवेदन किया (जुलाई 2013)। इस मामले पर कम्पनी द्वारा अब तक निर्णय लिया जाना शेष है (जून 2015)।

हमने पाया कि उक्त आबंटित भूमि अतिक्रमण से मुक्त थी और इस प्रकार अतिक्रमण के संबंध में फर्म का कथन सही नहीं था। कम्पनी ने राशि को तुरन्त वसूल करने के स्थान पर मामले को दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लंबित रखा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.98 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2015) कि राशि वसूल करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर भूमि का आबंटन

औद्योगिक क्षेत्र में भूमि के आबंटन के लिए उद्यमियों द्वारा कम्पनी को आवेदन देना होता है। कम्पनी भूमि आबंटन नियम 1974 (एलएआर 1974) के प्रावधानों के अनुसार उद्यमियों द्वारा पात्रता एवं शर्तों को पूरा करने की दशा में पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 99 वर्ष की लीज अवधि के लिए प्रचलित दर से भू–प्रीमियम, भू–भाटक, संधारण प्रभार व सड़क बत्ती प्रभार के आधार पर भूमि आबंटन करती है। भू–प्रीमियम की कुल राशि और एक वर्ष की अग्रिम भू–भाटक, संधारण प्रभार तथा सड़क बत्ती प्रभार प्राप्त होने के बाद भू–आबंटन आदेश जारी किया जाता है। लीज डीड के निष्पादन के पश्चात् आबंटितियों को भूमि का आधिपत्य प्रदान किया जाता है।

हमने 2010–15 के दौरान स्थापित चार औद्योगिक क्षेत्रों[8] में आबंटित भूमि की सभी 99 प्रकरणों की तथा 2010–15 के दौरान पुराने औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी (130) तथा बोरई (49) में आबंटित किये गये सभी प्रकरणों की समीक्षा की। समीक्षा में पायी गई कमियों की चर्चा अग्र कंडिकाओं में की गयी हैं।

भूमि के आबंटन के लिए समिति गठित नही करना

2.8.4 छत्तीसगढ़ शासन पर 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का (सिविल एवं वाणिज्यिक) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 6.2.23 के द्वारा यह बताया गया था कि कम्पनी द्वारा भूमि के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदनों को भू–प्रीमियम, भू–भाटक एवं अन्य संबंधित मामलों की वित्तीय दृष्टिकोण से जाँच के लिए वित्त अनुभाग के पास नहीं भेजा जाता था। ये आवेदन तकनीकी अनुभाग के पास भी नहीं भेजा जाता था, जिससे यह निश्चित किया जा सके कि आवेदित भूमि का क्षेत्र स्थापित किये जाने वाले उद्योग के तकनीकी मापदण्डों के अनुसार हैं या नहीं। इसके उत्तर में छत्तीसगढ़ शासन ने सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) के समक्ष कहा (सितम्बर 2010) कि भू–आबंटन के प्रकरण के लिए भू–आबंटन अनुभाग, वित्तीय अनुभाग एवं तकनीकी अनुभाग के प्रतिनिधि को सम्मिलित करते हुए आंतरिक समिति का गठन किया जायेगा।

यद्यपि, हमने पाया (जुलाई 2015) कि कम्पनी द्वारा अभी तक ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है।

प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2015) कि भू–आबंटन के लिए समिति गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि अब भू–आबंटन की प्रक्रिया को ऑन–लाईन कर दिया गया है।

[8] मेटल पार्क (51), इंजीनियरिंग पार्क (42), कापन औद्योगिक क्षेत्र (5) और टेकनार औद्योगिक क्षेत्र (1)

कम्पनी का उत्तर यह नहीं बताता है कि केवल ऑन–लाईन आवेदन प्राप्त होने मात्र से ही तकनीकी या वित्तीय पहलुओं की उचित ढंग से संवीक्षा कैसे होगी।
शासन का उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2015)।

लघु उद्योगों के लिए लागू दरों पर वृहत् उद्योगों को भूमि का आबंटन

2.8.5 एसआईपी 2009–14 के अनुसार, लघु उद्योग का अर्थ है ऐसे औद्योगिक उद्यम जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी अधिनियम, 2006 के अधीन लघु उद्यमों की परिभाषा में आता है एवं जिसके पास डीटीआईसी द्वारा जारी प्राविधिक पंजीयन प्रमाण पत्र हो। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र, बिलासपुर में कम्पनी ने एक फर्म को समाचार पत्र प्रिंटिंग एवं प्रकाशित इकाई स्थापित करने के लिए ₹ 12 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से एसएसआई वर्ग के अधीन 1.037 एकड़ भूमि आबंटित की (सितम्बर 2010)। कम्पनी ने एक अन्य फर्म को भी पैकेज्ड पेय जल संयंत्र की स्थापना के लिए ₹ 40 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से एसएसआई वर्ग के अधीन 2.009 एकड़ भूमि का आबंटन किया (जुलाई 2014) (विवरण ***अनुलग्नक – 2.15*** में)।

वृहत उद्योग इकाई को लघु उद्योग इकाई के लिए लागू दर से भूमि आबंटन के कारण कम्पनी को ₹ 86.33 लाख की हानि हुई।

हमने पाया (जुलाई 2015) कि समाचार पत्र छपाई फर्म भारत में एक अग्रणी प्रिंट मीडिया समूह है जो आठ राज्यों में 35 समाचार पत्र संस्करणों को प्रकाशित करता है एवं जिसका संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश एमएसएमई अधिनियम 2006 में एसएसआई उद्योग के लिए निर्धारित सीमा ₹ पाँच करोड़ से बहुत अधिक थी। इसके अतिरिक्त, पैकेज्ड जल निर्माणी फर्म भारत सरकार की मिनी रत्न कम्पनी (वर्ग–1) है, जिसका ₹ 33.03 करोड़ संयंत्र एवं मशीनरी में निवेशित है। तदानुसार, इन आबंटितियों को एसएसआई नहीं मानना चाहिए एवं भू–प्रीमियम वृहत्/मध्यम उद्योग के लिए प्रचलित दर जैसे समाचार पत्र प्रिंटिंग फर्म के लिए ₹ 20 लाख प्रति हेक्टेयर एवं पैकेज्ड जल निर्माणी फर्म के लिए ₹ 60 लाख की प्रचलित दर से वसूल करना चाहिए।

इस प्रकार भू–प्रीमियम की निम्न दर लेने के कारण कम्पनी को ₹ 21.59 लाख भू–प्रीमियम के रूप में एवं ₹ 64.74 लाख 99 वर्ष की अवधि के लिए भू–भाटक के रूप में हानि हुई जो ***अनुलग्नक – 2.15*** में वर्णित है।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2015) कि डीटीआईसी द्वारा जारी प्राविधिक पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार ये फर्म एसएसआई है एवं सीएसआईडीसी के पास उनकी स्थिति जानने का कोई दूसरा साधन नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी आबंटन के लिए अंतिम प्राधिकारी होते हुए तथा अपने हितों की सुरक्षा करने हेतु, केवल डीटीआईसी द्वारा जारी किए गए प्राविधिक प्रमाणपत्र पर पूर्णतः निर्भर नहीं होना चाहिए तथा उसे एसआईपी में उल्लेखित शर्तों के अनुसार एसएसआई की स्थिति सत्यापित करनी चाहिए थी। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि औद्योगिक क्षेत्र सिरगट्टी, बिलासपुर में समाचार पत्र प्रिंटिंग फर्म को भूमि आबंटन के

इसी प्रकार के मामले में लेखापरीक्षा[9] द्वारा सूचित करने के बाद कम्पनी ने वृहत्/मध्यम उद्योग के लिए प्रभावी दर से भू–प्रीमियम वसूल किया था (सितम्बर 2010)।

अनुशंसा:

कम्पनी को अन्तर की राशि अतिशीघ्र वसूल करना चाहिए एवं साथ ही एसएसआई स्थिति के सत्यापन के लिए एक प्रणाली भी विकसित करना चाहिए।

वाणिज्यिक दर पर भू–प्रीमियम वसूल नहीं करने के कारण ₹ 52.49 करोड़ की हानि

भूमि आबंटन के छः मामलों में वाणिज्यिक दरों पर भू–प्रीमियम वसूल नहीं कर पाने के कारण कम्पनी को ₹ 52.49 करोड़ की हानि हुई।

2.8.6 भूमि आबंटन नियम (एलएआर) 1974 के नियम 16 (i) कम्पनी को अनुषांगिक उद्देश्य (रेलवे साईडिंग, रेस्टोरेंट, डाक घर, बैंक, एसटीडी बूथ आदि) के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को वाणिज्यिक दर से भूमि आबंटन के लिए सक्षम बनाती है। कम्पनी भी औद्योगिक क्षेत्रों में वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक दरों पर भूमि आबंटित करती है।

हमने पाया कि दो मामलों में कम्पनी ने दो उद्योगों को कम्पनी द्वारा निर्धारित उच्च वाणिज्यिक दर के बदले में वृहत एवं मध्यम उद्योगों के लिए प्रभावी निम्न दर से रेलवे साईडिंग के निर्माण के लिए 14.33 हेक्टेयर भूमि आबंटित की (अगस्त 2012 एवं सितम्बर 2014 के मध्य)। भू–प्रीमियम निम्न दर से लेने के कारण कम्पनी को भू–प्रीमियम के रूप में ₹ 10.75 करोड़ एवं 99 वर्ष की अवधि के लिए भू–भाटक के रूप में ₹ 4.72 करोड़ की हानि हुई जिसे ***अनुलग्नक – 2.16*** में दिखाया गया है।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने चार मामलों में 5.894 हेक्टेयर भूमि सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र, बिलासपुर में कार/वाहन सेवा केन्द्र की स्थापना के लिए एसएसआई के अंतर्गत आबंटित की। हमने पाया कि इन प्रकरणों में भूमि आबंटन की दर एसएसआई की प्रभावी दर से न्यायोचित नहीं था क्योंकि वाहन सेवा केन्द्र उद्योग नहीं है और इसे एसएसआई नहीं माना जाना चाहिए था। सेवा केन्द्र पूर्णतः वाणिज्यिक गतिविधि है और इसलिए भू–प्रीमियम की वसूली वाणिज्यिक दर से किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, एसएसआई के लिए लागू भू–प्रीमियम की निम्न दर अनुचित रूप से अपनाने के फलस्वरूप भू–प्रीमियम के रूप में ₹ 1.56 करोड़ और 99 वर्षों की अवधि के लिए भू–भाटक के रूप में ₹ 4.72 करोड़ की हानि हुई जिसे ***अनुलग्नक – 2.17*** में दिखाया गया है।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2015) कि रेलवे साईडिंग के लिए आबंटन इकाईयों के कैप्टिव उपयोग हेतु है न कि वाणिज्यिक उपयोग हेतु। इसलिए इनको औद्योगिक दर से आबंटित किया गया न कि वाणिज्यिक दर से। सेवा केन्द्रों के लिए भूमि आबंटन के बारे में, शासन ने कहा कि इन आबंटितियों को एसएसआई दर पर भू–आबंटन डीटीआईसी द्वारा जारी प्राविधिक प्रमाण पत्र जिसमें इकाईयां एसएसआई के रूप में उल्लेखित थी के आधार पर किया गया।

[9] छत्तीसगढ़ शासन पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए की कंडिका क्रमांक 6.2.31

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि एलएआर 1974 के अनुसार रेलवे साईडिंग एक सहायक उद्देश्य है और कम्पनी के संचालक मंडल ने भी सहमति दी (मई 2010) कि औद्योगिक क्षेत्र में रेलवे साईडिंग के लिए वाणिज्यिक दर पर भूमि आबंटन किया जाएगा। सेवा केन्द्रों के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी को पूरी तरह डीटीआईसी द्वारा निर्गमित प्राविधिक प्रमाण पत्र पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और उन्हें एसआईपी प्रावधान के अनुसार एसएसआई की स्थिति का सत्यापन भी करना चाहिए था।

अनुशंसा:

कम्पनी को आबंटितियों से वाणिज्यिक दरों पर सहायक/वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए भू–प्रीमियम की वसूली करनी चाहिए एवं एसएसआई की स्थिति के सत्यापन के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

आबंटन पश्चात् निगरानी

भूमि के आबंटन के पश्चात् कम्पनी का उत्तरदायित्व यह देखना है कि उद्योगों की स्थापना निर्धारित अवधि के भीतर हुई है, आबंटन की शर्तों का पालन किया गया है और उपयोग प्रभार का समय पर भुगतान हुआ है। इस संबंध में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई।

आबंटितियों से ₹ 26.27 करोड़ की उपयोग प्रभार की वसूली न करना

आबंटितियों से लीज डीड के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 26.27 करोड़ के उपयोग प्रभार की वसूली न हो पाना।

2.8.7 लीज डीड के प्रावधान के अनुसार पट्टेदार उपयोग प्रभार का भुगतान प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी या उससे पूर्व करेगा (उपवाक्य 2) और यदि देयताओं का भुगतान एक माह के भीतर नहीं करता है, तो प्रथम वर्ष के लिए 18 प्रतिशत एवं प्रथम वर्ष के पश्चात् 24 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित किया जाएगा (उपवाक्य 3)। छः माह से बकाया राशि के संबंध में, पट्टेदाता द्वारा 21 दिन के नोटिस के पश्चात् लीज समाप्त कर दी जाएगी (उपवाक्य 26)। लीज डीड के उपवाक्य 39 में यह भी प्रावधानित है कि सभी वसूली योग्य रकम की वसूली लीज डीड के अधीन भू–राजस्व बकाया की वसूली की तरह किया जा सकता है। 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, 1112 आबंटितियों से 2010–15 की अवधि से संबंधित ₹ 26.27 करोड़ उपयोग प्रभारों की वसूली योग्य राशि का विवरण *अनुलग्नक – 2.18* में दिया गया है।

अभिलेखों की नमूना जाँच पर हमने पाया कि उपयोग प्रभारों की वसूली की प्रणाली और इसकी निगरानी की व्यवस्था अपर्याप्त थी। आबंटितियों को बकाया राशि का भुगतान समय पर करने हेतु कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व ही उपयोग प्रभारों की वसूली के संबंध में आबंटितियों को स्मरण कराने हेतु देयक जारी करने की कोई प्रणाली नहीं है। इसके अतिरिक्त, चूक आबंटितियों[10] (*अनुलग्नक – 2.19*) के 50 प्रकरणों की संवीक्षा में हमने पाया कि 29 प्रकरणों में भू–भाटक एक से पाँच वर्षों तक भुगतान न करने के बाद भी कम्पनी ने लीज डीड के निरस्तीकरण हेतु आबंटितियों को 21 दिनों का नोटिस निर्गमित नही किया। 11 प्रकरणों में यद्यपि कम्पनी ने एक से पाँच वर्षों की देरी के पश्चात् नोटिस जारी किया लेकिन अब तक लीज डीड निरस्त नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त, यद्यपि, 10 प्रकरणों में

[10] 55 में से 11 दुर्ग से, 188 में से 28 बिलासपुर से और 50 में से 11 औद्योगिक क्षेत्र से बाहर।

यद्यपि लीज डीड निरस्त कर दिया गया है लेकिन उपयोग प्रभार की वसूली भू–राजस्व के रूप में करने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2015) कि कम्पनी ने अक्टूबर 2014 से उपयोग प्रभार के भुगतान के लिए ऑन–लाईन प्रणाली प्रारंभ कर दी है। प्रबंधन ने यह भी कहा कि जिन आबंटितियों की अत्याधिक बकाया राशि है को नोटिस जारी कर दी है एवं भविश्य में चूक आबंटितियों को 21 दिन का नोटिस दिया जाएगा जैसा कि लेखापरीक्षा ने सुझाव दिया है।

यह सत्य है कि कम्पनी ने ऑन–लाईन प्रणाली शुरू कर दी है, यद्यपि, कम्पनी मुख्यालय रायपुर के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों के आबंटितियों का वर्ष–वार बकाया का विस्तृत विवरण प्रदान करने में असफल रही जो प्रदर्शित करता है कि ऑन–लाईन प्रणाली बकायों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए आवश्यक जानकारी नहीं दे पाता।

अनुशंसा:

कम्पनी को लीज डीड के प्रावधानों के अुनसार बकाया उपयोग प्रभार की वसूली के लिये चूक आबंटितियों के विरूद्ध तुरंत कार्यवाही करनी चाहिये।

उद्यमियों से ₹ 3.75 करोड़ की वसूली न होना जिन्होनें भू–प्रीमियम में रियायत के लिए शर्त का पालन नहीं किया

कम्पनी ने 10 उद्यमियों से जिन्होंने भू–प्रीमियम में रियायत की शर्तो का पालन नहीं किया था, से ₹ 3.75 करोड़ नहीं वसूले।

2.8.8 औद्योगिक निवेश को राज्य में बढ़ावा देने के लिए, एसआईपी 2009–14 पात्र उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आबंटन पर प्रीमियम में छूट/रियायत प्रदान करता है, भू–प्रीमियम में छूट प्राप्त करने के लिए उद्यमियों को छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग संचालनालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। उद्यमियों को वाणिज्यिक परिचालन का प्रारंभ, प्रमाण पत्र में निर्धारित समय सीमा के भीतर करना होता है नही ंतो पात्रता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जाएगा।

2010–15 के दौरान रियायती प्रीमियम पर भू–आबंटन के 16 प्रकरणों की जाँच में से 10 प्रकरणों में यह पाया गया कि उद्यमियों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ न करने के बाद भी कम्पनी के द्वारा रियायत के रूप में दी गई ₹ 3.75 करोड़ की राशि की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2015) कि संबंधित को आवश्यक आदेश दिए जा रहे हैं एवं उचित कार्यवाही की जाएगी।

2.9 दर अनुबंधों का अंतिमीकरण

राज्य शासन के विभागों (उपयोगकर्ता विभागों) को गुणवत्तायुक्त सामग्री की समय पर एवं मितव्ययी दरों पर आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा स्थानीय एसएसआई को प्रोत्साहित करने के लिए कम्पनी को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार एवं क्रय नियम, 2002 (भण्डार एवं क्रय नियम) के अनुसार सामग्री के क्रय के लिए दर अनुबंध (आरसी) के अंतिमीकरण के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया हैं। कम्पनी आरसी की प्रतिलिपि को समस्त उपयोगकर्ता विभागों को प्रसारित करती है एवं अपनी वेबसाईट पर भी अपलोड करती है। उपयोगकर्ता विभाग आरसी की नियम व शर्तों के अनुसार फर्मों को सीधे आपूर्ति आदेश जारी कर उनसे सामग्री का क्रय करते है एवं सीधे उन्हें भुगतान करते हैं। 2010–15 के दौरान अंतिमीकृत 212 में से 42 आरसी की संवीक्षा पर निम्नलिखित कमियाँ पाई।

निविदा आमंत्रण सूचना का अपर्याप्त प्रचार

2.9.1 भण्डार क्रय नियम के नियम 4.3.3 के अनुसार ₹ 20 लाख मूल्य से अधिक कार्य के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) कम से कम राज्य स्तर के दो एवं राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए। 42 दर अनुबंधों की नमूना जाँच में हमने पाया कि 14 मामलों में कम्पनी ने समाचार पत्रों की आवश्यक संख्या में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया।

आपत्ति को स्वीकार करते हुये प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2015) कि एनआईटी का प्रकाशन आवश्यक समाचार पत्रों की संख्या में किया जाएगा।

अमानत राशि (ईएमडी) के लिए मानदण्ड निर्धारित न होना

2.9.2 अमानत राशि वास्तविक निविदाकारों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ली जाती है एवं इसे न तो बहुत अधिक होना चाहिए न ही बहुत कम। कम्पनी ने ईएमडी के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए है एवं इसके अभाव में इसे अस्थायी आधार पर लिया जाता है। अधिकतर मामलों में कम्पनी ने ₹ 50000 एवं ₹ एक लाख की अमानत राशि ली लेकिन सायकल एवं प्रयोगशाला के उपकरणों की निविदा के प्रकरणों में क्रमशः ₹ 25 लाख एवं ₹ पाँच लाख की ईएमडी ली गई।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2015) कि वह आपत्ति से सहमत है एवं इसका पालन/क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

कम्पनी द्वारा अंतिमीकृत किये गये दर अनुबंधों में निगरानी का अभाव

2.9.3 कम्पनी जो कि आरसी अंतिमीकृत करने वाला प्राधिकरण है, को आरसी धारकों के निष्पादन के साथ ही उपयोगकर्ता विभागों के सामने आई कठिनाईयों, यदि कोई हो, के आंकलन के लिए आरसी क्रियान्वयन हेतु निगरानी की प्रणाली होनी चाहिए। आरसी के उपवाक्य 22 (3) के अनुसार, उपयोगकर्ता विभाग सभी आपूर्ति आदेशों की प्रतिलिपि कम्पनी को भेजेगें एवं इसी प्रकार आरसी धारक भी कम्पनी को आपूर्ति का त्रैमासिक पत्रक प्रस्तुत करेंगें। ऐसा करना डाटाबेस निर्मित करने के लिए आवश्यक है जिससे यह जाना जा सके कि क्या सभी आरसी धारकों को उनकी उत्पादन क्षमता के अनुसार समान रूप से आपूर्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं या किसी फर्म/फर्मों विशेष को अनुचित लाभ पहुँचाते हुये उसे जारी किए जा रहे है।

हमने यह पाया कि उपयोगकर्ता विभागों ने केवल दिसम्बर 2011 से फरवरी 2014 के दौरान ही आपूर्ति आदेशों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई तथा आरसी धारकों ने त्रैमासिक पत्रक जमा नहीं किए। अतः नियमित फीडबैक के अभाव में कम्पनी आरसी का कोई भी डाटाबेस तैयार नहीं कर पाई। हमने यह भी पाया कि विभिन्न उपयोगकर्ता विभागों ने आरसी के मानक नियम व शर्तों से अलग प्रपत्रों में आपूर्ति आदेश जारी किए जो यह इंगित करता है कि कम्पनी दर अनुबंध के नियम व शर्तों के अनुसार आरसी को लागू करने में विफल रही।

प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2015) कि उपयोगकर्ता विभागों से आपूर्ति आदेश प्राप्त नही होने के कारण वह आरसी की निगरानी एवं डाटाबेस नहीं बना पाई। शासन ने आपत्ति को स्वीकार करते हुये कहा (अक्टूबर 2015) कि इसका पालन/क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

अनुशंसाः

कम्पनी को आरसी की निगरानी के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

2.10 आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी

आंतरिक नियंत्रण एक सुरक्षा कवच है जिसे किसी संगठन के प्रबंधन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया जाता है कि उसके संचालन पूर्व नियोजित तरीके से ही आगे बढ़ रहे हैं। कम्पनी के निगरानी तंत्र एवं आंतरिक नियंत्रण में निम्नलिखित कमियां पाई गई हैं।

प्रबंध सूचना प्रणाली का अभाव

2.10.1 कम्पनी के पास प्रबंध सूचना प्रणाली की कोई नीति नहीं है एवं उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए सामयिक प्रपत्र/निष्पादन प्रतिवेदन निर्धारित नहीं है। इसके अभाव में प्रमुख गतिविधियाँ जैसे कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि के हस्तांतरण की स्थिति, विभिन्न अधोसंरचना एवं विकास परियोजनाओं को लागू करना, औद्योगिक क्षेत्रों में आबंटन के लिए उपलब्ध भूमि, उपयोग प्रभार का बकाया इत्यादि संचालक मण्डल एवं उच्च प्राधिकारियों से अपर्यवेक्षित रहे।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2015) कि कम्पनी ने आईएसओ प्रमाणन को प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है जो एमआईएस को पूर्ण करेगी।

अनुशंसा:

कम्पनी को एमआईएस लागू करना चाहिए।

अपर्याप्त एवं अप्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

2.10.2 आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण का एक आवश्यक घटक है। यह कम्पनी/शासन द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश, नियम व कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करता है।

हमने पाया कि कम्पनी के पास स्वयं का आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग नहीं है तथा उसने अब तक (जुलाई 2015) आंतरिक लेखापरीक्षा मैन्युअल तैयार नहीं किया था। चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा संपादित आंतरिक लेखापरीक्षा मुख्य रूप से लेखों की प्रारम्भिक जाँच तक ही सीमित थी जिससे भू–आबंटन, निविदा, उपयोग प्रभार की वसूली आदि जैसे मुख्य क्षेत्रों की संवीक्षा नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा आपत्तियों का अनुसरण एवं सुधारात्मक कार्यवाही नहीं हुई एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को संचालक मण्डल को अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2015) कि कम्पनी की प्राथमिकता लेखों के बकाया को पूर्ण करना है तथा बकाया पूर्ण होने के पश्चात् लेखापरीक्षा आपत्तियों का अनुसरण किया जाएगा। शासन ने भी कम्पनी के अभिमत पर अपनी सहमति (अक्टूबर 2015) व्यक्त की।

सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन का अभाव

2.10.3 सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन सम्पत्तियों के भौतिक अस्तित्व को निश्चित करता है तथा उसके सही लेखांकन को सुनिश्चित करता है। मुख्यालय में अभिलेखों की संवीक्षा से हमने पाया कि कम्पनी ने सम्पत्तियों की स्थिति एवं मात्रावार विवरण दर्शाने वाले सम्पत्ति रजिस्टर का संधारण नहीं किया। हमने यह भी पाया कि 2010–15 के दौरान सम्पत्तियों का कोई भी भौतिक सत्यापन नहीं हुआ। अतः सम्पत्तियों के लेखांकन व अस्तित्व से संबंधित कम्पनी में प्रचलित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बहुत कमजोर थी।

शासन ने आपत्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2015) तथा चालू वित्तीय वर्ष से सुधारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

अनुशंसा:

कम्पनी को सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से करना चाहिए।

निष्कर्ष एवं अनुशंसायें

- वार्षिक लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब तथा अग्रिम कर के भुगतान में बजटीय आय का गलत निर्धारण करने के कारण, कम्पनी को आयकर विभाग को ₹ 4.70 करोड़ के दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

 कम्पनी को बकाया लेखों को पूरा करने की आवश्यकता है। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अग्रिम आयकर के भुगतान के तारतम्य में उसे बजटीय आय की सामयिक समीक्षा की प्रणाली की योजना बनानी चाहिये।

- 2010–15 के दौरान, 31 मार्च 2015 की स्थिति में चार औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये तथा चार औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना प्रगति में थी। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी में विलम्ब, भूमि की अनुपलब्धता तथा अनुदान की शर्तों को पूरा न कर पाने के कारण भारत सरकार से अनुदान न मिल पाना इत्यादि कारणों से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में एक से पाँच वर्ष का विलम्ब हुआ।

 कम्पनी को परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिये तथा परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

- कम्पनी ने औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटन के लिये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिये निर्देशों के अनुसार वास्तविक लागत को ध्यान में रखे बिना अत्याधिक कम भू–प्रीमियम तथा संधारण प्रभार निर्धारित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 171.70 करोड़ की हानि हुई।

 कम्पनी को छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश के अनुरूप वास्तविक लागत को ध्यान में रखते हुये भू–प्रीमियम एवं संधारण प्रभार का निर्धारण करना चाहिए।

- औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर 446.112 हेक्टेयर भू–आबंटन के सात प्रकरणों में, शासकीय दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुये भू–प्रीमियम का कम निर्धारण करने के कारण कम्पनी ने ₹ 262.64 करोड़ के भू–प्रीमियम की कम वसूली की।

 कम्पनी को भू–प्रीमियम निर्धारित करते समय शासकीय दिशा–निर्देशों का पालन करना चाहिये तथा आबंटितियों से कम वसूली गई राशि को अतिशीघ्र वसूल करना चाहिये।

- औद्योगिक क्षेत्रों में छः प्रकरणों में सहायक/वाणिज्यिक उद्देश्य के लिये भू–आबंटन में कम्पनी द्वारा भू–आबंटन नियम, 1974 तथा कम्पनी के संचालक मंडल के निर्णय के अनुसार लागू वाणिज्यिक दरों पर भू–प्रीमियम की वसूली न करने के कारण ₹ 52.49 करोड़ की हानि हुई।

 कम्पनी को सहायक/वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए भू–प्रीमियम की वसूली लागू दरों/दिशा–निर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक दरों पर करनी चाहिये।

- 31 मार्च 2015 की स्थिति में पाँच वर्ष की अवधि तक 1112 आबंटितियों से ₹ 26.27 करोड़ की उपयोग प्रभार की राशि बकाया थी। कम्पनी ने लीज डीड के

प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता आबंटितियों के विरूद्ध उपयोग प्रभार की वसूली के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

कम्पनी को लीज डीड के प्रावधानों के अनुसार बकाया उपयोग प्रभार की वसूली के लिये तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये।

- कम्पनी के पास प्रबंध सूचना प्रणाली तथा आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग नहीं है। कम्पनी ने 2010–15 के दौरान सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन भी नहीं करवाया।

 कम्पनी को प्रबंध सूचना प्रणाली क्रियान्वित करनी चाहिये तथा नियमित रूप से सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन करना चाहिये।

तीसरा अध्याय

तीसरा अध्याय

3. लेन देन से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

इस अध्याय में राज्य शासन की कम्पनियों के लेन देनों की नमूना जाँच में पाई गईं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को सम्मिलित किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड

3.1 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड के ताप विद्युत गृहों में ठेके प्रदान करने में अनियमितताओं पर वृहद कंडिका

प्रस्तावना

3.1.1 छत्तीसगढ़ में विद्युत का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा किया जाता है जिसका समामेलन ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में एक पूर्ण स्वामित्व वाली शासकीय कम्पनी के रूप में 19 मई 2003 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत हुआ।

कम्पनी के पास चार ताप विद्युतगृह,[1] चार जल विद्युतगृह[2] एवं कवर्धा में एक को–जनरेशन संयंत्र[3] हैं। 31 मार्च 2015 को ताप, जल एवं को–जनरेशन विद्युतगृहों की स्थापित क्षमता क्रमशः 2280 मेगावाट, 138.70 मेगावाट एवं 6 मेगावाट थी।

कम्पनी अपने ताप विद्युतगृहों (टीपीएस) पर उपकरणों की ओवरहॉलिंग, उपकरणों के सुधार एवं संधारण, कोयले के परिवहन एवं अनलोडिंग, सुरक्षाकर्मियों के नियोजन, संयंत्रों तथा संबंधित भवनों की दैनिक साफ–सफाई इत्यादि के लिए निजी ठेकेदारों को ठेके देती हैं। मुख्य अभियंता (उत्पादन)/कार्यपालक निदेशक (उत्पादन) टीपीएस के कार्यकारी प्रमुख होते है जो कम्पनी के प्रबंध निदेशक के नियंत्रण में कार्य करते है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

3.1.2 वृहद कंडिका को शामिल करने का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्याः

- ठेके मानक विधियों के अनुसार पारदर्शी तरीके से दिए गए तथा उनके क्रियान्वयन से कम्पनी के हितों की रक्षा हुई; एवं
- कम्पनी एवं ठेकेदारों ने सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया।

लेखापरीक्षा के मानदण्ड

3.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के निर्धारण के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्त्रोतों से प्राप्त किए गए थेः

- मितव्ययिता, कार्यकुशलता एवं प्रभावकारिता के सिद्धांतों के संदर्भ में ठेके प्रदान करने हेतु मानक प्रक्रियाऐं,

[1] कोरबा ताप विद्युतगृह (केटीपीएस), हसदेव ताप विद्युतगृह (एचटीपीएस), हसदेव ताप विद्युतगृह विस्तार परियोजना एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युतगृह (डीएसपीएम)।

[2] हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना कोरबा, मिनी जल विद्युत परियोजना कोरबा (पश्चिम), गंगरेल जल विद्युत परियोजना धमतरी एवं सिकासार जल विद्युत परियोजना।

[3] को–जनरेशन अर्थात ताप एवं विद्युत का एक ही समय पर उत्पादन।

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश, सामान्य वित्तीय नियम, 2005; एवं
- न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 एवं छत्तीसगढ़ शासन तथा श्रम आयुक्त द्वारा ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को देय वेतन संबंधी अनुदेश/आदेश।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

3.1.4 लेखापरीक्षा जाँच मई 2015 से जुलाई 2015 की अवधि के मध्य निष्पादित की गई जिसके दौरान चार टीपीएस में से दो अर्थात कोरबा ताप विद्युतगृह (केटीपीएस) एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युतगृह (डीएसपीएम) में 2010–11 से 2014–15 तक दिए गए ठेकों की जाँच की गई।

लेखापरीक्षा आपत्तियों से कम्पनी तथा राज्य शासन को जुलाई 2015 में सूचित किया गया एवं 30 सितंबर 2015 को आयोजित निर्गमन सम्मेलन में चर्चा की गई। निर्गमन सम्मेलन में प्रमुख सचिव (ऊर्जा) एवं कम्पनी के प्रबंध संचालक सम्मिलित थे। कम्पनी तथा शासन ने लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तर सितंबर 2015 में दिया। निर्गमन सम्मेलन में उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों एवं उत्तर को वृहद् कंडिका के अंतिमीकरण के समय ध्यान में रखा गया है।

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

लेखापरीक्षा आपत्तियों की चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई हैं।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन कर ₹ 1.96 करोड़ मूल्य का ठेका दिया गया

3.1.5 केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीव्हीसी) के दिशा–निर्देश (3 मार्च 2007) के अनुसार, निविदा के पश्चात् न्यूनतम निविदाकार से निगोसियेशन की अनुमति प्रोप्रॉइटरी वस्तुओं, आपूर्ति के सीमित स्त्रोतों वाली वस्तुओं एवं वस्तुऐं जिसमें कार्टेल निर्माण का संदेह हो, को छोड़कर, नहीं है। कम्पनी ने अपने कर्मचारियों को सीव्हीसी के दिशा–निर्देशों का दृढ़ता से अनुपालन करने के लिए निर्देशित (नवंबर 2011) किया।

कम्पनी ने केटीपीएस में राखड़ बांध के विस्तार कार्य हेतु निविदा आमंत्रित (मई 2012) की। कुल प्राप्त चार निविदाओं में से दो निविदाकार जिन्होंने निविदा के मापदण्डों को पूर्ण किया था, के प्राइस बिड खोले गए। मेसर्स नीलकंठम् सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने ₹ 2.53 करोड़ की न्यूनतम दर उद्धरित की जो कि अनुमानित लागत ₹ 1.91 करोड़ से 32.69 प्रतिशत अधिक थी।

अधिक दर प्राप्त होने एवं निराशाजनक प्रतिभागिता को देखते हुए मुख्य अभियंता (सिविल एवं संधारण–उत्पादन) ने निविदा को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करने की अनुशंसा की (12 जुलाई 2012), जिसमें कम दर प्राप्त होने की संभावनाएँ थी। यद्यपि, कार्यपालक निदेशक (वित्त) ने मुख्य अभियंता (सिविल एवं संधारण–उत्पादन) को यह सुझाव दिया (16 जुलाई 2012) कि न्यूनतम निविदाकार से निगोसियेशन कर दर कम करवाने का प्रयास किया जाए।

तदानुसार, एल–1 फर्म से निगोसियेशन की गई (24 अगस्त 2012) एवं फर्म ने उद्धरित दर ₹ 2.53 करोड़ से कम कर ₹ 1.96 करोड़ कर दिया। कम्पनी ने ₹ 1.96 करोड़ में फर्म को ठेका (10 जनवरी 2013) दिया ।

अतः सीव्हीसी के उपरोक्त दिशा–निर्देश (मार्च 2007) का उल्लंघन करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित करने के बजाए न्यूनतम निविदाकार से निगोसियेशन कर अपारदर्शी तरीके से ठेका दिया गया।

निर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2015) शासन ने कहा कि निगोसियेशन कम्पनी की नीति के अनुसार किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया कि यह मामला राखड़ बांध के विस्तार से संबंधित है जो कि बॉयलर से बांध तक राखड़ की निकासी को सुगम बनाने के लिए आवश्यक था जिससे उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए विद्युत का उत्पादन अबाध रूप से हो सके।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा जनवरी 2013 में ठेका देने के पश्चात् अगस्त 2014 में अपनाई गई कथित नीति केवल सीव्हीसी के दिशा–निर्देश को दोहराती है, जिसका अनुसरण वर्तमान मामले में नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त वन विभाग से मंजूरी नहीं प्राप्त होने के कारण ठेकेदार को कार्यस्थल का हस्तांतरण ठेका देने के 15 माह पश्चात् केवल अप्रैल 2014 में किया गया। यह इंगित करता है कि ठेका अति–आवश्यक प्रकृति का नहीं था।

अनुशंसाः

कम्पनी को ठेका देने में सीव्हीसी के दिशा–निर्देशों का कठोरता से अनुपालन करना चाहिए।

ब्याज रहित अतिरिक्त मोबिलाईजेशन अग्रिम का भुगतान – ₹ 1.11 करोड़

3.1.6 सामान्य वित्तीय नियम, 2005 (जीएफआर) के नियम 159(1)(ii) के प्रावधान के अनुसार राज्य अथवा केन्द्र शासन की एजेंसी अथवा सार्वजनिक उपक्रमों को अग्रिम का भुगतान ठेका मूल्य के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

कम्पनी ने (25 जून 2013) डीएसपीएम के हाई प्रेशर एवं इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाइन मॉड्यूल के सुधार का ठेका भारत हेव्ही इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को ₹ 30.50 करोड़ (एक्स–वर्क्स मूल्य ₹ 26.62 करोड़) में एक्स–वर्क्स मूल्य के 50 प्रतिशत ब्याज रहित मोबिलाईजेशन अग्रिम भुगतान की शर्त के साथ दिया। तदानुसार, ₹ 13.31 करोड़ का ब्याज रहित मोबिलाईजेशन अग्रिम बीएचईएल को दिया गया (जुलाई 2013)।

जीएफआर के उक्त प्रावधान के अनुसार, बीएचईएल को देय अधिकतम मोबिलाईजेशन अग्रिम ₹ 12.20 करोड़ होना चाहिए था जो कि ठेका मूल्य का 40 प्रतिशत है। अतः बीएचईएल को ₹ 1.11 करोड़ अतिरिक्त ब्याज रहित मोबिलाईजेशन अग्रिम दिया गया। अग्रिम का समायोजन मार्च 2015 में किया गया। हमने यह पाया कि ब्याज रहित अग्रिम देने की अवधि में ही कम्पनी ने पावर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 12.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण लिया था। अतः बीएचईएल को ₹ 1.11 करोड़ अतिरिक्त ब्याज रहित मोबिलाईजेशन अग्रिम का भुगतान कम्पनी के वित्तीय हित में नहीं था एवं इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.13 लाख[4] के परिहार्य ब्याज का भार वहन करना पड़ा।

निर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितंम्बर 2015), शासन ने कहा कि यह एक आपातकालीन स्थिति थी एवं बीएचईएल अपने नियम व शर्तों को शिथिल करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिये यह डीएसपीएम में 250 मेगावाट इकाई के सुधारकार्य को जल्दी पूर्ण करने के लिए एक बार की व्यवस्था थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने सामान्य वित्तीय नियम 2005 का पालन नहीं किया एवं अभिलेखों से यह प्रतीत नहीं होता कि कम्पनी ने बीएचईएल से मोबिलाईजेशन अग्रिम की राशि को जीएफआर में निर्धारित सीमा के अंदर रखवाने का प्रयास किया।

[4] ब्याज की गणना ₹ 1.11 करोड़ पर 12.50 प्रतिशत की दर से अगस्त 2013 से मार्च 2015 तक के लिए की गई है।

अनुशंसाः

कम्पनी को ठेकेदारों को मोबिलाईजेशन अग्रिम प्रदान करने में नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए।

प्रचलित निर्देशों का उल्लंघन कर लॉटरी प्रणाली के आधार पर ठेका प्रदान किया जाना

3.1.7 पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (सीएसईबी) का परिपत्र दिनांक 29 मई 2008 बताता है कि कार्टेल उपवाक्य को भविष्य की निविदाओं में इस तरह सम्मिलित किया जाए कि "समान दर उद्धरित करना अर्थात पूल दर स्वीकार्य नहीं है, अगर दो से अधिक निविदाकारों द्वारा समान दर दी गई हो, तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जाएगा"। मुख्य अभियंता (भंडार एवं क्रय–उत्पादन) ने निर्देशित किया (अप्रैल 2014) कि निविदा उपवाक्यों को इस तरीके से सम्मिलित किया जाए जिससे समान दर की बोली न लगाई जा सके और लॉटरी प्रणाली[5] से बचा जा सके।

कम्पनी ने केटीपीएस के बॉयलर और टरबाईन के 1095 पालियों में रख–रखाव के लिए निविदा आमंत्रित (दिसम्बर 2014) की। प्राइस बिड खोली गयी (21 जनवरी 2015) और 12 निविदाकार फर्मों में से 11 फर्मो ने बेस रेट (₹ 1620.00 प्रति पाली) पर समान लाभ दर (₹ 0.01) की बोली लगाई एवं 11 फर्मों के बीच लॉटरी निकाली गयी जो कि मेसर्स एपी कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेस के पक्ष में थी। तदानुसार फर्म को ठेका ₹ 19.93 लाख में प्रदान किया गया (31 मार्च 2015)।

अतः कम्पनी ने समान दर वाली बोलियों को अस्वीकार नहीं किया एवं उपरोक्त ठेका लॉटरी के आधार पर प्रदान किया जो कि सीएसईबी के परिपत्र दिनांक 29 मई 2008 और कम्पनी के निर्देश का उल्लंघन हैं।

निर्गमन सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान शासन ने कहा कि सभी निविदाकारों ने समान बोली लगायी और लॉटरी कम्पनी की नीति के अनुसार ही निकाली गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने लॉटरी के आधार पर ठेका प्रदान किया जो कि प्रचलित निर्देशों का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी की उक्त नीति जिसके आधार पर ठेका प्रदान किया गया था, लेखापरीक्षा के द्वारा निर्गमन सम्मेलन में अनुरोध किए जाने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

अनुशंसाः

कम्पनी को प्रचलित निर्देशों के अनुसार निविदाओं में उपयुक्त उपवाक्य समावेशित करना चाहिए जिससे लॉटरी प्रणाली को टाला जा सके।

विशेष भत्ते का भुगतान न होना

3.1.8 छत्तीसगढ़ शासन ने विशेष भत्ते के भुगतान के उद्देश्य से सम्पूर्ण राज्य को तीन श्रेणियों (अ, ब एवं स) में विभक्त किया (नवम्बर 2010) एवं कोरबा जिले को 'ब' श्रेणी में रखा गया। तदानुसार, कोरबा जिले में श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के अतिरिक्त प्रत्येक आकस्मिक श्रमिक को ₹ 10.00 प्रतिदिन का विशेष भत्ता देय था।

कम्पनी ने केटीपीएस में सुरक्षाकर्मियों के नियोजन का ठेका मेसर्स एड्वर्ड इंटरप्राइजेज को एक वर्ष की अवधि के लिए ₹ 70.28 लाख की लागत पर दिया (21 फरवरी 2013)।

[5] चिट्ठी डालकर सफल निविदाकार का चयन करना।

लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि अप्रैल 2013 से फरवरी 2014 के दौरान ठेकेदार ने 62 सुरक्षाकर्मियों को विशेष भत्ते[6] का भुगतान नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ शासन के उपरोक्त आदेश का उल्लंघन हुआ तथा इसके कारण सुरक्षाकर्मी विशेष भत्ते के अधिकार से वंचित रहे।

निर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2015) शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया एवं कहा कि ठेकेदार को अंतर की राशि का भुगतान सुरक्षाकर्मियों को करने का सुझाव दिया गया है।

अनुशंसा :

कम्पनी को अपने ठेकेदारों द्वारा नियोजित मजदूरों को प्रचलित कानूनों/अनुदेशों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

- **सीव्हीसी के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन कर कोरबा ताप विद्युतगृह (केटीपीएस) में राखड़ बांध के विस्तार का ठेका ₹ 1.96 करोड़ में निगोशिएशन वार्ता के आधार पर दिया गया।**

 यह अनुशंसा की जाती है कि कम्पनी को ठेका देते समय सीव्हीसी के दिशा–निर्देशों का कठोरता से अनुपालन करना चाहिए।

- **डीएसपीएम में हाई प्रेशर एवं इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाईन मॉड्यूल के सुधारकार्य के ठेके में भारत हेव्ही इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सामान्य वित्तीय नियम, 2005 का उल्लंघन करते हुए ₹ 1.11 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज रहित मोबिलाईजेशन अग्रिम दिया गया।**

 यह अनुशंसा की जाती है कि कम्पनी को ठेकेदारों को मोबिलाईजेशन अग्रिम देने में नियमों का कठोरता से अनुपालन करना चाहिए।

- **केटीपीएस में बॉयलर एवं टर्बाईन के संधारण का ठेका प्रचलित अनुदेशों एवं आदेशों के उल्लंघन में लॉटरी प्रणाली से दिया गया।**

 कम्पनी को लॉटरी प्रणाली से बचने के लिए निविदाओं में उपयुक्त उपवाक्य समावेशित करना चाहिए।

- **कम्पनी छत्तीसगढ़ शासन के आदेशों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों को विशेष भत्ते के भुगतान को सुनिश्चित करने में विफल रही।**

 यह अनुशंसा की जाती है कि कम्पनी को प्रचलित कानूनों/आदेशों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को देय राशि के भुगतान को सुनिश्चित करना चाहिए।

3.2 दाण्डिक ब्याज का परिहार्य भुगतान

जल का उपयोग प्रारम्भ करने की अवधि को बढ़ाने के लिए कमिटमेंट चार्जेस के भुगतान में विलम्ब के कारण कंपनी को दाण्डिक ब्याज के रूप में ₹ 57.76 लाख की हानि हुई ।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) ने अपने कोरबा पश्चिम ताप विद्युत विस्तार परियोजना स्टेज–3 (विद्युत संयंत्र) के लिये जल संसाधन विभाग,

[6] ₹ 1.79 लाख।

छत्तीसगढ़ शासन को 26 मिलियन घन मीटर (एमसीएम) जल आबंटन हेतु आवेदन किया (6 जुलाई 2004), जिसे जल संसाधन विभाग द्वारा 5 अक्टूबर 2005 को अनुमोदित किया गया।

जल आबंटन पत्र के उपवाक्य – 8 के अनुसार जल का उपयोग, जल आबंटन की तिथि यथा 4 अक्टूबर 2009 से चार वर्षों के अन्दर प्रारम्भ करना होगा अन्यथा जल उपयोग प्रारम्भ करने की अवधि को दो वर्ष बढ़ाने के लिये प्रथम वर्ष में आबंटित जल की सम्पूर्ण मात्रा का 5 प्रतिशत अंश एवं दूसरे वर्ष में 10 प्रतिशत अंश की जल राशि कमिटमेंट चार्जेस के रूप में संबंधित वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तीन माह के अन्दर भुगतान करनी होगी। इसके अतिरिक्त, जल संसाधन विभाग द्वारा जारी (अप्रैल 2007) परिपत्र के अनुसार, कमिटमेंट चार्जेस के भुगतान में विलंब होने पर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दाण्डिक ब्याज लगेगा।

हमने पाया कि कम्पनी अपने विद्युत संयंत्र की स्थापना में विलम्ब के कारण जल संसाधन विभाग से जल का आहरण, जल आबंटन तिथि यथा 4 अक्टूबर 2009 से चार वर्ष के अन्दर करने में विफल रही एवं जल संसाधन विभाग ने जल का उपयोग प्रारम्भ करने की अवधि को बिना किसी कमिटमेंट चार्जेस के वर्ष 2012 तक बढ़ाने हेतु निवेदन (17 दिसम्बर 2009) किया। यद्यपि, जल संसाधन विभाग ने कमिटमेंट चार्जेस की छूट का निवेदन स्वीकार नहीं किया और कम्पनी को आबंटन अगले 2 वर्ष यथा 4 अक्टूबर 2011 तक बनाये रखने के लिये कमिटमेंट चार्जेस का भुगतान करने हेतु निर्देश (29 जनवरी 2010) दिया।

बाद में, जल संसाधन विभाग ने समयावधि को अतिरिक्त दो वर्षों यथा 4 अक्टूबर 2011 तक बढाने के लिए कमिटमेंट चार्जेस के रूप में ₹ 2.19 करोड़ (विलंब से भुगतान हेतु ₹ 8.29 लाख की दाण्डिक ब्याज को सम्मिलित करते हुए) का माँग पत्र जारी किया (18 जनवरी 2011) जिसे कम्पनी द्वारा 11 सितम्बर 2012 को भुगतान किया गया। चूंकि कम्पनी विद्युत संयंत्र की स्थापना में विफल हुई इसलिए इसने बाद में जल उपयोग की अवधि को बिना किसी कमिटमेंट चार्जेस के सितम्बर 2012 तक बढ़ाने के लिए जल संसाधन विभाग से निवेदन किया (17 जनवरी 2012) । यद्यपि जल संसाधन विभाग ने पुनः अगले दो वर्षों के लिए 5 अक्टूबर 2013 तक ₹ 93.61 लाख (विलम्ब से भुगतान के लिए ₹ 49.47 लाख को सम्मिलित करते हुए) की मांग की तथा कम्पनी ने इसे 27 नवंबर 2013 को भुगतान कर दिया।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा जल संसाधन विभाग को समय पर कमिटमेंट चार्जेस का भुगतान न करने के कारण अनावश्यक रूप से ₹ 57.76 लाख (₹ 8.29 लाख एवं ₹ 49.47 लाख) के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा। यदि कमिटमेंट चार्जेस का भुगतान समय पर किया जाता, तो ₹ 57.76 लाख के दाण्डिक ब्याज को टाला जा सकता था।

प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2014) कि कमिटमेंट चार्जेस के भुगतान से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। यह भी कहा गया कि जल संसाधन विभाग का एकाधिकार होने के कारण कम्पनी को उनकी शर्तें मानने के लिये बाध्य होना पड़ा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी को जानकारी थी कि आबंटन पत्र की कंडिका 8 के अनुसार कमिटमेंट चार्जेस देय था तथा भुगतान न किये जाने की स्थिति में कम्पनी को अप्रैल 2007 के परिपत्र के अनुसार दाण्डिक ब्याज भी देय था। साथ ही उत्तर से यह भी स्पष्ट है कि कम्पनी जानती थी कि जल संसाधन विभाग का एकाधिकार है और इसलिये कम्पनी उनकी शर्तों को मानने के लिये बाध्य थी और इस प्रकार कम्पनी को अधिक दाण्डिक ब्याज से बचने के लिए पहली बार में ही कमिटमेंट चार्जेस का भुगतान समय पर कर देना चाहिए था।

कम्पनी को संबंधित प्राधिकारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे कि शास्ति के भुगतान से बचा जा सके।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित (जुलाई 2015) किया, उनका उत्तर अप्राप्त (अक्टूबर 2015) है।

3.3 निष्क्रिय उपकरण के निपटान में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय

कोरबा ताप विद्युतगृह में अवशिष्ट बाई–केबल रोपवे प्रणाली के निपटान में विलम्ब होने के कारण कम्पनी को सुरक्षाकर्मी नियोजित करने पड़े, जिस पर उसे ₹ 32.96 लाख का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड ने कोरबा ताप विद्युतगृह में अपने निष्क्रिय बाई–केबल रोप वे (बीसीआरडब्ल्यू) प्रणाली को अपलिखित कर अवशिष्ट (स्क्रेप) के रूप में ई–ऑक्शन द्वारा निपटान करने का निर्णय (29 जून 2012) लिया गया ।

हमने यह पाया कि आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लिए समिति का गठन (28 दिसंबर 2012) बीसीआरडब्ल्यू के निपटान करने के निर्णय के छः माह बाद किया गया। इसके अतिरिक्त, आरक्षित मूल्य को भी बार–बार परिवर्तित किया गया (फरवरी 2013 अप्रैल 2013 एवं सितंबर 2013) जिससे बीसीआरडब्ल्यू के निपटान में विलम्ब हुआ। अनुपयोगी बीसीआरडब्ल्यू को अंततः ई–ऑक्शन द्वारा 10 दिसंबर 2013 को निपटान के निर्णय के 17 माह पश्चात् निपटान किया गया। इस दौरान कम्पनी ने बीसीआरडब्ल्यू पर दिसंम्बर 2013 तक अर्थात् निपटान की तिथि तक निजी ठेकेदारों द्वारा सुरक्षाकर्मियों को नियोजित किया।
इसके अतिरिक्त हमने यह भी पाया कि कम्पनी ने निविदा/ई–ऑक्शन के अंतिमीकरण के लिए 100 दिन की समय सीमा निर्धारित की है। यदि कम्पनी ने 100 दिन की निर्धारित समय सीमा के अंदर बीसीआरडब्ल्यू को ई–ऑक्शन द्वारा निपटान करने के लिए अविलम्ब कार्यवाही की होती तो बीसीआरडब्ल्यू पर सुरक्षाकर्मियों को नियोजित करने की आवश्यकता नवम्बर 2012 से नहीं होती। कम्पनी ने नवंबर 2012 से दिसंम्बर 2013 तक अनुपयोगी बीसीआरडब्ल्यू की सुरक्षा पर ₹ 32.96 लाख का व्यय किया। इस प्रकार अनुपयोगी बीसीआरडब्ल्यू प्रणाली के निपटान में विलम्ब के परिणामस्वरूप उसकी सुरक्षा पर ₹ 32.96 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

शासन ने कहा (सितंम्बर 2015) कि भविष्य में अनुपयोगी वस्तुओं की पहचान कर उसके समय पर निपटान हेतु निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा।

कम्पनी को निर्धारित समय सीमा के अंदर अनुपयोगी वस्तुओं के निपटान के लिए ठोस कार्यवाही करनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड

3.4 कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति एवं अधिक वेतन का भुगतान

कम्पनी ने बिना किसी अनुमोदित सेटअप के कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा आधार पर की एवं शासन के नियमों और निर्देशों का उल्लंघन करते हुये उच्चतर समेकित वेतन का भुगतान किया, जिससे ₹ 56.98 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना (अक्टूबर 2010) पूर्ण रूप से राज्य सरकार के स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में हुई। कम्पनी का मुख्य कार्य सरकारी विभागों की ओर से स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणों एवं दवाइयों का क्रय तथा चिकित्सालय भवनों का निर्माण करना है। कम्पनी की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित करते समय छत्तीसगढ़ शासन ने निर्णय लिया (मार्च 2010) कि आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति कम्पनी द्वारा प्रशासकीय विभाग यथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से नये सेटअप (जैसे पदों की संख्या, योग्यता, पात्रता मापदण्ड, वेतन एवं भत्ते इत्यादि) के आवश्यक अनुमोदन के पश्चात् ही की जाएगी।

तदानुसार, कम्पनी के संचालक मंडल ने इसकी प्रथम बैठक (मार्च 2011) में निर्णय लिया कि कर्मचारियों कि नियुक्ति या तो केन्द्र/राज्य शासन के विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी या 'छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस (संविदा नियुक्ति) नियम 2004' (संविदा नियम) के अनुसार, संविदा आधार पर होगी और संविदा कर्मचारियों को वेतन का भुगतान संविदा नियम के अनुसार समेकित आधार पर किया जायेगा। संविदा नियम 2004 में संशोधन शासन द्वारा दिसम्बर 2012 में संविदा नियम 2012 के रूप में किया गया था।

संविदा नियम प्रावधानित करता है कि संविदा नियुक्ति या तो सीधी भर्ती या तो शासकीय सेवाओं से सेवानिवृत्त व्यक्तियों से की जा सकती है (नियम 5) एवं नियुक्ति अवधि सामान्यतः तीन वर्ष होगी, जिसे आवश्यकता होने पर बढ़ाया जा सकता है (नियम 11)। यह भी प्रावधानित है कि सीधी भर्ती में नियुक्त किये गये संविदा कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित एकमुश्त समेकित राशि वेतन के रूप में दी जायेगी (नियम 12)। तदानुसार, शासन ने सीधी भर्ती में नियुक्त किये गये संविदा कर्मचारियों को दी जाने वाली एकमुश्त राशि समय–समय पर अधिसूचित (2005, 2007, 2009, 2012 और 2013) की।

कम्पनी ने अपनी स्थापना से लेकर फरवरी 2015 तक विभिन्न पदों पर संविदा आधार (सीधी भर्ती) पर 135 व्यक्तियों को नियुक्त किया, जिन्हें समेकित वेतन दिया गया जैसा कि ***अनुलग्नक – 3.1*** में वर्णित किया गया है। इस सम्बन्ध में हमने निम्नलिखित पाया (जून 2014):

अ) जनशक्ति सेटअप के अनुमोदन के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद कम्पनी ने इसके अनुमोदन के लिये जून 2014 तक शासन को नहीं भेजा। यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लिये जाने के बाद इसे जुलाई 2014 में शासन को भेजा गया; परन्तु इसका अनुमोदन अभी तक (अक्टूबर 2015) शासन द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार 132 संविदा कर्मचारियों (तीन कार्यपालक अभियंताओं को छोड़कर जिनकी स्वीकृति पृथक रूप से शासन द्वारा दी गयी थी) की नियुक्ति सेटअप के अनुमोदन के बिना अनियमित थी।

प्रबन्धन ने कहा (मार्च 2015) कि सेटअप का अनुमोदन वित्त एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों की सहमति से, संचालक मण्डल द्वारा किया गया है, जो कि संचालक मंडल के सदस्य भी थे एवं उनके अनुमोदन को प्रशासनिक अनुमोदन माना जाता है।

प्रबंधन ने यह भी कहा कि औपचारिक तकनीकि स्वीकृति के लिये सेटअप शासन को भेजा गया है (जुलाई 2014) जो कि प्रक्रियाधीन है।

प्रबंधन का उत्तर सुनिश्चित करता है कि नियुक्तियाँ सेटअप के अनुमोदन के बिना की गयी। सेटअप का संचालक मंडल द्वारा अनुमोदन किये जाने से संबंधित उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासन का मार्च 2010 का आदेश स्पष्ट करता है कि कर्मचारियों की नियुक्ति के पूर्व, प्रशासनिक विभाग द्वारा सेटअप का अनुमोदन किया जाना था, जो कि अभी तक लंबित है।

ब) कम्पनी, शासन के अनुमोदन के बिना संविदा नियम के अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित वेतन से अधिक राशि भुगतान कर रही है परिणामस्वरूप फरवरी 2015 तक ₹ 56.98 लाख का अधिक अनियमित भुगतान हुआ जैसा कि ***अनुलग्नक–3.1*** में वर्णित है। यहां तक कि समान ग्रेड पे वाले पदों में कम्पनी द्वारा निर्धारित किये गये समेकित वेतन में अंतर हैं। साथ ही ₹ 8700/– ग्रेड पे में संविदा आधार पर महाप्रबंधक की नियुक्ति पूर्णतः अनियमित है, क्योंकि संविदा नियम के अनुसार संविदा नियुक्ति केवल ₹ 7600/– ग्रेड पे तक के लिए की जा सकती है।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2015) कि कम्पनी की स्वयं की आय का स्त्रोत है एवं स्वायत्तशासी निकाय होते हुए समेकित वेतन का निर्धारण कार्य के उत्तरदायित्व एवं स्थिति के अनुसार किया गया।

उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि सरकारी कम्पनी होते हुये इसे संविदा नियम का पालन कड़ाई से करना चाहिये तथा कोई भी परिवर्तन शासन के पूर्व अनुमोदन से ही करना चाहिये था। साथ ही संविदा नियम का उल्लंघन करते हुये ₹ 8700 ग्रेड पे वाले पदों पर संविदा आधार पर महाप्रबंधकों की नियुक्ति पर प्रबंधन का उत्तर मौन है।

इस प्रकार, जनशक्ति सेटअप का शासन द्वारा अनुमोदन लंबित होते हुये कर्मचारियों की नियुक्ति और संविदा नियम 2012 के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित वेतन से उच्चतर समेकित वेतन का भुगतान अनियमित है और परिणामतः फरवरी 2015 तक ₹ 56.98 लाख का अधिक भुगतान हुआ। अधिक भुगतान किया जाना शासन के निर्देशों (मार्च 2003 और अक्टूबर 2009) का उल्लंघन था जिसमें यह निर्देशित किया गया था कि सभी राज्य शासन के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं निगमों के कर्मचारियों को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य अनुलाभ दिये जायेंगे एवं शासन की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा क्योंकि इससे कर्मचारियों के मध्य भेदभाव उत्पन्न होगा।

कम्पनी को शासन से जन–शक्ति सेटअप का अनुमोदन तत्काल कराना चाहिये एवं समेकित वेतन का भुगतान संविदा नियम के अनुसार कड़ाई से करना चाहिये जिससे कि अतिरिक्त भुगतान को रोका जा सके।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित (अप्रैल 2015) किया, उनका उत्तर अप्राप्त (अक्टूबर 2015) है।

छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड

3.5 ब्याज की हानि

बचत और चालू बैंक खातों में ऑटो स्वीप सुविधा न लेने के कारण कम्पनी को ₹ 5.98 करोड़ की ब्याज की हानि हुई।

छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड (कम्पनी) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार के साथ–साथ छत्तीसगढ़ शासन से भी पुलिस विभाग, पुलिस स्टेशनों, चौकियों तथा आवासीय भवनों के निर्माण इत्यादि हेतु निधि प्राप्त करता है। ये कार्य कम्पनी द्वारा बनाये गये प्राक्कलन के आधार पर निक्षेप कार्य के रूप में ठेकेदारों के माध्यम से कराये जाते हैं। चूँकि कम्पनी राशि प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ करती है एवं प्राक्कलन के निर्माण, अनुमोदन एवं निविदा प्रक्रिया में समय लगता हैं तब तक भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशि कंपनी के विभिन्न खातों में बिना खर्च किये हुये पड़ी रहती हैं। 31 मार्च 2014 की स्थिति में कम्पनी के 13 बैंकों में 21 बचत खाते[7] एवं तीन चालू खाते[8] थे।

हमने पाया कि ये सभी बैंक बचत खाते एवं चालू खाते में ऑटो स्वीप सुविधा (योजना) प्रारम्भ कर चुके थे। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ता को बैंक की योजना के आधार पर खाते में कुछ न्यूनतम शेष रखना पड़ता है तथा न्यूनतम शेष से अधिक राशि स्वतः सावधि जमा खातें में नियमित अंतराल में (बैंक की योजना के आधार पर प्रतिदिन एवं साप्ताहिक) उस अवधि तक जब तक कि उपभोक्ता द्वारा इसका उपयोग नहीं कर लिया जाता, अंतरित हो जाती है। उपभोक्ता की आवश्यकतानुसार यदि बचत/चालू खाते में राशि अपर्याप्त होने पर सावधि जमा खाता अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन (लिफो) आधार पर स्वतः ही बंद हो जाता है (आहरण की राशि के आधार पर) तथा ब्याज की गणना उस अवधि तक की जाती है, जब तक कि राशि इस योजना में थी।

हमने पाया कि 21 बचत खाते एवं तीन चालू खाते में से कम्पनी ने केवल दो चालू खातों में (पंजाब नेशनल बैंक–खाता क्रमांक– 611400C400000018 एवं भारतीय स्टेट बैंक खाता क्रमांक– 32260616504) ऑटो स्वीप सुविधा ली है। अन्य बैंकों में ऑटो स्वीप सुविधा न लेने के परिणामस्वरूप कम्पनी ने कम ब्याज दर पर अत्यधिक राशि बचत/ चालू खाते में रखी। 21 बचत खाते में से 15 बचत खाते एवं एक चालू खाते की नमूना जाँच से पता चला कि यदि कम्पनी इन खातों में भी ऑटो स्वीप सुविधा लेती तो उसे फरवरी 2013 से मार्च 2014 तक ₹ 5.98 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज की प्राप्ति होती (बचत खाते में प्राप्त ब्याज के अतिरिक्त), जैसा कि ***अनुलग्नक–3.2*** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा दिये गये सुझाव पर सभी बैंकों में ऑटो स्वीप सुविधा ली जा चुकी है। शासन ने भी प्रबंधन के मत पर अपनी सहमति दी (अगस्त 2015)।

तथ्य यह हैं कि बैंक खातों में ऑटो स्वीप सुविधा नहीं लेने के कारण कम्पनी को ₹ 5.98 करोड़ के ब्याज की हानि हुई तथा लेखापरीक्षा से आपत्ति लिये जाने के बाद ही कम्पनी ने सुधारात्मक कार्यवाही की।

[7] भारतीय स्टेट बैंक (तीन खाते), इंडियन ओवरसीज बैंक (तीन खाते), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक (तीन खाते), कोटक महिंद्रा बैंक (दो खाते), आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इण्डसइण्ड बैंक, एचडीएफसी बैंक (दो खाते), आईडीबीआई बैंक, आईएनजी वैश्य बैंक, यस बैंक एवं इंडियन बैंक

[8] भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं एचडीएफसी बैंक

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड

3.6 दाण्डिक ब्याज का परिहार्य भुगतान

कम्पनी द्वारा कम अग्रिम कर जमा करने एवं समय पर आयकर विवरणियों को दाखिल नहीं करने के कारण ₹ 8.38 करोड़ के दाण्डिक ब्याज का परिहार्य भुगतान किया गया

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 सहपठित धारा 166 एवं 216 के अनुसार, कम्पनी के संचालक मण्डल का यह उत्तरदायित्व हैं कि वह वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अंदर कम्पनी के लेखों के साथ लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) की धारा 208 के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम कर देय होगा यदि करदाता द्वारा देय कर की राशि दस हजार रूपए या इससे अधिक है। धारा 208 के अनुपालन में विफलता की स्थिति में करदाता, आयकर अधिनियम की धारा 234 ए/बी/सी के तहत् दाण्डिक ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) का निगमन 8 अक्टूबर 2004 को हुआ था एवं कम्पनी के वार्षिक लेखे तैयार करने में बैकलॉग था। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) की कण्डिका 4.3.8 के द्वारा बताया गया था कि कम्पनी समय पर अपने वार्षिक लेखे तैयार करने में विफल थी एवं अग्रिम कर के भुगतान के उद्देश्य से बजटीय आय का उचित निर्धारण समय पर करने में भी विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2005–06 से 2008–09 तक के लिए ₹ 52.68 लाख के दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा। उत्तर में राज्य शासन ने कम्पनी को समय पर लेखे तैयार करने के निर्देश जारी किए (जुलाई 2010) जिससे भविष्य में इस प्रकार की चूक की पुनरावृत्ति को टाला जा सके।

अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि शासन के निर्देश जारी करने के पश्चात् कम्पनी ने दिसंम्बर 2014 तक छः वार्षिक लेखे (2004–06[9] से 2010–11) अंतिमीकृत किए थे। यद्यपि, कम्पनी सम्पूर्ण बैकलॉग को समाप्त नहीं कर पाई एवं तीन वार्षिक लेखे (2011–12 से 2013–14) आज दिनांक तक (अक्टूबर 2015) बकाया हैं। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों की संवीक्षा से यह भी पता चला कि कम्पनी ने वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के वार्षिक लेखों का अंतिमीकरण क्रमशः 28 फरवरी 2014 एवं 15 दिसम्बर 2014 को किया एवं आयकर विवरणियाँ क्रमशः 28 फरवरी 2014 एवं 24 दिसम्बर 2014 को दाखिल की।

हमने पाया कि कम्पनी ने वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के वास्तविक लाभ क्रमशः ₹ 18.75 करोड़ एवं ₹ 32.16 करोड़ के विरूद्ध ₹ 12.69 करोड़ एवं ₹ 14.16 करोड़ के अनुमानित लाभ का आंकलन किया। परिणामस्वरूप कम्पनी ने वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के लिए वास्तविक देय कर क्रमशः ₹ 6.88 करोड़ एवं ₹ 10.68 करोड़ के विरूद्ध क्रमशः ₹ 4.29 करोड़ एवं ₹ 3.77 करोड़ के अग्रिम कर का भुगतान किया। अतः लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब, बजटीय आय के सही निर्धारण में विफलता एवं आयकर विवरणियों को विलम्ब से दाखिल करने के कारण कम्पनी को वित्तीय वर्ष

[9] 8 अक्टूबर 2004 से 31 मार्च 2006 तक

2009–10 एवं 2010–11 के लिए अधिनियम की धारा 234 ए/बी/सी के तहत् ₹ 2.48 करोड़[10] एवं ₹ 5.90 करोड़[11] के दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

प्रबंधन ने कहा (जून 2015) कि लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब प्रारंभिक समस्याओं के कारण हुआ जैसे कि मण्डी बोर्ड द्वारा सम्पत्ति एवं दायित्वों के स्थानांतरण में विलम्ब, प्रथम सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा न करना एवं उचित लेखांकन कार्मिकों की अनुपलब्धता। प्रबंधन ने आगे आश्वासन दिया कि बकाया लेखों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा तथा कम्पनी ने वर्ष 2011–12 से 2013–14 के लिए वास्तविक कर दायित्व का भुगतान कर दिया तथा उन वर्षों के लिए प्रावधिक लेखों के आधार पर आयकर विवरणी भी दाखिल कर दी हैं।

तथ्य यह रहा कि कम्पनी ने लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब, बजटीय आय के गलत निर्धारण एवं आयकर विवरणियों को विलम्ब से दाखिल करने के कारण आयकर विभाग को वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के लिए अग्रिम आयकर का कम भुगतान किया एवं इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.38 करोड़ के दाण्डिक ब्याज का भुगतान किया।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2015) तथा उनका उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2015)।

3.7 कृषि उपज का बीमा नही होने से हानि

'मध्यप्रदेश कृषि भण्डारगृह अधिनियम 1947' के प्रावधान के अनुसार अपने भण्डारगृहों में जमा कृषि उपज का बीमा करवाने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 85.62 लाख की हानि हुई।

छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना 2004 में मुख्यतः कृषकों को अलग–अलग फसल के गुणवत्तायुक्त बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुई थी। कम्पनी बीज का क्रय कर उसे प्रसंस्करण केन्द्रों[12] के भण्डारगृहों में जमा करती है एवं तत्पश्चात् किसानों को बीज का विक्रय करती है।

मध्यप्रदेश कृषि भण्डारगृह अधिनियम, 1947, (अधिनियम)[13] में कृषि उपज के भण्डारण के लिए भण्डारगृहों की स्थापना को प्रोत्साहित करने और उनके उचित पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान दिये गये हैं। अधिनियम की धारा 13 के अनुसार "प्रत्येक भण्डारगृह कर्मचारी द्वारा भण्डारगृह में जमा उत्पादों का बीमा ऐसे जोखिमों के विरूद्ध, ऐसी सीमा तक एवं ऐसी विधि से किया जाना चाहिए जैसा कि निर्धारित किया गया है।" इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश कृषि भण्डारगृह नियम, 1961 (नियम) के नियम 31 के अनुसार, "भण्डारगृह कर्मचारी को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किये जाने पर सम्पूर्ण भण्डारगृह का बीमा अग्नि एवं अन्य जोखिमों के विरूद्ध करवाना चाहिए। उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भण्डारगृह में जमा सामग्रियाँ आग के जोखिम

[10] धारा 234 ए के तहत् ₹ 1.06 करोड, धारा 234 बी के तहत् ₹ 1.22 करोड़ एवं धारा 234 सी के तहत् ₹ 0.20 करोड़

[11] धारा 234 ए के तहत् ₹ 2.60 करोड, धारा 234 बी के तहत् ₹ 3.00 करोड़ एवं धारा 234 सी के तहत् ₹ 0.30 करोड़

[12] कम्पनी के पास 27 प्रसंस्करण केन्द्र हैं।

[13] नए राज्य के निर्माण के परिणामस्वरूप यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू है।

इत्यादि से सुरक्षित हैं एवं ऐसे जमाकर्ता को इस उद्देश्य के लिये एजेंट की तरह माना जाएगा।"

अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2014) से यह ज्ञात हुआ कि 24 मई 2013 को कम्पनी के अभनपुर स्थित प्रसंस्करण केन्द्र के भण्डारगृह में गंभीर आगजनी की घटना हुई जिसके कारण ₹ 96.64 लाख मूल्य के 4733.60 क्विंटल धान एवं 8225 नग जूट की बोरियों की क्षति हुई। क्षतिग्रस्त वस्तुओं की बिक्री से कम्पनी को ₹ 11.02 लाख की प्राप्ति हुई।

हमने यह पाया कि कम्पनी ने मध्यप्रदेश कृषि भण्डारगृह अधिनियम, 1947 एवं मध्यप्रदेश कृषि भण्डारगृह नियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपने किसी भी भण्डारगृह एवं उनमें जमा कृषि उपज का बीमा नहीं करवाया। अतः कम्पनी को अभनपुर में आगजनी के कारण ₹ 85.62 लाख (₹ 96.64 लाख – ₹ 11.02 लाख) की हानि हुई।

प्रबंधन ने कहा (जून 2015) कि 14 नवंबर 2015 से प्रत्येक भण्डारगृह का बीमा करवाया गया है एवं इसे प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जाएगा।

तथ्य यह रहा कि मध्यप्रदेश कृषि भण्डारगृह अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अनुसार, भण्डारगृहों में जमा कृषि उत्पादों का बीमा करवाने में कम्पनी की विफलता के कारण कम्पनी को ₹ 85.62 लाख की हानि हुई।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2015) तथा उनका उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2015)।

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड

3.8 स्वयं के मार्जिन से मूल्य संवर्द्धित कर का भुगतान करने के कारण हानि

कम्पनी ने भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के विक्रय पर मूल्य संवर्द्धित कर का भुगतान फुटकर विक्रेताओं से वसूलने के बजाए स्वयं के मार्जिन से किया, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 53.65 करोड़ की हानि हुई।

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (कम्पनी) छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के अंतर्गत एक एफएल 10 अनुज्ञप्तिधारी (भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के पंजीकृत ब्रांड के विक्रय हेतु अनुज्ञप्तिधारी), की स्थापना (नवम्बर 2001) छत्तीसगढ़ राज्य में भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल/विदेशी मदिरा) के क्रय, भण्डारण एवं विक्रय हेतु छत्तीसगढ़ शासन के थोक अभिकर्ता के रूप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र सरकारी कम्पनी के रूप में हुई। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये कम्पनी लैण्डिंग मूल्य[14] पर विदेशी मदिरा की आपूर्ति हेतु पंजीकरण के लिए विदेशी मदिरा के आपूर्तिकर्ताओं/निर्माताओं (आपूर्तिकर्ताओं) से निविदा आमंत्रित करती है। लैण्डिंग मूल्य का अनुमोदन आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कम्पनी द्वारा किया जाता हैं।

कम्पनी पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से विभिन्न ब्रांड की विदेशी मदिरा क्रय करके गोदाम में भण्डार करती है एवं लैंण्डिंग मूल्य में अपना मार्जिन (2013–14 एवं 2014–15 के दौरान 10 प्रतिशत) जोड़ कर फुटकर विक्रेताओं, जिनके पास राज्य उत्पाद शुल्क विभाग का परमिट हो, को विक्रय करती है। कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया मार्जिन

[14] वह मूल्य जिस पर कम्पनी आपूर्तिकर्ताओं से विदेशी मदिरा का स्टॉक इसके गोदाम में प्राप्त करता हैं।

इसके राजस्व का एकमात्र स्त्रोत है, जिसका उपयोग इसके प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय की पूर्ति के लिए भी किया जाता है।

छत्तीसगढ़ शासन ने एफएल 10 अनुज्ञप्तिधारी यथा कम्पनी द्वारा विदेशी मदिरा के विक्रय पर "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम 2013" के अंतर्गत सात प्रतिशत की दर से मूल्य संवर्द्धित कर (वैट) लेना प्रारंभ किया। चूँकि वर्ष 2013–14 के लिए विदेशी मदिरा का लैण्डिंग मूल्य, न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर मूल्य[15] पहले ही निर्धारित किया जा चुका था, इसलिए कम्पनी ने वैट राशि फुटकर विक्रेताओं से वसूल नहीं करने का निर्णय लिया (13 सितम्बर 2013) क्योंकि इससे फुटकर मूल्य में वृद्धि होती एवं 2013–14 में कम्पनी ने वैट अपने मार्जिन से भुगतान किया। कम्पनी ने बाद में 2014–15 में भी वैट का भुगतान अपने मार्जिन से करने का निर्णय लिया (3 मार्च 2014)। तदानुसार कम्पनी ने अपने मार्जिन से वर्ष 2013–14[16] एवं 2014–15 के दौरान विदेशी मदिरा की कुल फुटकर बिक्री पर क्रमशः ₹ 28.76 करोड़ एवं ₹ 53.65 करोड़ वैट जमा कराया, जैसा कि ***अनुलग्नक – 3.3*** में वर्णित है।

हमने पाया कि 2014–15 में कम्पनी के द्वारा वैट का भुगतान अपने मार्जिन से करना कम्पनी के हित में नहीं था। वैट एक अप्रत्यक्ष कर है एवं उत्पाद के प्रत्येक स्तर पर बढ़े हुये मूल्य पर व्यापारियों पर लगाया जाता है। व्यापारी इस कर को उपभोक्ताओं से वसूल करता है एवं शासन के खाते में जमा करता है एवं इस प्रकार कर का भार उत्पाद के अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। इसलिए कम्पनी को वैट फुटकर विक्रेताओं से वसूल कर इसे शासन के खाते में जमा करना चाहिए था एवं फुटकर विक्रेता इस राशि को अंतिम उपभोक्ता से वसूल कर सकता था। यह भी उल्लेखनीय हैं कि एक तरफ कम्पनी ने अपने मार्जिन के प्रतिशत में राजस्व की कमी बताते हुये वृद्धि की (2011–12 में आठ प्रतिशत, 2012–13 में नौ प्रतिशत एवं 2013–14 में 10 प्रतिशत) वहीं दूसरी ओर वैट अपने मार्जिन से भुगतान किया, जो कि न्यायोचित नहीं हैं। इस प्रकार कम्पनी अपने वित्तीय हित को सुरक्षित रखने में विफल रही एवं 2014–15 में वैट राशि फुटकर विक्रेताओं से वसूल करने के बजाए कम्पनी ने अपने मार्जिन से भुगतान की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 53.65 करोड़ की हानि हुई।

कम्पनी ने कहा कि (अप्रैल 2015) शासन ने केवल एफएल–10 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रय की गई विदेशी मदिरा पर वैट लगाया था तथा यह फुटकर विक्रेताओं पर लागू नहीं था यद्यपि फुटकर विक्रेता राज्य में विदेशी मदिरा का लेनदेन करता है, इसलिए वैट की राशि फुटकर विक्रेताओं से वसूल नहीं की गई है एवं इसे कम्पनी ने अपने मार्जिन से भुगतान किया।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है, वैट उत्पाद पर एक अप्रत्यक्ष कर है एवं इसे अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाता है। इसलिए कम्पनी को वैट स्वयं के मार्जिन से भुगतान करने के बजाए फुटकर विक्रेताओं से वसूल करना चाहिए था।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित (अप्रैल 2015) किया उनका उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2015)।

15 राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा निर्धारित वह मूल्य जिस पर विदेशी मदिरा फुटकर विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को विक्रय की जाती है।

16 7 अगस्त 2013 से 31 मार्च 2014 तक।

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

3.9 शास्ति की अल्प वसूली

कम्पनी ने आपूर्तिकर्ता से निम्न दर पर शास्ति की वसूली की जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 1.22 करोड़ की हानि हुई साथ ही साथ आपूर्तिकर्ता को उस सीमा तक अनुचित लाभ मिला ।

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने मेसर्स नीलकण्ठ साल्ट कम्पनी, गांधीधाम, गुजरात (आपूर्तिकर्ता) के 8000 मीट्रिक टन आयोडाइज्ड नमक प्रति माह एक वर्ष के लिए ₹ 3690 प्रति मीट्रिक टन[17] की दर से आपूर्ति करने का क्रय आदेश जारी (जनवरी 2013) किया। निविदा के अनुलग्नक III के उपवाक्य 15 (डी) के अनुसार, यदि नमक की आपूर्ति 70 माइक्रॉन के निम्न पाली पैक में की गयी तो बिल की राशि पर पाँच प्रतिशत की दर से शास्ति आरोपित की जानी थी।

आपूर्तिकर्ता ने मार्च 2013 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान 93472.86 मीट्रिक टन नमक जिसका मूल्य ₹ 34.98 करोड़ था, की आपूर्ति की थी । अभिलेखों की संवीक्षा से यह प्रदर्शित होता है कि कम्पनी ने मार्च 2013 से अक्टूबर 2013 की अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता के बिलों से अमानक पाली पैक के कारण ₹ 66.63 लाख[18] की शास्ति काटी थी। शास्ति की कटौती पर आपूर्तिकर्ता फर्म ने स्वीकार किया कि नमक की आपूर्ति आदेश के अनुसार 70 माइक्रॉन के स्थान पर 60 माइक्रॉन के पाली पैक में की गयी थी तथा कम्पनी से अनुरोध (4 जून 2013) किया कि शास्ति ₹ 0.09 प्रति पाली पैक के स्थान पर ₹ 0.02 प्रति पाली पैक की दर से कटौती की जाये। अंततः कम्पनी ने (फरवरी 2014) 70 और 55 माइक्रॉन के बीच के पाली पैक पर लागत अंतर के आधार पर प्रति पाली पैक ₹ 0.05 की दर से 5200 मीट्रिक टन की दो रैक[19] के लिए ₹ 2.60 लाख शास्ति आरोपित किया तथा रोकी गई राशि का शेष ₹ 64.03 लाख वापस कर दिया।

हमने पाया (अगस्त 2014) कि आपूर्तिकर्ता के द्वारा 70 माइक्रॉन से निम्न स्तर (55 से 60 माइक्रॉन) के पाली पैक पर 67654.569 मीट्रिक टन[20] नमक मूल्य ₹ 25 करोड़ की आपूर्ति की गयी। तदानुसार, ₹ 25 करोड़ पर पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 1.25 करोड़ की शास्ति निविदा शर्तो के उपवाक्य 15 (डी) के अनुसार लगाया जाना था। जबकि कम्पनी ने केवल ₹ 2.60 लाख की शास्ति आरोपित की, जिसके परिणामस्वरूप शास्ति राशि ₹ 1.22 करोड़ की कम वसूली की गयी। परिणामतः आपूर्तिकर्ता को इस सीमा तक अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2014) कि कम्पनी ने प्रारंभिक तौर पर राशि रोकी तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा अपना पक्ष रखने के बाद यह निर्णय लिया गया कि 70 और 55 माइक्रॉन के बीच के पाली पैक के दो रैक पर जिसका माइक्रॉन निर्धारित स्तर से कम पाया गया है, पाली पैक की लागत के अन्तर के आधार पर ₹ 0.05 प्रति पाली पैक की दर से शास्ति की वसूली की जाये।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 70 माइक्रॉन के निम्न स्तर के पाली पैक पर

[17] अक्टूबर 2013 में रेल भाड़ा में वृद्धि के कारण ₹ 3861.30 प्रति मीट्रिक टन की दर से वृद्धि हुई।

[18] 12 मार्च 2013 से 11 जून 2013 के दौरान 17 रैक में हुई आपूर्ति के लिए ₹ 0.09 प्रति पाली पैक की दर से ₹ 35.28 लाख, 23 जून 2013 से 29 अगस्त 2013 के दौरान आठ रैक में हुई आपूर्ति के लिये ₹ 0.14 प्रति पाली पैक की दर से ₹ 29.09 लाख और 4 अक्टूबर 2013 को एक रैक में हुई आपूर्ति के लिये ₹ 0.09 प्रति पाली पैक की दर से ₹ 2.26 लाख।

[19] प्रति रैक में लगभग 2600 मीट्रिक टन आता है।

[20] 12 मार्च 2013 से 4 अक्टूबर 2013 के दौरान 27 रैक की आपूर्ति तथा 24 दिसम्बर 2013 को एक रैक की आपूर्ति।

67654.569 मीट्रिक टन नमक मूल्य ₹ 25 करोड़ की आपूर्ति की गयी थी। अतः निविदा शर्तो के अनुसार शास्ति कुल मात्रा 67654.569 मीट्रिक टन के बिल की राशि पर पाँच प्रतिशत की दर से आरोपित करना था। इसके अलावा, प्रबंधन का उत्तर कि केवल दो रैक के पाली पैक के माइक्रॉन में कमी इस तथ्य के द्वारा विरोधाभास प्रकट करता है कि कम्पनी के द्वारा मार्च 2013 से अक्टूबर 2013 के दौरान 26 रैक में पाली पैक में माइक्रॉन की कमी के कारण आपूर्तिकर्ता के बिलों से शास्ति काटा गया था।

कम्पनी को आपूर्तिकर्ता से ₹ 1.22 करोड़ की वसूली करनी चाहिए तथा कम शास्ति की वसूली के लिए जिम्मेदारी तय करना चाहिए।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित (जुलाई 2015) किया, उनका उत्तर अप्राप्त (अक्टूबर 2015) है।

3.10 जोखिम क्रय की लागत की वसूली न होना

कम्पनी के द्वारा आपूर्तिकर्ता से जोखिम क्रय की लागत की राशि ₹ 44.99 लाख की वसूली नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को उस सीमा तक अनुचित लाभ की प्राप्ति हुई।

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने मेसर्स संजय ग्रेन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर (आपूर्तिकर्ता) को बिलासपुर संभाग के लिए चार माह (2500 मीट्रिक टन प्रतिमाह) की अवधि के लिए ₹ 36000 प्रति मीट्रिक टन की दर से 10000 मीट्रिक टन पीली मटर दाल (दाल) की आपूर्ति करने का क्रय आदेश जारी (अप्रैल 2013) किया। निविदा के अनुलग्नक–II के उपवाक्य 7 के अनुसार, यदि कम्पनी को आवश्यकता हो तो आपूर्तिकर्ता उसी दर, नियम एवं शर्त पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त मात्रा आपूर्ति करने के लिए दायी था। इसके साथ ही, उपवाक्य 16 यह अनुबंधित करता है कि यदि आपूर्तिकर्ता आदेशित मात्रा की आपूर्ति करने में विफल हो जाता है तो कम्पनी अन्य आपूर्तिकर्ता से शेष मात्रा मूल आपूर्तिकर्ता की जोखिम व लागत के आधार पर क्रय कर सकता है। दाल के दो माह का भण्डार रखने के छत्तीसगढ़ शासन (शासन) के निर्देश को ध्यान में रखते हुये और दाल के क्रय के लिए नयी निविदा को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक समय को भी ध्यान में रखते हुये, कम्पनी ने (31 अगस्त 2013) निविदा शर्त के उपवाक्य 7 के अनुपालन में 2500 मीट्रिक टन दाल की अतिरिक्त मात्रा के लिये आपूर्तिकर्ता को विस्तार आदेश जारी किया ताकि नवम्बर 2013 तक की आवश्यकता के लिए पर्याप्त दाल की उपलब्धता हो सके।

हमने पाया कि आपूर्तिकर्ता ने बिलासपुर संभाग के लिए कुल आदेशित मात्रा 12500 मीट्रिक टन के विरूद्ध 11188.351 मीट्रिक टन दाल की आपूर्ति की थी। आपूर्तिकर्ता ने निविदा की शर्तों के उपवाक्य 7 के अनुसार ₹ 36000 प्रति मीट्रिक टन की दर से दाल की शेष मात्रा 1311.649 मीट्रिक टन की आपूर्ति नहीं की। तत्पश्चात् नवम्बर 2013 से कम्पनी ने नये अनुबंध के अधीन मेसर्स प्राइम विजन शुगर प्राइवेट लिमिटेड से बिलासपुर संभाग के लिए ₹ 39420 प्रति मीट्रिक टन की उच्चतर दर से दाल क्रय करना प्रारंभ किया। यदि आपूर्तिकर्ता ने पूरे आदेशित मात्रा की आपूर्ति की होती तो कम्पनी को नये अनुबंध के अधीन ₹ 39420 प्रति मीट्रिक टन की उच्चतर दर से दाल की शेष मात्रा 1311.649 मीट्रिक टन को क्रय करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार, आपूर्तिकर्ता के द्वारा दाल के आदेशित मात्रा की आपूर्ति नहीं करने के परिणामस्वरूप कम्पनी का ₹ 44.99 लाख[21] अतिरिक्त व्यय हुआ जो कि निविदा की शर्तो के उपवाक्य 16 के अनुसार जोखिम क्रय के लागत के आधार पर आपूर्तिकर्ता से वसूल किया जाना चाहिए था। यद्यपि, कम्पनी ने उक्त राशि को आपूर्तिकर्ता से वसूल

[21] 1311.649 मीट्रिक टन × (नयी दर ₹ 39420 – पुरानी दर ₹ 36000)

नहीं की। इसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹ 44.99 लाख की सीमा तक अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि मेसर्स संजय ग्रेन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने रायपुर संभाग को 1311.649 मीट्रिक टन की शेष मात्रा की आपूर्ति की थी और इस प्रकार 12500 मीट्रिक टन के आदेशित मात्रा की आपूर्ति हुई।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आपूर्तिकर्ता ने कम्पनी की आवश्यकता के अनुरूप रायपुर संभाग को ₹ 37340 प्रति मीट्रिक टन की भिन्न दर से 1311.649 मीट्रिक टन दाल की आपूर्ति की थी जो कि बिलासपुर संभाग के लिये 12500 मीट्रिक टन की कुल आदेशित मात्रा के अतिरिक्त थी।

कम्पनी को अतिशीघ्र मेसर्स संजय ग्रेन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर से जोखिम क्रय की लागत के आधार पर ₹ 44.99 लाख वसूल करना चाहिए।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित (जून 2015) किया, उनका उत्तर अप्राप्त (अक्टूबर 2015) है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

3.11 फ्रेंचाइजियों को अनुचित वित्तीय लाभ

विद्युत प्रभार की वसूली के लिए 'इनपुट आधरित फ्रेंचाइजी प्रणाली' के बजाय 'राजस्व आधारित फ्रेंचाइजी प्रणाली' को ही चालू रखने के कारण कम्पनी ने फ्रेंचाइजियों को ₹ 67.40 लाख का अतिरिक्त कमीशन का भुगतान किया ।

पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल (सीएसईबी) ने जिन ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक बिलों के 50 प्रतिशत से कम राजस्व वसूली है, में "वसूली आधारित राजस्व प्रणाली" (राजस्व आधारित प्रणाली) के अधीन विद्युत आपूर्ति, मीटर रीडिंग, बिलों का वितरण एवं राजस्व की वसूली के लिए फ्रेंचाइजियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया (सितम्बर 2006)। राजस्व आधारित प्रणाली के दिशा–निर्देश में अन्य बातों के साथ यह भी प्रावधान है कि यदि राजस्व की वसूली 50 प्रतिशत से कम है तो फ्रेंचाइजियों को पारिश्रमिक[22] मदवार दिया जायेगा। यदि राजस्व वसूली मासिक माँग का कम से कम 50 प्रतिशत हैं तो फ्रेंचाइजियों को कमीशन का भुगतान संग्रहित राशि का पाँच से 19 प्रतिशत की सीमा तक अथवा मदवार पारिश्रमिक, जो भी ज्यादा हो, किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, तिमाही राजस्व वसूली तिमाही माँग का 50 प्रतिशत से अधिक है तो ऐसे अतिरिक्त वसूली पर पाँच प्रतिशत की दर से फ्रेंचाइजियों को कमीशन भी भुगतान योग्य था।

तदानुसार, पूर्ववर्ती सीएसईबी ने संचालन एवं संधारण (ओएण्डएम) संभाग I एवं II, रायगढ़ के लिए मीटर रीडिंग, विद्युत बिलों के वितरण एवं वसूली तथा सूक्ष्म संधारण आदि के लिए 17 फ्रेंचाइजियों को प्रारंभ में दो वर्षों के लिए राजस्व आधारित प्रणाली के अधीन नियुक्त किया (दिसम्बर 2007 एवं फरवरी 2009 के मध्य)।

तदानुसार, सीएसईबी के पुनर्गठन के बाद, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) ने एक नई "इनपुट आधारित राजस्व वसूली फ्रेंचाइजी प्रणाली" (इनपुट आधारित प्रणाली) शुरू की (जनवरी 2010) जो पुरानी राजस्व आधारित प्रणाली की तुलना में अधिक मितव्ययी एवं प्रभावी थी क्योंकि इनपुट आधारित प्रणाली में कमीशन की दर कम थी तथा पारेषण एवं वितरण (टीएण्डडी) हानियों में कमी से सम्बधित भी थी। इनपुट आधारित प्रणाली के अधीन देय पारिश्रमिक निम्न था :

[22] ₹ 1.50 प्रति मीटर रीडिंग, एक रूपये बिल के वितरण के लिए एवं ₹ 2.50 प्रति बिल राजस्व वसूली के लिये

(क) कंडिका 5 (अ) के तहत मासिक माँग की वसूली के लिए नियमित कमीशन *तालिका – 3.1* में दर्शाया गया है।

तालिका – 3.1: इनपुट आधारित प्रणाली के अधीन फ्रेंचाइजियों को भुगतान योग्य पारिश्रमिक

क्र. सं.	मासिक माँग के संबंध में राजस्व की सीमा	फ्रेंचाइजियों का कमीशन
1	मासिक माँग का 0 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक	राजस्व वसूली का 5 प्रतिशत
2	मासिक माँग का 30 प्रतिशत से अधिक से 50 प्रतिशत तक	राजस्व वसूली का 7.5 प्रतिशत
3	मासिक माँग का 50 प्रतिशत से अधिक से 70 प्रतिशत तक	राजस्व वसूली का 13 प्रतिशत
4	मासिक माँग का 70 प्रतिशत से अधिक से 90 प्रतिशत तक	राजस्व वसूली का 15 प्रतिशत
5	मासिक माँग का 90 प्रतिशत से अधिक	राजस्व वसूली का 17 प्रतिशत

(ख) कंडिका 5 (ब) के तहत टीएण्डडी हानि पर आधारित अतिरिक्त भुगतान योग्य कमीशन *तालिका – 3.2* में दर्शाया गया हैं।

तालिका – 3.2: टीएण्डडी हानि पर आधारित इनपुट आधारित प्रणाली के अधीन फ्रेंचाइजियों को भुगतान योग्य अतिरिक्त कमीशन

क्र. सं.	टीएण्डडी हानि की सीमा	फ्रेंचाइजियों को अतिरिक्त कमीशन भुगतान योग्य
1	0 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक	वर्तमान मासिक माँग के विरूद्ध राजस्व वसूली का 3 प्रतिशत
2	10 प्रतिशत से अधिक 15 प्रतिशत तक	वर्तमान मासिक माँग के विरूद्ध राजस्व वसूली का 2.5 प्रतिशत
3	15 प्रतिशत से अधिक 25 प्रतिशत तक	वर्तमान मासिक माँग के विरूद्ध राजस्व वसूली का 1.5 प्रतिशत
4	25 प्रतिशत से अधिक	निरंक

कम्पनी ने ओएण्डएम संभाग I एवं II, रायगढ़ के लिए इनपुट आधारित प्रणाली के अधीन सात फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति के लिए आदेश दिया (दिसम्बर 2010 एवं फरवरी 2014 के मध्य)।

अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2014) में यह पाया गया कि यद्यपि, कम्पनी कुछ गाँवों में फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति में नयी "इनपुट आधारित प्रणाली" संचालित कर रही हैं, तथापि, अन्य गाँवों में विद्यमान फ्रेंचाइजियों की अवधि को जून 2013 तक बढ़ाकर पुरानी राजस्व आधारित प्रणाली को संचालित कर रही हैं, जिसे *अनुलग्नक – 3.4* में दर्शाया गया है।

हमने पाया कि चूँकि इनपुट आधारित प्रणाली अधिक मितव्ययी एवं प्रभावकारी थी, कम्पनी को पुराने राजस्व आधारित प्रणाली को विस्तार आदेश देने के बदले इनपुट आधारित प्रणाली को ओएण्डएम संभाग I एवं II, रायगढ़ के सभी स्थानों पर क्रियान्वित किया जाना चाहिए था। पुरानी राजस्व आधारित प्रणाली की अवधि का विस्तार करके कम्पनी ने इनपुट आधारित प्रणाली की तुलना में राजस्व आधरित प्रणाली के अंतर्गत उच्च कमीशन के भुगतान के कारण अप्रैल 2011 से जून 2013 तक *(अनुलग्नक – 3.5)* ₹ 67.40 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया। जिसके परिणामस्वरूप फ्रेंचाइजियों को उस सीमा तक अनुचित लाभ भी पहुँचा।

प्रबंधन ने कहा (मई 2015) कि इनपुट आधारित प्रणाली को कार्यान्वित न करने एवं पुरानी राजस्व आधारित प्रणाली को जारी रखने के कारण कम्पनी को कोई हानि नहीं हुई क्योंकि इनपुट आधारित प्रणाली की कंडिका 5 (ब) के अनुसार टीएण्डडी हानि की कमी के लिए फ्रेंचाइजियों को कुल मासिक माँग का तीन प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कमीशन का भुगतान करना पड़ेगा।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि इनपुट आधारित प्रणाली की कंडिका 5 (ब) के अनुसार फ्रेंचाइजियों को अतिरिक्त कमीशन तब भुगतान योग्य होगा जब टीएण्डडी हानि 25 प्रतिशत से कम हो। यद्यपि, संदर्भित मामलें में इस अवधि के दौरान फ्रेंचाइजियों को सौंपे गये सभी क्षेत्रों में टीएण्डडी हानि 50.50 प्रतिशत से 76.20 प्रतिशत के मध्य थी, इसलिए अतिरिक्त कमीशन के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित (जून 2015) किया है उनका उत्तर अप्राप्त (अक्टूबर 2015) है।

3.12 राजस्व की वसूली में विलम्ब

कम्पनी नियमित रूप से बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार करने में विफल रही एवं समाशोधित नहीं हुए धनादेशों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.04 करोड़ की राजस्व वसूली में असामान्य विलम्ब हुआ

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता, 2011 (आपूर्ति संहिता) के उपवाक्य 10.1 के अनुसार लाईसेंसधारियों जैसे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) को उपभोक्ताओं द्वारा खपत की गई विद्युत के लिए जारी किये गये बिल का भुगतान हर महीने करना पड़ता है।

कम्पनी का क्षेत्रीय लेखा कार्यालय, राजनांदगाँव (आरएओ) तीन चालू खाते भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) एवं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक (ग्रामीण बैंक) के साथ उपभोक्ताओं से राजस्व की वसूली के लिए संधारित करता है। यदि भुगतान धनादेश से प्राप्त होता है तो इसे संबंधित बैंक के पास समाशोधन के लिए भेजा जाता है एवं समाशोधन के बाद कम्पनी का लेखा धनादेश की राशि से क्रेडिट कर दिया जाता है। यहाँ बैंक समाधान विवरण पत्रक (बीआरएस) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह रोकड़ बही एवं बैंक विवरणी के मध्य बैंक शेष के समाशोधन के लिए आवश्यक उपकरण है जिससे प्रस्तुत नहीं किये गये/भुगतान प्राप्त नहीं हुए/ अनादृत धनादेश, डिमांड ड्राफ्ट आदि की निगरानी हो सके। एक विवेकपूर्ण वित्तीय प्रचलन एवं आन्तरिक नियंत्रण का उपकरण होने के कारण बीआरएस मासिक आधार पर तैयार करना चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2015) में यह पाया गया कि आरएओ ने नियमित रूप से बीआरएस नहीं बनाया एवं जनवरी 2015 तक केवल दिसम्बर 2013 तक के बीआरएस बनाये गये। बीआरएस की संवीक्षा में यह भी पाया गया कि 16 अप्रैल 2008 से 31 दिसम्बर 2013 की अवधि के दौरान विभिन्न उपभोक्ताओं से ₹ 1.04 करोड़ की राशि के धनादेश प्राप्त हुए तथा रोकड़ बही में डेबिट कर दिये गये एवं बैंक को समाशोधन के लिए प्रस्तुत कर दिये गये। यद्यपि एक से सात वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद भी जनवरी 2015 की स्थिति में, प्रस्तुत किये गये धनादेश कम्पनी के खाते में क्रेडिट नहीं हो पाये।

हमने पाया कि आरएओ ने धनादेशों की राशि खाते में क्रेडिट नहीं होने के कारणों को जानने के लिए न ही बैंक से और न ही स्वयं प्रयास किया जिससे सम्बन्धित उपभोक्ताओं से राशि वसूल की जा सके। चूँकि धनादेशों की वैधता अवधि छः/तीन माह थी इसलिए सभी लम्बित धनादेश की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी। भुगतान प्राप्त नहीं हुए धनादेश का संचित होना एवं इसका विलम्ब से पता चलने का मुख्य कारण आरएओ द्वारा विलंब से बीआरएस बनाना था। चूंकि जनवरी 2014 के बाद से बीआरएस अभी तक नहीं बनाये गये थे इसलिए जनवरी 2014 की अवधि के बाद समाशोधित नहीं हुए धनादेश के अस्तित्व की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह कम्पनी में राजस्व की वसूली में कमजोर आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली एवं कमजोर वित्तीय प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। लेखापरीक्षा द्वारा सूचित करने (जनवरी 2015) के बाद कम्पनी ने ₹ 82.39 लाख वसूल की और अगस्त 2015 तक ₹ 21.25 लाख वसूलना अभी भी बाकी था।

आरएओ ने कहा (फरवरी 2015) कि नियम के अनुसार उपभोक्ताओं से केवल स्थानीय धनादेश ही स्वीकार्य किया जाता है। यद्यपि, वितरण केन्द्रों द्वारा बाहरी धनादेशों को स्वीकार्य करने के कारण धनादेश को समाशोधन के लिए बाहरी बैंक शाखाओं में भेजा

गया एवं इस प्रक्रिया में ये धनादेश बिना भुगतान के रह गये।

उत्तर प्रदर्शित करता है कि निर्देशों का उल्लंघन करते हुए बाहरी धनादेशों के स्वीकार्य करने में वितरण केन्द्रों की गलती है। यद्यपि, आरएओ का ये उत्तरदायित्व है कि समय पर नियमित रूप से बीआरएस बनाये एवं भुगतान प्राप्त नहीं हुए धनादेशों पर त्वरित कार्यवाही करे जिससे अनुचित व्यवहार/धोखाधड़ी को कम किया जा सके।

शासन ने कहा (अगस्त 2015) कि शेष राशि ₹ 21.25 लाख की प्राप्ति में समय लगेगा क्योंकि यह पुरानी अवधि (2008–13) से संबंधित है।

तथ्य यह रहा कि विलम्ब से बीआरएस बनाने के परिणामस्वरूप पुरानी लम्बित राशि संचित हुई एवं वसूल नहीं हुई।

कम्पनी को विद्युत प्रभार के लिए बाहरी धनादेशों को स्वीकार्य नहीं करने एवं भुगतान प्राप्त नहीं हुए धनादेशों की निगरानी के लिए नियमित रूप से बीआरएस बनाने के लिए निर्देश जारी करना चाहिए।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड

3.13 संचालन एवं संधारण प्रभार की गैर वसूली

कम्पनी द्वारा साख पत्र लेने में विफल एवं पूलिंग सब स्टेशन से उपभोक्ता को विच्छेद करने में विलंब के परिणामस्वरूप पूलिंग सब स्टेशन के ओएण्डएम प्रभार के ₹ 71.23 लाख की वसूली न होना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) के आदेश (2 दिसम्बर 2010) के अनुसार ऐसे उपभोक्ता जिनके पास पूलिंग सब स्टेशन[23] है उन्हें पूलिंग सब स्टेशन के वास्तविक संचालन एवं संधारण (ओएण्डएम) प्रभार भुगतान करने का दायित्व है जब तक कि वह लोड केटरिंग सब स्टेशन (सामान्य सब स्टेशन जिससे अन्य इच्छुक उपभोक्ता भी जुड़ सके) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) में परिवर्तित नहीं हो जाता। पूलिंग सब स्टेशन का लोड केटरिंग सब स्टेशन में परिवर्तन होने के बाद सब स्टेशन का स्वामित्व कम्पनी को स्थानांतरित हो जाता है।

मेसर्स एस. व्ही. पावर प्राइवेट लिमिटेड (एसव्हीपीपीएल) एवं मेसर्स वन्दना एनर्जी एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड (व्हीईएसपीएल) प्रत्येक ने एक 132 केव्ही का पूलिंग सब स्टेशन क्रमशः रेनकी एवं छुरीखुर्द में स्थापित किया एवं कम्पनी के साथ अनुबंध किया (एसव्हीपीपीएल – 3 मार्च 2011 एवं 22 जुलाई 2013, व्हीईएसपीएल – 24 अक्टूबर 2011)। अनुबंध के अनुसार, ओएण्डएम प्रभार एसव्हीपीपीएल एवं व्हीईएसपीएल द्वारा पूलिंग सब स्टेशन की स्थापना या उसे स्वामित्व में लेने की तिथि से मासिक आधार पर भुगतान योग्य था। इसके अतिरिक्त अनुबंध की भुगतान की कंडिका 2 एवं 4 तथा बिलिंग के अनुसार, एसव्हीपीपीएल एवं व्हीईएसपीएल को कम्पनी के पक्ष में ओएण्डएम प्रभार के अनुमानित मासिक औसत बिलिंग का 105 प्रतिशत के बराबर साख पत्र जमा करना था। यदि 15 दिनों के अन्दर बिल का भुगतान नहीं किया जाता तो कम्पनी के पास विकल्प रहता है कि वह बिलों के भुगतान की वसूली साथ ही विलम्ब से भुगतान के लिए आरोपित अधिभार की वसूली के लिए साख पत्र का नकदीकरण कर सकता था एवं उपभोक्ता ग्रिड से विच्छेदित किये जाने के लिए उत्तरदायी था।

अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2014) में पाया गया कि एसव्हीपीपीएल के लिए 12 मार्च 2011 से एवं व्हीईएसपीएल के लिए 5 नवम्बर 2011 से पूलिंग सब स्टेशन के

[23] कम्पनी या कम्पनियों के समूह (कैप्टिव विद्युत संयंत्र/इंडिपेन्डेन्ट विद्युत उत्पादक सहित) द्वारा अपने उत्पादक संयंत्र को राज्य पारेषण इकाई से जोड़ने के लिए स्थापित एक अति उच्च वोल्टेज सब स्टेशन

ओएण्डएम के लिए बाह्य स्त्रोत के ठेकेदार के द्वारा कर्मचारियों को नियुक्त किया गया एवं अनुबंध के अनुसार ओएण्डएम के प्रभार की बिलिंग शुरू की। व्हीईएसपीएल एवं एसव्हीपीपीएल ने ओएण्डएम प्रभार का क्रमशः 5 मई 2012 एवं 12 नवम्बर 2013 से भुगतान करना बन्द कर दिया। ओएण्डएम प्रभार का भुगतान नहीं करने के कारण कम्पनी ने व्हीईएसपीएल एवं एसव्हीपीपीएल को क्रमशः 1 सितम्बर 2014 एवं 6 दिसम्बर 2014 को दो वर्ष एवं एक वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद पूलिंग सब स्टेशन से विच्छेद किया। इस बीच चूक उपभोक्ताओं के विरूद्ध लम्बित बकाया राशि ₹ 1.04 करोड़ (व्हीईएसपीएल ₹ 71.23 लाख एवं एसव्हीपीपीएल ₹ 32.27 लाख) तक संचित हो चुकी थी।

हमने पाया कि उपभोक्ताओं द्वारा ओएण्डएम प्रभार का भुगतान नहीं करने के बाद भी पूलिंग सब स्टेशन में ओएण्डएम कर्मचारियों की तैनाती जारी रखी एवं इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने अनुबंध के अनुसार ओएण्डएम प्रभार के मासिक भुगतान की सुरक्षा के लिए एसव्हीपीपीएल एवं व्हीईएसपीएल से साख पत्र नहीं लिया। हमनें यह भी पाया कि व्हीईएसपीएल के साथ किये गये अनुबंध की वैधता 23 अक्टूबर 2013 तक थी, यद्यपि, कम्पनी ने अनुबंध की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए पूरक अनुबंध नहीं किया एवं व्हीईएसपीएल के लिए अनुबंध अवधि के बाद भी ओएण्डएम कर्मचारियों की तैनाती जारी रखी।

शासन ने कहा (अगस्त 2015) कि एसव्हीपीपीएल के विरूद्ध सम्पूर्ण लम्बित राशि अप्रैल 2015 में वसूल ली गई है एवं व्हीईएसपीएल के विरूद्ध देय वसूली अधिनियम के अधीन लम्बित राशि की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। शासन ने पुनः कहा कि भूलवश आवश्यक साख पत्र नहीं लिया जा सका। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अब निष्पादित हो रहे इस प्रकार के सभी अनुबंधों में दो वर्षों के ओएण्डएम प्रभारों को अग्रिम में जमा करने की शर्त सम्मिलित की जा चुकी है।

तथ्य यह रहा कि साख पत्र लेने में कम्पनी के विफल होने एवं पूलिंग सब स्टेशन से उपभोक्ता को विलम्ब से विच्छेदित करने के परिणामस्वरूप ₹ 71.23 लाख वसूल नहीं हुये।

कम्पनी को व्हीईएसपीएल से ₹ 71.23 लाख वसूलने के लिए सभी प्रयास करना चाहिए।

वि कै. मोहंती

रायपुर **(बिजय कुमार मोहंती)**
दिनांक 20 दिसम्बर 2015 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़**

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक 23 दिसम्बर 2015 **भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक**

अनुलग्नक

अनुलग्नक–1.1

राज्य सरकार द्वारा पीएसयू में किया गया निवेश दिखाने वाला विवरण जिनके लेखे बकाया है

(संदर्भित कंडिका 1.11)

(स्तंभ 4 एवं 6 से 8 तक के आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष जब तक के लेखों का अंतिमीकरण किया जा चुका है	प्रदत्त पूँजी	लेखों की अवधि जो अंतिमीकरण के लिए लंबित है	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किया गया निवेश जिनके लेखे बकाया है		
					समता	ऋण	अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8
अ. सरकारी कंपनियाँ							
1	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2013–14	26.65	2014–15	–	–	1.00
2	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	2011–12	5.00	2012–13	–	–	0.40
				2013–14	–	–	0.35
				2014–15	–	–	0.40
3	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2008–09	4.20	2009–10	–	–	0.30
				2010–11	–	–	0.30
				2011–12	–	–	0.30
				2012–13	–	–	0.30
				2013–14	–	–	0.30
				2014–15	–	–	0.30
4	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2009–10	1.60	2010–11	–	0.01	–
				2011–12	–	–	–
				2012–13	–	–	–
				2013–14	–	–	–
				2014–15	–	–	–
5	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	2013–14	1.00	2014–15	–	–	38.03
6	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2013–14	2326.37	2014–15	–	–	200.81
7	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2012–13	4.43	2013–14	–	500.00	–
				2014–15	–	–	–
	योग अ (सरकारी कम्पनियाँ)				–	**500.01**	**242.79**
ब	**सांविधिक निगम**						
1	छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम	2013-14	4.04	2014-15	–	16.87	–
	योग ब (सांविधिक निगम)				–	16.87	–
	महायोग (अ+ब)				–	**516.88**	**242.79**

(स्त्रोतः सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगम द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

अनुलग्नक–1.2

अद्यतन अंतिमीकृत वित्तीय विवरण/लेखों के आधार पर सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगम के संक्षिप्त वित्तीय स्थिति/कार्यकारी परिणाम

(संदर्भित कंडिका– 1.14)

(स्तंभ 5 से 12 के आंकड़े करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अंतिमीकृत किए गए	प्रदत्त पूँजी^	वर्ष की समाप्ति पर लंबित ऋण	संचयी लाभ (+)/हानि (–)	आवर्त	शुद्ध लाभ(+)/हानि (–)	लेखापरीक्षा टिप्पणी का प्रभाव#	विनियोजित पूँजी@	विनियोजित पूँजी पर वापसी$	विनियोजित पूँजी पर वापसी का प्रतिशत	जनशक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं उससे संबंधित													
1	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	2011–12	2015–16	0.50	–	60.82	448.89	20.53	अंतिमीकरण के अधीन	61.71	20.71	33.56	150
2	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2013–14	2014–15	26.65	–	134.22	48.77	16.84	(–) 9.35	171.38	16.84	9.83	699
क्षेत्रवार योग				**27.15**	**–**	**195.04**	**497.66**	**37.37**	**(–) 9.35**	**233.09**	**37.55**	**16.11**	**849**
वित्त													
3	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	2011–12	2015–16	5.00	26.00	7.16	2.01	1.27	अंतिमीकरण के अधीन	22.46	1.77	7.88	7
क्षेत्रवार योग				**5.00**	**26.00**	**7.16**	**2.01**	**1.27**	**–**	**22.46**	**1.77**	**7.88**	**7**
अधोसंरचना													
4	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2008–09	2014–15	4.20	–	(–) 0.36	0.72	0.41	0.11	4.20	0.41	9.76	5
5	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2009–10	2015–16	1.60	22.96	(–) 33.05	58.92	0.20	(–) 7.22	50.09	0.20	0.40	270
6	छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लिमिटेड	*	–	4.90	–	–	–	–	–	–	–	–	12
क्षेत्रवार योग				**10.70**	**22.96**	**(–) 33.41**	**59.64**	**0.61**	**(–) 7.11**	**54.29**	**0.61**	**1.12**	**287**
खनन													
7	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	2013–14	2015–16	1.00	–	11.72	11.33	(–) 1.19	0.22	331.58	(–) 1.19	–	194
8	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड	2014–15	2015–16	82.60	–	(–) 1.32	–	–	अंतिमीकरण के अधीन	141.16	–	–	–
9	छत्तीसगढ़ सोंधिया कोल कम्पनी लिमिटेड	2014–15	2015–16	21.94	–	(–) 0.38	–	(–) 0.24	अंतिमीकरण के अधीन	21.56	(–) 0.20	–	–
10	सीएसपीजीसीएल एईएल पारसा कोलियरीज लिमिटेड	2014–15	2015–16	0.16	1.06	(–) 0.03	–	–	अंतिमीकरण के अधीन	1.18	–	–	1
क्षेत्रवार योग				**105.70**	**1.06**	**9.99**	**11.33**	**(–) 1.43**	**0.22**	**495.48**	**(–) 1.39**	**–**	**195**

क्र. सं.	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अंतिमीकृत किए गए	प्रदत्त पूँजी^	वर्ष की समाप्ति पर लंबित ऋण	संचयी लाभ (+)/हानि (–)	आवर्त	शुद्ध लाभ(+)/हानि (–)	लेखापरीक्षा टिप्पणी का प्रभाव#	विनियोजित पूँजी@	विनियोजित पूँजी पर वापसी$	विनियोजित पूँजी पर वापसी का प्रतिशत	जनशक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ऊर्जा													
11	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2013–14	2014–15	2326.37	1540.10	(–) 4017.25	7111.74	(–) 630.42	(–) 358.37	1762.55	(–) 454.91	–	10380
12	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	2013–14	2014–15	2287.74	9677.58	(–) 1029.55	2526.95	(–) 683.96	0.31	10965.15	(–) 318.41	–	4959
13	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड	2013–14	2014–15	6757.81	–	39.42	12.77	8.47	–	6797.24	8.47	0.12	189
14	छत्तीसगढ़ राज्य ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड	2013–14	2014–15	0.05	–	(–) 1.17	0.02	2.77	(–) 0.02	(–) 1.12	2.77	–	17
15	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड	2013–14	2014–15	810.76	1336.66	51.82	635.28	(–) 28.38	3.07	51.82	82.75	2.75	1853
क्षेत्रवार योग				**12182.73**	**12554.34**	**(–) 4956.73**	**10286.76**	**(–) 1331.52**	**(–) 355.01**	**19575.64**	**(–) 679.33**	.	**17398**
सेवाएँ													
16	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड	2013–14	2014–15	0.15	–	46.34	706.21	11.78	(–) 3.73	46.49	11.84	25.47	45
17	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2012–13	2015–16	4.43	915.42	(–) 216.10	3814.41	0.52	147.89	2092.23	42.87	2.05	749
18	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	2013–14	2014–15	3.45	–	0.68	27.95	0.65	गैर–समीक्षित	141.73	0.65	0.46	146
19	छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड	2014–15	2015–16	2.00	–	22.05	12.92	6.71	गैर–समीक्षित	37.12	6.71	18.07	77
20	रायपुर नगर निगम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड	$$	–	0.05	–	–	–	–	–	–	–	–	1
क्षेत्रवार योग				**10.08**	**915.42**	**(–) 147.03**	**4561.49**	**19.66**	**144.16**	**2317.57**	**62.07**	**2.68**	**1018**
योग (क) सभी क्षेत्रवार सरकारी कंपनियाँ				**12341.36**	**13519.78**	**(–) 4924.98**	**15418.89**	**(–) 1274.04**	**(–) 227.09**	**22698.53**	**(–) 578.72**	–	**19754**

क्र. सं.	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अंतिमीकृत किए गए	प्रदत्त पूँजी^	वर्ष की समाप्ति पर लंबित ऋण	संचयी लाभ (+)/हानि (–)	आवर्त	शुद्ध लाभ(+)/हानि (–)	लेखापरीक्षा टिप्पणी का प्रभाव#	विनियोजित पूँजी@	विनियोजित पूँजी पर वापसी$	विनियोजित पूँजी पर वापसी का प्रतिशत	जनशक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ख. सांविधिक निगम													
सेवाऐं													
1	छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम	2013-14	2014-15	4.04	82.33	144.40	92.07	41.40	(-) 0.29	274.69	43.91	15.99	485
योग (ख) (सांविधिक निगम)				**4.04**	**82.33**	**144.40**	**92.07**	**41.40**	**(-) 0.29**	**274.69**	**43.91**	**15.99**	**485**
महायोग (क+ख)				**12345.40**	**13602.11**	**(-) 4780.58**	**15510.96**	**(-) 1232.64**	**(-) 227.38**	**22973.22**	**(-) 534.81**	**-**	**20239**

(स्त्रोतः: आंकड़ों का संकलन पीएसयू लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों से किया गया है)

टिप्पणी :

^ प्रदत्त अंश पूँजी में अंश आवेदन राशि शामिल है जिसका आबंटन होना शेष है।

लेखाओं पर टिप्पणी के प्रभाव में सांविधिक लेखापरीक्षा और नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव सम्मिलित है और लाभ में वृद्धि या हानि में कमी को धनात्मक (+) तथा लाभ में कमी या हानि में वृद्धि को ऋणात्मक (–) में दर्शाया गया है।

@ विनियोजित पूँजी अंशधारियों की निधि के साथ दीर्घकालीन उधारियों को प्रस्तुत करती है।
विनियोजित पूँजी पर वापसी की गणना लाभ–हानि खाते पर प्रभारित लाभ और ब्याज को जोड़कर की गयी है।

* कम्पनी 11 नवम्बर 2014 को निगमित हुई तथा उसने अब तक अपने लेखों को प्रस्तुत नहीं किया है।

$$ कम्पनी 01 अक्टूबर 2011 को निगमित हुई तथा उसने अब तक अपने लेखों को प्रस्तुत नहीं किया है।

अनुलग्नक - 2.1
कम्पनी के औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण
(संदर्भित कंडिका 2.1)

क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्रों के नाम	कुल विकसित भूमि आबंटन योग्य (हेक्टेयर में)
पुराना		
1	सिलतरा, रायपुर	872.00
2	उरला, रायपुर	270.00
3	भनपुरी, रायपुर	103.48
4	रावाँभाटा, रायपुर	37.18
5	आमासिवनी, रायपुर	10.04
6	सिरगिट्टी, बिलासपुर	235.76
7	सिलपहरी, बिलासपुर	134.42
8	तिफरा, बिलासपुर	39.48
9	पेंड्रा रोड़, बिलासपुर	10.89
10	बोरई, दुर्ग	192.00
11	बिरकोनी, महासमुंद	49.00
12	हरिनछपरा, कबीरधाम	11.00
13	नयनपुर, सरगुजा	24.06
समीक्षाधीन अवधि के दौरान स्थापित (2010–15)		
14	औद्योगिक क्षेत्र, कापन, जांजगीर चॉपा	15.33
15	औद्योगिक क्षेत्र, टेकनार, दंतेवाड़ा	9.016
16	इंजीनियरिंग पार्क, भिलाई, दुर्ग	56.00
17	मेटल पार्क, रावांभाटा, रायपुर[1]	17.05
31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार परियोजनाएं प्रगति में		
1	औद्योगिक क्षेत्र, तिल्दा, रायपुर	स्थापना हेतु 32.27 हेक्टेयर भूमि
2	औद्योगिक क्षेत्र, तेन्दुआ, रायपुर	स्थापना हेतु 22.03 हेक्टेयर भूमि
3	औद्योगिक क्षेत्र, गंगापुरखुर्द, सरगुजा	स्थापना हेतु 12.25 हेक्टेयर भूमि
4	औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर डी तिफरा, बिलासपुर	स्थापना हेतु 31.23 हेक्टेयर भूमि
5	प्लास्टिक पार्क	राज्य में एक प्लास्टिक पार्क स्थापित करने हेतु प्रस्तावित (मई 2015) है।
6	औद्योगिक क्षेत्र, खैरा, दुर्ग	25.40 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हेतु प्रस्तावित (मार्च 2011) है । भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव संबंधित कलेक्टर के पास लंबित हैं।
7	औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम सेलर, बिल्हा, बिलासपुर	22.27 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हेतु प्रस्तावित (मार्च 2011) है । भूमि के हस्तातंरण का प्रस्ताव संबंधित कलेक्टर के पास लंबित है।
8	मेगा फूड पार्क, धमतरी	यह परियोजना भारत सरकार के योजना के तहत मेगा फूड पार्क स्थापना हेतु 68.68 हेक्टेयर भूमि पर ₹ 103.75 करोड़ की कुल लागत में भारत सरकार का अनुदान ₹ 50 करोड़ को शामिल करते हुए प्रस्तावित (जुलाई 2014) है।
9	इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर, रायपुर	यह परियोजना भारत सरकार के योजना के तहत इलेक्ट्रानिक विनिर्माण क्लस्टर स्थापना हेतु 70 हेक्टेयर भूमि पर ₹ 105.23 करोड़ की कुल लागत में भारत सरकार का अनुदान ₹ 50 करोड़ को शामिल करते हुए प्रस्तावित (जुलाई 2014) है।

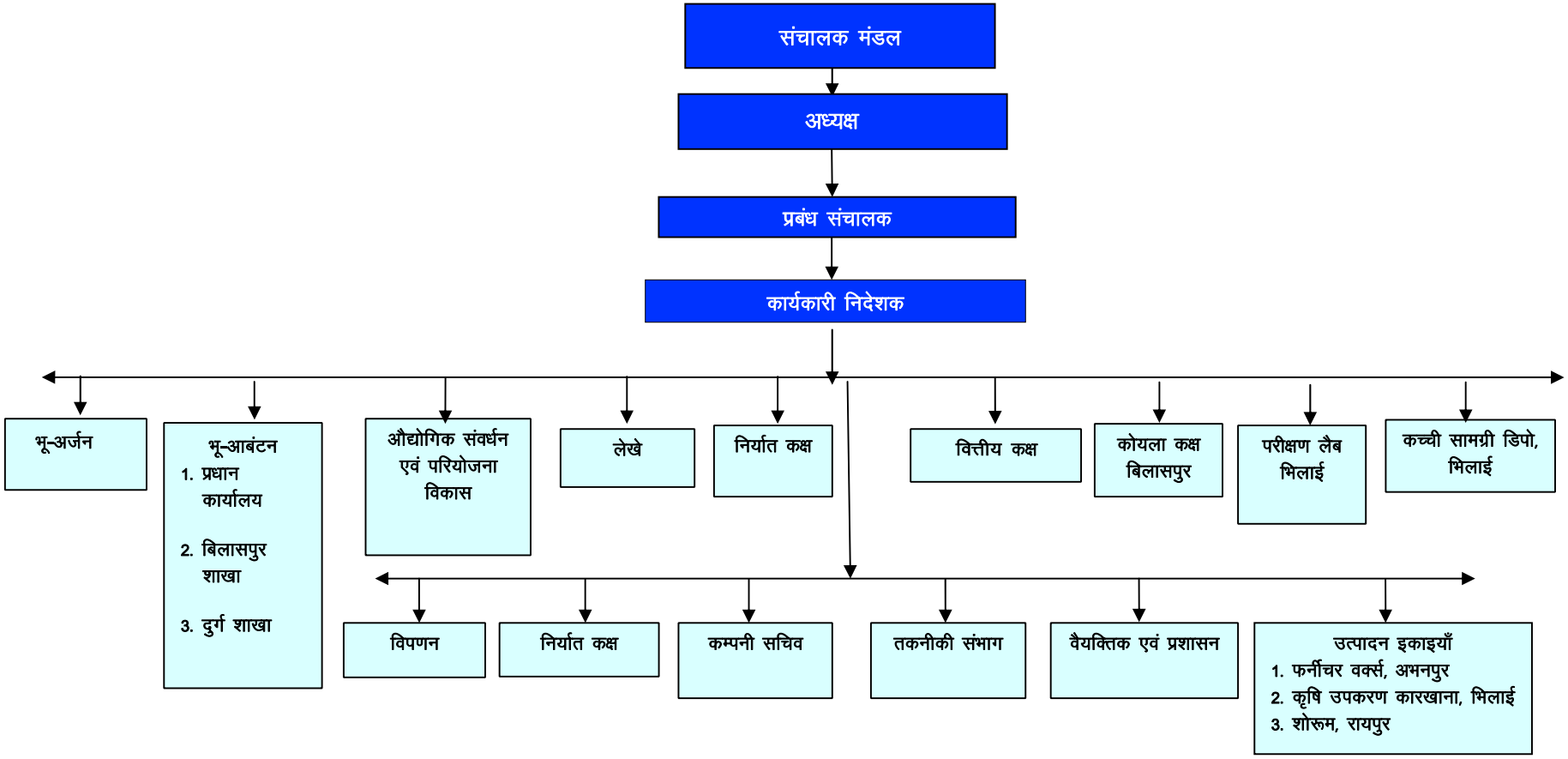
(स्त्रोतः कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

[1] कुल 35.72 हेक्टेयर आबंटन योग्य भूमि में से 17.05 हेक्टेयर भूमि विकसित है।

अनुलग्नक - 2.2

संगठनात्मक चार्ट

(संदर्भित कंडिका 2.2)



अनुलग्नक - 2.3

कम्पनी की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

(प्राविधिक एवं गैर–अंकेक्षित)

(संदर्भित कंडिका 2.6)

(₹ लाख में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
वित्तीय स्थिति			
क. देयताएं			
अंश पूँजी	160	160	160
संचय एवं आधिक्य	2302.19	2302.19	2302.19
सुरक्षित ऋण	8.88	8.88	8.88
असुरक्षित ऋण	2295.57	2295.57	2295.57
चालू दायित्व एवं प्रावधान	67106.46	80737.48	73657.58
योग	**71873.10**	**85504.12**	**78424.22**
ख. सम्पत्तियाँ			
सकल स्थायी परिसम्पत्तियाँ	380.02	433.70	472.86
घटायाः ह्रास	245.27	268.89	292.50
शुद्ध परिसम्पत्तियाँ	134.75	164.81	180.36
विनियोग	27.71	27.71	27.71
स्कंध	68.69	330.69	270.13
विविध देनदार	535.11	741.31	130.14
रोकड़ एवं बैंक	58892.27	71270.61	68019.43
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	6612.24	7440.89	4425.18
ऋण एवं अग्रिम	2279.27	2143.99	1831.56
संचित लाभ और हानि	3323.06	3384.11	3539.71
योग	**71873.10**	**85504.12**	**78424.22**
कार्यकारी परिणाम			
आय			
विक्रय	3195.30	6844.06	8288.48
सेवा प्रभारों की प्राप्तियाँ	2448.45	2521.68	2152.89
विविध व्यवसायिक प्राप्तियाँ	2985.70	5202.06	5815.10
स्कन्ध में वृद्धि (कमी)	32.41	12.46	64.54
योग	**8661.86**	**14580.26**	**16321.01**
व्यय			
क्रय	2831.90	6097.51	6539.79
कच्चे माल एवं भंडार उपयोग	239.32	536.80	1476.28
वेतन एवं अन्य लाभ	1331.39	1111.07	1410.56
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	446.73	538.35	1698.11
ह्रास	16.86	23.61	23.61
आय के आधिक्य को राज्य सरकार के खाते में हस्तांतरित	3927.73	6333.97	5328.24
योग	**8793.93**	**14641.31**	**16476.59**
हानि	**132.07**	**61.05**	**155.58**

(स्त्रोतः कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

अनुलग्नक - 2.4

सावधि जमाओं में एक ही दिन में अलग-अलग दरों में निवेश के कारण हुई हानि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 2.6.2)

क्र. सं.	बैंक का नाम	एफडीआर क्रमांक	निवेश तिथि	देय तिथि	ब्याज की दर (%)	एफडीआर राशि (₹)	विविध बैंकों में एक ही दिन और एक ही अवधि के लिए किया गया उच्चतर ब्याज की दर से सावधि जमायें		ब्याज की दर में अन्तर (%)	ब्याज की हानि (₹)
							बैंक का नाम	ब्याज की दर (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9-6)	11 (7 x 10)
1	सीबीआई, मुख्य शाखा रायपुर	32762	10-अप्रैल-10	10-मई-11	6.00	141941925	सिंडिकेट बैंक	6.25	0.25	384021
2	पीएनबी, मुख्य शाखा रायपुर	33760	12-अप्रैल-10	10-मई-11	6.50	9000000	बैंक ऑफ इन्डिया	6.75	0.25	24226
3	पीएनबी, मुख्य शाखा रायपुर	33779	12-अप्रैल -10	10-मई-11	6.50	9000000	बैंक ऑफ इन्डिया	6.75	0.25	24226
4	पीएनबी, मुख्य शाखा रायपुर	33788	12-अप्रैल-10	10-मई-11	6.50	9000000	बैंक ऑफ इन्डिया	6.75	0.25	24226
5	पीएनबी, मुख्य शाखा रायपुर	33797	12-अप्रैल-10	10-मई-11	6.50	9000000	बैंक ऑफ इन्डिया	6.75	0.25	24226
6	पीएनबी, मुख्य शाखा रायपुर	33803	12-अप्रैल-10	10-मई-11	6.50	9000000	बैंक ऑफ इन्डिया	6.75	0.25	24226
7	आंध्रा बैंक, फाफाडीह	18231	12-अप्रैल-10	13-मई-11	6.50	9000000	बैंक ऑफ इन्डिया	6.75	0.25	24411
8	आंध्रा बैंक, फाफाडीह	18232	12-अप्रैल-10	14-मई-11	6.50	9000000	बैंक ऑफ इन्डिया	6.75	0.25	24473
9	आंध्रा बैंक, फाफाडीह	18233	12-अप्रैल-10	14-मई-11	6.50	9000000	बैंक ऑफ इन्डिया	6.75	0.25	24473
10	आंध्रा बैंक, फाफाडीह	18234	12-अप्रैल-10	15-मई-11	6.50	9000000	बैंक ऑफ इन्डिया	6.75	0.25	24534
11	आंध्रा बैंक, फाफाडीह	18235	12-अप्रैल-10	16-मई-11	6.50	9000000	बैंक ऑफ इन्डिया	6.75	0.25	24596
12	आंध्रा बैंक, शंकर नगर	316277	16-अगस्त-10	16-सितम्बर-11	7.00	10000000	इंडसइंड बैंक	7.25	0.25	27123
13	सीबीआई, सीजी कॉलेज शाखा रायपुर	28897	19-फरवरी-11	18-फरवरी-12	9.50	56670607	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.96	0.46	259971
14	एसबीआई, न्यू शांति नगर रायपुर	31636581505	19-फरवरी-11	15-नवम्बर-13	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.96	0.71	192575

15	एसबीआई, न्यू शांति नगर रायपुर	31636578570	19-फरवरी-11	15-नवम्बर-13	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.96	0.71	192575
16	एसबीआई, न्यू शांति नगर रायपुर	31636582134	19-फरवरी-11	15-नवम्बर-13	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.96	0.71	192575
17	एसबीआई, न्यू शांति नगर रायपुर	31636577178	19-फरवरी-11	15-नवम्बर-13	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.96	0.71	192575
18	एसबीआई, न्यू शांति नगर रायपुर	31636576606	19-फरवरी-11	15-नवम्बर-13	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.96	0.71	192575
19	एसबीआई, न्यू शांति नगर रायपुर	31636576141	19-फरवरी-11	15-नवम्बर-13	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.96	0.71	192575
20	एसबीआई, न्यू शांति नगर रायपुर	31636574676	19-फरवरी-11	15-नवम्बर-13	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.96	0.71	192575
21	एसबीआई, न्यू शांति नगर रायपुर	31636574100	19-फरवरी-11	15-नवम्बर-13	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.96	0.71	192575
22	एसबीआई, न्यू शांति नगर रायपुर	31636573491	19-फरवरी-11	15-नवम्बर-13	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.96	0.71	192575
23	एसबीआई, न्यू शांति नगर रायपुर	31636572986	19-फरवरी-11	15-नवम्बर-13	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.96	0.71	192575
24	एसबीआई, न्यू शांति नगर रायपुर	31636572205	19-फरवरी-11	15-नवम्बर-13	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.96	0.71	192575
25	एसबीआई, न्यू शांति नगर रायपुर	31636571620	19-फरवरी-11	15-नवम्बर-13	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.96	0.71	192575
26	एसबीआई, न्यू शांति नगर रायपुर	31636571018	19-फरवरी-11	15-नवम्बर-13	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.96	0.71	192575
27	एसबीआई, न्यू शांति नगर रायपुर	31636570514	19-फरवरी-11	15-नवम्बर-13	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.96	0.71	192575
28	एसबीआई, न्यू शांति नगर रायपुर	31636559087	19-फरवरी-11	15-नवम्बर-13	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.96	0.71	192575
29	एसबीआई, न्यू शांति नगर रायपुर	31636568302	19-फरवरी-11	15-नवम्बर-13	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.96	0.71	192575
30	एसबीआई, न्यू शांति नगर रायपुर	31636567636	19-फरवरी-11	15-नवम्बर-13	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.96	0.71	192575
31	एसबीआई, न्यू शांति नगर रायपुर	31636567035	19-फरवरी-11	15-नवम्बर-13	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.96	0.71	192575
32	एसबीआई, न्यू शांति नगर रायपुर	31636566235	19-फरवरी-11	15-नवम्बर-13	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.96	0.71	192575

33	एसबीआई, न्यू शांति नगर रायपुर	31636565481	19-फरवरी-11	15- नवम्बर-13	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.96	0.71	192575
34	एसबीआई, न्यू शांति नगर रायपुर	31636529221	19-फरवरी-11	15- नवम्बर-13	9.25	215042	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.96	0.71	4183
35	यूबीआई, पंडरी रायपुर	370320	11-मार्च-11	11-मार्च-12	10.05	50000000	यूको बैंक	10.25	0.20	100274
36	इंडियन ओवरसीज बैंक	156807	11-मार्च-11	16-सितम्बर-12	9.25	5000000	यूको बैंक	10.25	1.00	76027
37	आई. डी .बी. आई. बैंक लिमिटेड, भिलाई	48107000084978	25-मार्च-11	5-अप्रैल-13	9.50	11603444	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.31	0.81	191066
38	आई. डी .बी. आई. बैंक लिमिटेड, भिलाई	48107000084987	25-मार्च-11	5-अप्रैल-13	9.50	12761914	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.31	0.81	210142
39	बैंक ऑफ बडौदा, रायपुर	864097	25-मार्च-11	25-मार्च-12	10.25	50000000	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.31	0.06	30082
40	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	30821	31-मार्च-11	31-मार्च-12	9.00	10000000	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	10.06	1.06	106290
41	सिडबी, रायपुर	1061400028	19-जुलाई-11	19-जुलाई-12	9.50	13601177	एचडीएफसी बैंक	10.00	0.50	68192
42	एसबीआई, कचहरी शाखा रायपुर	32002883677	22-अक्टूबर-11	22-अक्टूबर-12	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.60	0.35	34745
43	एसबीआई, कचहरी शाखा रायपुर	32002903650	22-अक्टूबर-11	22-अक्टूबर-12	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.60	0.35	34745
44	एसबीआई, कचहरी शाखा रायपुर	32002904916	22-अक्टूबर-11	22-अक्टूबर-12	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.60	0.35	34745
45	एसबीआई, कचहरी शाखा रायपुर	32002906141	22-अक्टूबर-11	22-अक्टूबर-12	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.60	0.35	34745
46	एसबीआई, कचहरी शाखा रायपुर	32002906979	22-अक्टूबर-11	22-अक्टूबर-12	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.60	0.35	34745
47	एसबीआई, कचहरी शाखा रायपुर	32002908387	22-अक्टूबर-11	22-अक्टूबर-12	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.60	0.35	34745
48	एसबीआई, कचहरी शाखा रायपुर	32002909197	22-अक्टूबर-11	22-अक्टूबर-12	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.60	0.35	34745
49	एसबीआई, कचहरी शाखा रायपुर	32002910114	22-अक्टूबर-11	22-अक्टूबर-12	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.60	0.35	34745
50	एसबीआई, कचहरी शाखा रायपुर	32002916263	22-अक्टूबर-11	22-अक्टूबर-12	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.60	0.35	34745

51	एसबीआई, कचहरी शाखा रायपुर	32002917187	22-अक्टूबर-11	22-अक्टूबर-12	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.60	0.35	34745
52	एसबीआई, कचहरी शाखा रायपुर	32002917904	22-अक्टूबर-11	22-अक्टूबर-12	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.60	0.35	34745
53	एसबीआई, कचहरी शाखा रायपुर	32002918760	22-अक्टूबर-11	22-अक्टूबर-12	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.60	0.35	34745
54	एसबीआई, कचहरी शाखा रायपुर	32002919435	22-अक्टूबर-11	22-अक्टूबर-12	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.60	0.35	34745
55	एसबीआई, कचहरी शाखा रायपुर	32002920393	22-अक्टूबर-11	22-अक्टूबर-12	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.60	0.35	34745
56	एसबीआई, कचहरी शाखा रायपुर	32002921342	22-अक्टूबर-11	22-अक्टूबर-12	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.60	0.35	34745
57	एसबीआई, कचहरी शाखा रायपुर	32002923123	22-अक्टूबर-11	22-अक्टूबर-12	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.60	0.35	34745
58	एसबीआई, कचहरी शाखा रायपुर	32002924343	22-अक्टूबर-11	22-अक्टूबर-12	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.60	0.35	34745
59	एसबीआई, कचहरी शाखा रायपुर	32002925109	22-अक्टूबर-11	22-अक्टूबर-12	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.60	0.35	34745
60	एसबीआई, कचहरी शाखा रायपुर	32002925777	22-अक्टूबर-11	22-अक्टूबर-12	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.60	0.35	34745
61	एसबीआई, कचहरी शाखा रायपुर	32002926497	22-अक्टूबर-11	22-अक्टूबर-12	9.25	9900000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.60	0.35	34745
62	एसबीआई, कचहरी शाखा रायपुर	32002928406	22-अक्टूबर-11	22-अक्टूबर-12	9.25	2000000	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.60	0.35	7019
63	ओ.बी.सी., टाटीबंध	14343031002678	25-अक्टूबर-11	25-अक्टूबर-12	9.60	200000000	आंध्रा बैंक	9.70	0.10	200548
64	एचडीएफसी बैंक, रायपुर	1524470097008	25-जनवरी-12	1-फरवरी-13	9.50	25000000	**बैंक ऑफ बड़ौदा**	9.82	0.32	81753
65	बैंक ऑफ बड़ौदा, रायपुर	864899	26-मार्च-12	26-मार्च-13	10.75	54779971	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.81	0.06	32868
66	एक्सिस बैंक	911040045789138	7-सितम्बर-12	7-सितम्बर-13	9.00	23327366	बैंक ऑफ बड़ौदा	9.25	0.25	58318
67	आंध्रा बैंक, फाफाडीह	49320100028216	16-सितम्बर-13	16-सितम्बर-14	9.85	13012542	इंडियन ओवरसीज बैंक	10.00	0.15	19519
योग										**6647419**

(स्त्रोतः कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक- 2.5
औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की स्थिति
(संदर्भित कंडिका 2.7.3)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	डीपीआर की तिथि	डीपीआर के अनुसार परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)	पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	वास्तविक पूर्णता की तिथि	जून 2015 की स्थिति में भौतिक प्रगति	
						किए गए कार्य के मूल्य (₹ करोड़ में)	टिप्पणियाँ
1	औद्योगिक क्षेत्र, कापन, जांजगीर –चाँपा	जुलाई-2007	10.00 (नवम्बर 2010 में संशोधित 11.50)	दिसम्बर 2013	प्रगति में (अब तक एक वर्ष से अधिक की देरी)	5.09	कम्पनी ने 2013–14 से भूमि का आबंटन शुरू किया और 15.33 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र में विकसित 135 भूखंडों में से पाँच भूखंडों (0.66 हेक्टेयर) को आबंटित किया।
2	औद्योगिक क्षेत्र, टेकनार, दंतेवाड़ा	मूल मई-2007, संशोधित मार्च- 2011	मूल - 10.50, संशोधित -12.41	सितम्बर 2012	प्रगति में (अब तक तीन वर्ष से अधिक की देरी)	6.87	कम्पनी ने 2014–15 से भूमि का आबंटन शुरू किया और 9.016 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र में विकसित 49 भूखंडों में से चार भूखंडों (0.60 हेक्टेयर) को आबंटित किया।
3	इंजीनियरिंग पार्क, भिलाई	अप्रैल-2012	49.78	सितम्बर 2014	प्रगति में	34.97	कम्पनी ने 2014–15 से भूमि का आबंटन शुरू किया और 56 हेक्टेयर के विकसित 215 भूखंडों में से 42 भूखंडों (21 हेक्टेयर) को आबंटित किया।
4	मेटल पार्क, रायपुर	मूल जून 2007, संशोधित अप्रैल 2011	मूल-16.75, संशोधित - 92.00	अक्टूबर 2012	प्रगति में (अब तक लगभग तीन वर्ष की देरी)	42.16	कम्पनी ने 2013–14 से भूमि का आबंटन शुरू किया और 17.05 हेक्टेयर के विकसित 100 भूखंडों में से 51 भूखंडों (9.25 हेक्टेयर) को आबंटित किया।
5	औद्योगिक क्षेत्र, तिल्दा, रायपुर	मई 2012	12.60 (दिसम्बर 2013 में संशोधित 18.45)	मार्च 2016	प्रगति में	3.50	आबंटन शुरू नहीं
6	औद्योगिक क्षेत्र, तेन्दुआ, रायपुर	नवम्बर-2010	12.20	सितम्बर 2012	प्रगति में (अब तक तीन वर्षो की देरी)	4.50	आबंटन शुरू नहीं
7	औद्योगिक क्षेत्र, गंगापुरखुर्द, सरगुजा	मूल प्राक्कलन सितम्बर 2008 संशोधित प्राक्कलन दिसम्बर 2014 (डीपीआर नहीं बनाया)	मूल-2.32, संशोधित- 18.98	फरवरी 2012	प्रगति में (अब तक तीन वर्ष से अधिक की देरी)	7.08	आबंटन शुरू नहीं
8	औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर–डी, तिफरा, बिलासपुर	फरवरी 2007	18.00	मार्च 2010	प्रगति में (अब तक पांच वर्ष से अधिक की देरी)	6.99	आबंटन शुरू नहीं

(स्त्रोतः कम्पनी द्वारा दी गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 2.6

बिना निविदाएं आमंत्रित किए आदेशित कार्यों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 2.7.4)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मूल कार्य का विवरण	आदेशित मूल्य	कार्यादेश की तिथि	अतिरिक्त कार्य का विवरण	आदेशित मूल्य	अतिरिक्त आदेश की तिथि	ठेकेदार का नाम
1	औद्योगिक क्षेत्र बोरई, दुर्ग का सेन्ट्रल एवेन्यू रोड को चौड़ा एवं सुदृढ़ बनाने का कार्य	3.76	07/05/2011	औद्योगिक क्षेत्र बोरई का रोड क्रमांक 1/बी को चौड़ा एवं सुदृढ़ बनाने का कार्य	0.99	20/01/2012	सेवा सिंग ओबेराय एवं कम्पनी
2	औद्योगिक क्षेत्र तिफरा बिलासपुर का 60 फीट एवं 40 फीट चौडी रोड़ का उन्नयन तथा सुदृढ़ करने और पक्के नाली का निर्माण	2.69	02/05/2013	औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर में पुल से नीचे की रोड का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण	0.33	27/12/2013	आनंदी बिल्डर्स
3	औद्योगिक क्षेत्र, उरला में सरोरा बाना रोड एवं रोड क्रमांक 17 का निर्माण (3055 मीटर)	5.38	26/09/2013	औद्योगिक क्षेत्र, उरला रायपुर में रोड क्रमांक 22 (700 मीटर) का निर्माण	1.98	23/02/2015	रायपुर कन्स्ट्रक्सन प्राइवेट लिमिटेड
4	औद्योगिक क्षेत्र गंगापुरखुर्द, अंबिकापुर में 24 मीटर एवं 15 मीटर पानी मिश्रित बीटी रोड, पक्का नाली और 12 स्लैब पुलिया का निर्माण	3.34	20/01/2014	औद्योगिक क्षेत्र गंगापुरखुर्द, अंबिकापुर में भूखंड (ब्लाक–ए से डी) का भूमि भराव/समतलीकरण का कार्य	1.40	17/06/2014	सरगुजा ब्रिक्स इंडस्ट्रीज
5	पीडब्ल्यूडी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 5 से औद्योगिक क्षेत्र गंगापुरखुर्द जिला, सरगुजा तक 24 मीटर चौड़ा डब्ल्यू बी एम रोड और बी टी पहुँच मार्ग रोड (7.50 मीटर कैरिज वे) का निर्माण	5.64	20/01/2014	औद्योगिक क्षेत्र गंगापुरखुर्द में नाले का निर्माण	2.85	04/03/2014	सरगुजा ब्रिक्स इंडस्ट्रीज
6	औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, बिलासपुर के सेक्टर बी एवं सी की 60 फीट एवं 40 फीट रोड का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण (मूल कार्य)	1.50	21/02/2014	सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर–बी के अन्य क्षतिग्रस्त रोड का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण	0.62	11/06/2014	अनिल बिल्डकान (आई) प्राइवेट लिमिटेड
7	औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, बिलासपुर के सेक्टर ए, बी एवं सी में 40 फीट एवं 60 फीट रोड के दोनों तरफ सीमेंट से निर्मित पक्की नाली का निर्माण	1.86	21/02/2014	हाई–टेक बस स्टैंड, बिलासपुर में स्थित खुली भूमि पर चहारदीवारी का निर्माण	0.12	29/05/2014	अरोरा कंस्ट्रक्सन बिलासपुर

8	मेटल पार्क रावांभाटा, रायपुर में 18 मीटर चौड़ी सिंगल लेन सड़क पर 18 सीमेंट निर्मित स्लैब पुल का निर्माण	2.06	03/03/2014	मेटल पार्क में 24 मीटर चौड़ी डबल लेन सड़क पर एक सीमेंट स्लैब पुल का निर्माण	2.00	30/05/2014	रायपुर कंस्ट्रक्सन प्राइवेट लिमिटेड
9	औद्योगिक क्षेत्र, बरतोरी (तिल्दा) जिला रायपुर में 24 मीटर (7.50 मीटर केरिज वे) और 18 मीटर (6.00 मीटर केरिज वे) पर सीमेंट निर्मित स्लैब पुलियों (1.00 मीटर स्पान) को शामिल करते हुए आंतरिक डामरीकृत रोड का निर्माण	6.16	01/12/2014	औद्योगिक क्षेत्र, बरतोरी से गांव नक्टी–खपरी तक 1.8 किलोमीटर पहुँच मार्ग का निर्माण	2.97	12/06/2015	रायपुर कंस्ट्रक्सन प्राइवेट लिमिटेड
योग		**32.39**			**13.26**		

(स्त्रोतः कम्पनी के अभिलेखों से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक – 2.7

मेटल पार्क, रायपुर में पक्की नाली के निर्माण के लिए कार्यादेशित विवरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 2.7.5)

क्र. सं.	विवरण	निविदा की तिथि	अनुबंध की संभावित राशि (₹ लाख में)	एसओआर से ज्यादा/कम (–) (%)	कार्यादेश का कुल मूल्य (₹ लाख में)	आदेश की तिथि	ठेकेदार का नाम
1	मेटल पार्क फेस–I में दोनों तरफ की रोड़ (5039 मीटर X 2)	04-05-13	336.23	13.51	381.65	13-02-2014	वर्षा कंस्ट्रक्सन, रायपुर
2	मेटल पार्क फेस–II में दोनों तरफ 18 मीटर चौड़ी रोड (3300 मीटर X 2)	09-01-14	225.73	11.26	251.15	03-03-2014	चौहान कंस्ट्रक्सन, रायपुर
3	मेटल पार्क, फेस–II में दोनों तरफ 24 मीटर चौड़ी रोड (1200 मीटर X 2)	09-01-14	85.24	14.26	97.40	03-03-2014	चौहान कंस्ट्रक्सन, रायपुर
		योग	**647.20**		**730.20**		

(स्त्रोतः कम्पनी के अभिलेखों से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक – 2.8

मेटल पार्क, रायपुर में सीमेंट से निर्मित पक्की नाली के निर्माण के लिए दिये गये संशोधित कार्यादेश को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 2.7.5)

क्र. सं.	विवरण	संशोधित कार्य आदेश की तिथि	अनुबंध की संशोधित संभावित राशि (₹ लाख में)	एसओआर से ज्यादा/कम (-) (%)	आदेशित कार्य का कुल मूल्य (₹ लाख में)
1	मेटल पार्क फेस-I, में दोनो तरफ की रोड़ (5039 मीटर X 2)	18-11-14	423.24	13.51	480.53
2	मेटल पार्क फेस-II, में दोनो तरफ 18 मीटर चौड़ी रोड़ (3300 मीटर X 2)	14-08-14	247.30	11.26	275.14
3	मेटल पार्क फेस-II, में दोनो तरफ 24 मीटर चौड़ी रोड (1200 मीटर X 2)	19-06-14	93.82	14.26	107.20
		योग	**764.36**		**862.87**

(स्त्रोतः कम्पनी के अभिलेखों से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक – 2.9

औद्योगिक क्षेत्र बोरई में पानी की आपूर्ति का अमितव्ययतापूर्ण संचालन के कारण हुए नुकसान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 2.7.9)

(राशि ₹ में)

वर्ष	जल संसाधन विभाग द्वारा न्यूनतम प्रतिबद्धता शुल्क सहित जारी किया गया जल प्रभार की कुल राशि			आरडब्ल्यूएल द्वारा जारी बिल की कुल राशि			कम्पनी के लिए पानी की लागत		कम्पनी द्वारा उद्योगों को जारी किया गया जल प्रभार		हानि
	मात्रा (किलोलीटर)	राशि	प्रभावी दर प्रति किलोलीटर	मात्रा (किलोलीटर)	राशि	प्रभावी दर प्रति किलोलीटर	लागत प्रति किलोलीटर	कुल लागत	मात्रा (किलोलीटर)	राशि	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 (4+7)**	**9 (3+6)**	**10**	**11**	**12 (9-11)**
2010-11	2739889	57441775	20.97	2739889	45565063	16.63	37.60	103006838	3044042	55145541	47861297
2011-12	3335565	83941305	25.17	3335565	54735016	16.41	41.58	138676321	3149189	67552527	71123794
2012-13	4542330	81035241	17.84	3634330	57964173	15.95	33.79	138999414	3187838	67775012	71224402
2013-14	4927470	51868373	10.53	3962370	64127474	16.18	26.71	115995847	2895022	62065320	53930527
2014-15	4908142	60323056	12.29	3642330	63239913	17.36	29.65	123562969	2971978	62139459	61423510
योग	**20453396**	**334609750**		**17128108**	**285631639**			**620241389**	**15248069**	**314677859**	**305563530**

(स्त्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त जानकारी से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 2.10

भू–प्रीमियम और भू–भाटक के कम आंकलन को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 2.8.1)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड (मार्च 2010 और दिसम्बर 2010 के मध्य आबंटित)	केएसके महानदी पावर कम्पनी लिमिटेड (अप्रैल 2010 में आबंटित)	एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड (जून 2011 में आबंटित)	योग
1	आदर्श पुनर्वास नीति के अनुसार भूमि का प्रति हेक्टेयर न्यूनतम मूल्य (₹ 600000 प्रति एकड x 2.471 एकड़ में एक हेक्टेयर बराबर 2.471 एकड़ को परिवर्तन गुणांक मानते हुए)	1482600	1482600	1482600	1482600
2	भूमि क्षेत्र हेक्टेयर में	150.333	58.007	7.798	216.138
3	भूमि का मूल्य (1X 2) (₹)	222883706	86001178	11561315	320446199
4	जोड़ें: सेवा प्रभार उपर्युक्त 3 का 20 प्रतिशत की दर से	44576741	17200236	2312263	64089240
5	वसूली हेतु भू–प्रीमियम की राशि (3+4)	267460447	103201414	13873578	384535439
6	भू–भाटक निर्धारित किया जाना (उपर्युक्त 5 का 2.5 प्रतिशत)	6686511	2580035	346840	9613386
7	भू–प्रीमियम की वास्तविक वसूली	41239585	37499437	8841557	87580579
8	वास्तविक निर्धारित भू–भाटक	1030990	937486	221039	2189515
9	**भू–प्रीमियम का कम आंकलन (5-7)**	**226220862**	**65701977**	**5032021**	**296954860**
10	**भू–प्रीमियम (पंक्ति 6–8) के कम आंकलन के फलस्वरूप 99 वर्षों के लिए भू–भाटक की कम वसूली (लीज डीड के वाक्य 4 के अनुसार प्रत्येक 30 वर्षों के अंतराल में 25 प्रतिशत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए)**	**746263693**	**216739474**	**16599835**	**979603001**
11	**भू–प्रीमियम और भू–भाटक का कुल कम आंकलन**	**972484555**	**282441451**	**21631856**	**1276557861**

(स्त्रोतः कम्पनी के अभिलेखों से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 2.11

जिला जांजगीर चांपा में सोना पावर प्राइवेट लिमिटेड को अगस्त 2010 में आबंटित भूमि के संबंध में भू–प्रीमियम और भू–भाटक के कम आंकलन को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 2.8.1)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	आदर्श पुनर्वास नीति के अनुसार सिंचित भूमि का न्यूनतम मूल्य प्रति हेक्टेयर में (₹10.00 लाख प्रति एकड़ x 2.471, एक हेक्टेयर बराबर 2.471 एकड़ परिवर्तन गुणांक मानते हुए)	2471000
2	भूमि का क्षेत्र हेक्टेयर में	206.21
3	भूमि का मूल्य (1 x 2)	509544910
4	जोड़ें: सेवा प्रभार भूमि मूल्य की 20 प्रतिशत की दर से	101908982
5	भू–प्रीमियम की वसूलने योग्य राशि (3+4)	611453892
6	भू–भाटक निर्धारित होना चाहिए (उपर्युक्त 5 पर 2.5 प्रतिशत की दर से)	15286347
7	**भू–प्रीमियम का कम आंकलन {₹ 611453892 – (₹ 324980773 मूल माँग + ₹ 40653696 अनुपूरक माँग)}**	**245819423**
8	**भू–प्रीमियम के कम आंकलन के फलस्वरूप भू–भाटक की कम वसूली { ₹ 15286347 – (मूल माँग ₹ 8124519 + अनुपूरक माँग ₹ 1016342) x 99 वर्ष (लीज डीड के वाक्य 4 के अनुसार प्रत्येक 30 वर्षों के अन्तराल में 25 प्रतिशत वृद्धि को ध्यान में रखते हुये)}**	**810916082**
9	**भू–प्रीमियम और भू–भाटक का कुल कम आंकलन**	**1056735505**

(स्त्रोतः कम्पनी के अभिलेखों से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 2.12

ग्राम रामबोड़, जिला बिलासपुर में मेसर्स राधा माधव इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को जुलाई 2010 में आबंटित भूमि के संबंध में भू–प्रीमियम और भू–भाटक का कम आंकलन को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 2.8.2.(अ))

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	गाँव के मुख्य सड़क पर स्थित भूमि के लिए सीवीबी के दिशा निर्देश (2010–11) के अनुसार भूमि का न्यूनतम मूल्य प्रति हेक्टेयर में	1058000
2	भूमि का क्षेत्र हेक्टेयर में	9.768
3	भूमि का मूल्य (1X2)	10334544
4	जोड़ें:–सोलेशियम उपर्युक्त 3 के 30 प्रतिशत की दर से	3100363
5	जोड़ें:– ब्याज उपर्युक्त 3 के 12 प्रतिशत की दर से	1240145
6	भूमि का कुल मूल्य (3+4+5)	14675052
7	जोड़ें:–सेवा प्रभार उपर्युक्त 6 पर 20 प्रतिशत की दर से	2935010
8	भू–प्रीमियम की राशि की वसूलने योग्य राशि (6+7)	17610063
9	भू–भाटक उपर्युक्त 8 के 2.5 प्रतिशत की दर से निर्धारित किया जाना था	440252
10	भू–प्रीमियम वास्तविक वसूली परती भूमि के मूल्य के आधार पर	5462097
11	वास्तविक निर्धारित भू–भाटक	136552
12	**भू–प्रीमियम का कम आंकलन (8–10)**	**12147966**
13	**99 वर्षों के लिए भू–प्रीमियम (₹440252–₹136552) के कम आंकलन के फलस्वरूप भू–भाटक की कम वसूली (लीज डीड के वाक्य 4 के अनुसार प्रत्येक 30 वर्षों के अन्तराल में 25 प्रतिशत वृद्धि को ध्यान में रखते हुये।)**	**40074164**
14	**भू–प्रीमियम और भू–भाटक का कुल कम आंकलन**	**52222130**

(स्त्रोतः कम्पनी के अभिलेखों से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 2.13

रिंग रोड–3, रायपुर में ग्राम गिरोद पर मेसर्स एल एल लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को अक्टूबर 2011 में आबंटित भूमि के संबंध में भू–प्रीमियम और भू–भाटक के कम आंकलन को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 2.8.2. (अ))

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	रिंग रोड–3, रायपुर में स्थित भूमि के लिए सीवीबी के दिशा–निर्देश (2010–11) के अनुसार भूमि का न्यूनतम प्रति हेक्टेयर मूल्य	3500000
2	भूमि का क्षेत्र हेक्टेयर में	12.5
3	भूमि का मूल्य (1X2)	43750000
4	जोड़ें:– सोलेशियम उपर्युक्त 3 पर 30 प्रतिशत की दर से	13125000
5	जोड़ें:– ब्याज उपर्युक्त 3 पर 12 प्रतिशत की दर से	5250000
6	भूमि का कुल मूल्य (3+4+5)	62125000
7	जोड़ें:– सेवा प्रभार उपर्युक्त 6 पर 20 प्रतिशत की दर से	12425000
8	भू–प्रीमियम की वसूलने योग्य राशि (6+7)	74550000
9	भू–भाटक 8 का 2.5 प्रतिशत की दर से निर्धारित किया जाना था	1863750
10	भू–प्रीमियम की वास्तविक वसूली ग्राम गिरोद में स्थित भूमि के मूल्य के आधार पर	23138486
11	वास्तविक निर्धारित भू–भाटक	578462
12	**भू–प्रीमियम का कम आंकलन (8-10)**	**51411514**
13	**99 वर्षो के लिए भू–प्रीमियम (₹ 1863750 – ₹ 578462) के कम आंकलन के फलस्वरूप भू–भाटक की कम वसूली (लीज डीड के वाक्य 4 के अनुसार प्रत्येक 30 वर्षों के अन्तराल में 25 प्रतिशत वृद्धि को ध्यान में रखते हुये ।**	**169597768**
14	**भू–प्रीमियम और भू–भाटक का कुल कम आंकलन**	**221009282**

(स्त्रोतः कम्पनी के अभिलेखों से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 2.14

ग्राम अटारी, रायपुर में मेसर्स तिरूपति चावल उद्योग को आबंटित भूमि के संबंध में भू–प्रीमियम और भू–भाटक के कम आंकलन को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 2.8.2. (ब))

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	आबंटन 1 (1.20 एकड़) (जनवरी 2010)	आबंटन 2 (2.53 एकड़) (अक्टूबर 2010)	योग
1	सीवीबी के दिशा–निर्देशों के अनुसार (2.471 एकड़ के बराबर एक हेक्टेयर को परिवर्तन गुणांक मानते हुये ₹ 25 लाख प्रति हेक्टेयर)/2.471) प्रति एकड़ भूमि का मूल्य (जून 2009 में कम्पनी द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के अनुसार मुख्य सड़क से 46 मीटर के भीतर)	1011736	1011736	
2	भूमि का क्षेत्र एकड़ में	1.20	2.53	3.73
3	भूमि का मूल्य (1x2)	1214083	2559692	3773775
4	जोड़ें:– सोलेशियम उपर्युक्त 3 के 30 प्रतिशत की दर से	364225	767908	1132133
5	ब्याज उपर्युक्त 3 पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से (आबंटन 1 के लिए: एक वर्ष और आबंटन 2 के लिए: दो वर्ष)	145690	614326	760016
6	भूमि का कुल मूल्य (3+4+5)	1723998	3941926	5665924
7	जोड़ें: सेवा प्रभार उपर्युक्त 6 पर 10 प्रतिशत की दर से	172400	394193	566592
8	भू–प्रीमियम की वसूलने योग्य राशि (6+7)	1896398	4336118	6232516
9	भू–भाटक 8 का 2.5 प्रतिशत की दर से निर्धारित किया जाना था	47410	108403	155813
10	मुख्य सड़क से 46 मीटर की दूरी के बाहर स्थित भूमि के मूल्य के आधार पर वसूल किया गया भू–प्रीमियम	291380	614326	905706
11	**भू–प्रीमियम की कम वसूली (8–10)**	**1605018**	**3721792**	**5326810**
12	**भू–भाटक की कम वसूली (155813–45285) x 99 वर्ष (लीज डीड के वाक्य 4 के अनुसार प्रत्येक 30 वर्षों के अन्तराल में 25 प्रतिशत वृद्धि को ध्यान में रखते हुये)**			**14584515**
13	**भू–प्रीमियम और भू भाटक की कुल कम वसूली**			**19911325**

(स्त्रोत: कम्पनी के अभिलेखों से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 2.15

राजस्थान पत्रिका और आईआरसीटीसी को आबंटित भूमि के संबंध में भू–प्रीमियम और भू–भाटक के कम आंकलन के कारण हुए नुकसान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 2.8.5)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	राजस्थान पत्रिका (सितम्बर 2010 में आबंटित)	आईआरसीटीसी (जुलाई 2014 में आबंटित)	योग
1	वसूलने योग्य भू–प्रीमियम (2.471 एकड़ बराबर एक हेक्टेयर को परिवर्तन गुणांक मानते हुए आईआरसीटीसी के प्रकरण में प्रति हेक्टेयर ₹ 60 लाख की दर से और राजस्थान पत्रिका के प्रकरण में प्रति हेक्टेयर ₹ 20 लाख जो मध्यम और वृहद् इंडस्ट्रीज पर लागू था)	839336	4878187	5717523
2	चौड़ी सड़क या कोने की भूखंड होने पर प्रीमियम का 10 प्रतिशत अतिरिक्त वसूली किया जाना है (उपर्युक्त का 10 प्रतिशत)	83934	487819	571753
3	वार्षिक भू–भाटक निर्धारित किया जाना है (उपर्युक्त 1 का 2.50 प्रतिशत)	20983	121955	142938
4	भू– प्रीमियम की वास्तविक वसूली	503360	3251678	3755038
5	अतिरिक्त प्रीमियम की वास्तविक वसूली	50336	325168	375504
6	वास्तविक भू–भाटक निर्धारित	12584	81292	93876
7	**भू–प्रीमियम का कम आंकलन (पंक्ति 1 – पंक्ति 4)**	**335976**	**1626509**	**1962485**
8	**अतिरिक्त प्रीमियम का कम आंकलन (पंक्ति 2–पंक्ति 5)**	**33598**	**162651**	**196249**
9	**भू–प्रीमियम (पंक्ति 3– पंक्ति 6) के कम आंकलन के फलस्वरूप 99 वर्षों के लिए भू–भाटक की कम वसूली (लीज डीड के वाक्य 4 के अनुसार प्रत्येक 30 वर्षों के अन्तराल में 25 प्रतिशत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए)**	**1108274**	**5365610**	**6473884**
10	**भू–प्रीमियम, अतिरिक्त प्रीमियम और भू–भाटक का कुल कम आंकलन**	**1477848**	**7154770**	**8632618**

(स्त्रोतः कम्पनी के अभिलेखों से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 2.16

औद्योगिक हब भाटापारा में लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और औद्योगिक क्षेत्र, तिल्दा में जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड को आबंटित भूमि के संबंध में भू–प्रीमियम और भू–भाटक का कम आंकलन के कारण हुए नुकसान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 2.8.6)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सितम्बर 2014 में आबंटित)	जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड (अगस्त 2012 और अगस्त 2014 के मध्य आबंटित)	योग
1	कम्पनी द्वारा निर्धारित व्यवसायिक उद्देश्य के लिए भूमि का मूल्य प्रति हेक्टेयर	10000000	10000000	10000000
2	भूमि क्षेत्र हेक्टेयर में	9.275	5.055	14.33
3	भू–प्रीमियम की राशि वसूली किया जाना है (1x2)	92750000	50550000	143300000
4	भू–भाटक उपर्युक्त 3 का 2.50 प्रतिशत की दर से वसूली किया जाना है	2318750	1263750	3582500
5	भू–प्रीमियम की वास्तविक वसूली	19581370	16224214	35805584
6	भू–भाटक वास्तविक निर्धारित	489534	405605	895139
7	**भू–प्रीमियम का कम आंकलन (3–5)**	**73168630**	**34325786**	**107494416**
8	**भू–प्रीमियम (पंक्ति 4 – पंक्ति 6) के कम आंकलन के फलस्वरूप 99 वर्षों के लिए भू–भाटक की कम वसूली (लीज डीड के वाक्य 4 के अनुसार प्रत्येक 30 वर्षों के अंतराल में 25 प्रतिशत वृद्धि को ध्यान में रखते हुये)**	**241370768**	**113234914**	**354605682**
9	**कुल भू–प्रीमियम और भू–भाटक का कम आंकलन**	**314539398**	**147560700**	**462100098**

(स्त्रोतः कम्पनी के अभिलेखों से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 2.17

सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र, बिलासपुर में वाहन सेवा केन्द्र के लिए आबंटित भूमि के भू–प्रीमियम और भू–भाटक का कम आंकलन से हुई हानि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 2.8.6)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	सत्या वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (जनवरी 2011 में आबंटित)	कृष्णा ऑटो राइडर प्राइवेट लिमिटेड (सितम्बर 2012 में आबंटित)	जी के ऑटो व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड (मार्च 2012 में आबंटित)	ओरियन ऑटो व्हील्स (अक्टूबर 2014 में आबंटित)	योग
1	क्षेत्र (एकड़ में)	2.58	1.377	1.297	0.64	5.894
2	कम्पनी द्वारा निर्धारित व्यवसायिक उद्देश्य के लिए भूमि का प्रति हेक्टेयर मूल्य	10000000	10000000	10000000	10000000	
3	भू–प्रीमियम की वसूली किया जाना है (2X1/2.471 हेक्टेयर से एकड़ में परिवर्तन किया गया है)	10441117	5572643	5248887	2590045	18280049
4	उपर्युक्त 3 का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भू–प्रीमियम की वसूली किया जाना है, यदि कोई हो तो	1044112	557264	524889	0	1569000
5	भू–भाटक की वसूली किया जाना है (उपर्युक्त 3 का 2.50 प्रतिशत)	261028	139313	131222	64751	457001
6	भू–प्रीमियम की वास्तविक वसूली	4180728	2229725	2098986	1044104	7323818
7	अतिरिक्त प्रीमियम की वास्तविक वसूली	418073	222973	209899	0	627972
8	भू–भाटक वास्तविक निर्धारित	104518	55743	52475	26103	183096
9	**भू–प्रीमियम का कम आंकलन (3-6)**	**6260389**	**3342918**	**3149901**	**1545941**	**14299149**
10	**अतिरिक्त भू–प्रीमियम की कम वसूली (4-7)**	**626039**	**334291**	**314990**	**0**	**1275320**
11	**भू–प्रीमियम (पंक्ति 5 – पंक्ति 8) के कम आंकलन के फलस्वरूप 99 वर्षो के लिए भू–भाटक की कम वसूली (लीज डीड के वाक्य 4 के अनुसार प्रत्येक 30 वर्षों के अन्तराल में 25 प्रतिशत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए)**	**20651974**	**11027719**	**10390936**	**5099739**	**47170368**
12	**भू–प्रीमियम, अतिरिक्त भू–प्रीमियम और भू–भाटक का कुल कम आंकलन**	**27538401**	**14704928**	**13855827**	**6645680**	**62744836**

(स्त्रोतः कम्पनी के अभिलेखो से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 2.18

(संदर्भित कंडिका 2.8.7)

(अ) 31 मार्च 2015 को उपयोग प्रभार के बकाया राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

इकाइयों के नाम	आबंटितियों की कुल संख्या	भुगतान नहीं कर सकने वाले आबंटितियों की संख्या	31 मार्च 2015 को बकाया राशि (₹)			
			भू–भाटक	संधारण प्रभार	सड़क बत्ती प्रभार	योग
क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग के अधिकार क्षेत्र के अधीन औद्योगिक क्षेत्र	150	55	6530205	6530205	1240533	14300943
क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर के अधिकार क्षेत्र के अधीन औद्योगिक क्षेत्र	632	188	6687642	6687642	3303343	16678627
प्रधान कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन औद्योगिक क्षेत्र	1142	819	19950015	9042667	2041135	31033817
औद्योगिक क्षेत्र के बाहर आबंटित भूमि	145	50	200730547	लागू नहीं	लागू नहीं	200730547
योग	**2069**	**1112**	**233898409**	**22260514**	**6585011**	**262743934**

(स्त्रोतः कम्पनी के द्वारा प्रदत्त जानकारी से संकलित आंकड़े)

(ब) बकाया उपयोग प्रभार का वर्षवार विश्लेषण (औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया)

क्र. सं.	वर्ष	औद्योगिक क्षेत्र दुर्ग	औद्योगिक क्षेत्र, बिलासपुर	औद्योगिक क्षेत्र से बाहर	योग (₹)
1	2010 तक	0	1821506	0	1821506
2	2011	0	1386204	3113726	4499930
3	2012	315691	1650574	13196976	15163241
4	2013	3496011	1764419	22159584	27420014
5	2014	4172985	2588635	61723033	68484653
6	2015	6316256	7467289	100537228	114320773
योग		**14300943**	**16678627**	**200730547**	**231710117**

(स्त्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त जानकारी से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 2.19

उपयोग प्रभार की वसूली के संबध में लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना जांच के प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 2.8.7)

क्र. सं.	उद्योगों के नाम	कुल बकाया उपयोग प्रभार (₹)							टिप्पणियाँ
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	योग	
औद्योगिक क्षेत्र, दुर्ग									
1	जय बालाजी इंडस्ट्रीज	0	0	0	200000	2200000	2200000	4600000	उपयोग प्रभार 2013 से बकाया है लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
2	अरोज मैग्नेटीक इक्यूपमेंट	0	0	10944	10944	12403	12403	46694	उपयोग प्रभार 2012 से बकाया है लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
3	श्री राधे ब्रिक्स	0	0	2300	2300	29900	29900	36800	उपयोग प्रभार 2012 से बकाया है लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
4	सिम्हागिरि फाउण्डरी वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	0	0	0	0	0	119280	61060	उपयोग प्रभार 2015 से बकाया है लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
5	अरमान इंडस्ट्रीज	0	0	0	6045	6045	6045	9765	उपयोग प्रभार 2013 से बकाया है लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
6	मथारू इंजीनीरिंग वर्क्स यूनिट 2	0	0	0	12312	12312	12312	31464	उपयोग प्रभार 2013 से बकाया है लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
7	यू बी इंजीनीरिंग लिमिटेड	0	0	0	0	639450	639450	669900	उपयोग प्रभार 2014 से बकाया है यद्यपि केवल 5 जून 2015 को लीज डीड की निरस्तीकरण की सूचना दी गई। अब तक लीज डीड निरस्त नहीं की गई है।
8	श्रीधर ब्रिक्स इंडस्ट्रीज	0	0	18000	18000	18000	18000	40000	उपयोग प्रभार 2012 से बकाया है यद्यपि केवल 5 जून 2015 को लीज डीड की निरस्तीकरण की सूचना दिया गया है। अब तक लीज डीड निरस्त नहीं की गई है।
9	बृहस्पति आयरन एंड स्टील कम्पनी	0	0	274780	830293	830293	830293	2765659	लीज डीड 2012 और 2013 में निरस्त कर दिया गया, लेकिन उपयोग प्रभार की वसूली भू–राजस्व के रूप में करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
10	अरोज फ्लाई एस ब्रिक्स	0	0	8208	8208	8208	8208	18240	लीज डीड 12 जनवरी 2015 को निरस्त कर दिया गया, लेकिन उपयोग प्रभार की वसूली भू–राजस्व के रूप में करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
11	केपीटल स्पंज आयरन एंड पावर लिमिटेड	0	0	0	406450	406450	406450	665100	लीज डीड 5 मई 2015 को निरस्त कर दिया गया, लेकिन उपयोग प्रभार की वसूली भू–राजस्व के रूप में करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

औद्योगिक क्षेत्र, बिलासपुर									
12	मेसर्स आभा पावर	110139	46205	46205	29624	46205	62786	341164	उपयोग प्रभार 2010 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
13	मेसर्स अरोरा सी.जी. एनर्जी	0	65409	51315	51315	51315	108759	328113	उपयोग प्रभार 2011 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
14	मेसर्स राजा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	112402	25388	38597	38597	38597	38597	292178	उपयोग प्रभार 2010 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
15	मेसर्स शकुन स्पंज आयरन	0	11491	78602	78602	78602	78602	325899	उपयोग प्रभार 2011 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
16	मेसर्स ए.एस.फन.	155647	151851	151851	151851	151851	151851	914902	उपयोग प्रभार 2010 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
17	मेसर्स रितुराज स्टील	3510	702	702	702	101484	11900	119000	उपयोग प्रभार 2010 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
18	मेसर्स एम.एम. इंडस्ट्रीज	0	3716	5574	5574	7279	8361	30504	उपयोग प्रभार 2011 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
19	मेसर्स यू पी पेट्रो केमीकल्स	18722	2745	2745	2745	2745	2745	32447	उपयोग प्रभार 2010 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
20	मेसर्स एस.के. लाइन प्रोडक्ट	27808	2277	2277	2277	2277	2277	39193	उपयोग प्रभार 2010 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
21	मेसर्स जतिन इंडस्ट्रीज	0	3716	3716	3716	5576	5574	22298	उपयोग प्रभार 2011 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
22	मेसर्स शान्ति इंडस्ट्रीज	17022	3764	5130	5646	5646	5646	42854	उपयोग प्रभार 2010 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
23	मेसर्स एच.एस. इंजीनिरिंग	0	0	0	1253	1253	1253	3759	उपयोग प्रभार 2013 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
24	मेसर्स के.के. कंस्ट्रक्सन कम्पनी	0	0	0	0	22298	25085	47383	उपयोग प्रभार 2014 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
25	मेसर्स सिद्धी ब्रिक्स इंडस्ट्रीज	0	0	12542	12542	12542	12542	50168	उपयोग प्रभार 2012 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
26	मेसर्स राकेश कोल्ड स्टोरेज	0	0	17144	17144	17144	17144	68576	उपयोग प्रभार 2012 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
27	मेसर्स इनोवेटिव टेक्नोलाजी	0	0	0	0	18779	97551	116330	उपयोग प्रभार 2014 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
28	मेसर्स माँ अम्बे ब्रिक्स इंडस्ट्रीज	0	0	2555	10219	10219	10219	33212	उपयोग प्रभार 2012 से बकाया है, यद्यपि लीज डीड की निरस्तीकरण की सूचना 7 अप्रैल 2014 और 27 अक्टूबर 2014 को दिया गया लेकिन अब तक लीज डीड निरस्त नहीं की गई है।

29	मेसर्स माँ महामाया स्टील इंडस्ट्रीज	0	12542	12542	12542	12542	12542	62710	उपयोग प्रभार 2011 से बकाया है, यद्यपि केवल 22 मार्च 2012 को लीज डीड की निरस्तीकरण की सूचना दिया गया है। अब तक लीज डीड निरस्त नहीं की गई है।
30	मेसर्स शिव गौरी मेटल प्रोडक्ट (एक्स संजय कुमार गुप्ता)	4644	2322	2322	2901	3483	3483	19155	उपयोग प्रभार 2010 से बकाया है, यद्यपि केवल 25 मार्च 2011 को लीज डीड की निरस्तीकरण की सूचना दिया गया है। अब तक लीज डीड निरस्त नहीं की गई है।
31	मेसर्स दिनेश आइस एंड कोल्ड स्टोरेज	8740	8740	8740	8740	8740	8740	52440	उपयोग प्रभार 2010 से बकाया है, यद्यपि केवल 14 जनवरी 2015 को लीज डीड की निरस्तीकरण की सूचना दिया गया है। अब तक लीज डीड निरस्त नहीं की गई है।
32	मेसर्स एस.एस. केमिकल्स	4180	4180	4180	5435	6270	6270	30515	उपयोग प्रभार 2010 से बकाया है, यद्यपि केवल 27 जुलाई 2005 को लीज डीड की निरस्तीकरण की सूचना दिया गया है। अब तक लीज डीड निरस्त नहीं की गई है।
33	मेसर्स जालंधर पाइप फिटिंग	0	2324	2324	2650	3486	3486	14270	लीज डीड 27 मई 2012 को निरस्त कर दिया गया, बकाया उपयोग प्रभार का भू–राजस्व के रूप में वसूली के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।
34	मेसर्स मार्श इडे एंड अरगानो प्राइवेट लिमिटेड	0	0	4018	4018	4018	4018	16072	लीज डीड 28 मई 2012 को निरस्त कर दिया गया, बकाया उपयोग प्रभार का भू–राजस्व के रूप में वसूली के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।
35	मेसर्स महामाया उद्योग	87796	43898	43898	43898	43898	43898	307286	लीज डीड 28 जून 2014 को निरस्त कर दिया गया, बकाया उपयोग प्रभार का भू–राजस्व के रूप में वसूली के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।
36	मेसर्स ओम एस.आर इंटरप्राइजेस	662	6271	6271	6271	6271	6271	32017	लीज डीड 16 अक्टूबर 2014 को निरस्त कर दिया गया, बकाया उपयोग प्रभार का भू–राजस्व के रूप में वसूली के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।
37	मेसर्स श्री राम इंडस्ट्रीज	0	12542	12542	12542	12542	12542	62710	लीज डीड 23 जून 2014 को निरस्त कर दिया गया, बकाया उपयोग प्रभार का भू–राजस्व के रूप में वसूली के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।
38	मेसर्स संभव इंडस्ट्रीज	0	0	1394	12542	12542	12542	39020	लीज डीड 28 मई 2012 को निरस्त कर दिया गया, बकाया उपयोग प्रभार का भू–राजस्व के रूप में वसूली के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।
39	मेसर्स फारजिंग एंड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	255492	92906	92906	113228	150972	150972	856475	लीज डीड 27 मई 2015 को निरस्त कर दिया गया, बकाया उपयोग प्रभार का भू–राजस्व के रूप में वसूली के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।
40	मेसर्स लेंको अमरकंटक पावर प्राइवेट लिमिटेड	-	-	-	384837	384837	384837	1154511	भू–भाटक 2013 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

41	मेसर्स इफको छत्तीसगढ़ पावर एंड इस्पात लिमिटेड	-	-	-	457331	1636529	1636529	3730389	भू–भाटक 2013 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई।
42	मेसर्स लेंको अमरकंटक पावर प्राइवेट लिमिटेड	-	-	-	1300732	1300732	1300732	3902196	भू–भाटक 2013 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई।
43	मेसर्स वंदना विद्युत लिमिटेड	-	-	1135616	1135616	1135616	1135616	4542464	भू–भाटक 2012 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई।
44	मेसर्स वंदना विद्युत लिमिटेड	-	-	321840	321840	321840	321840	1287360	भू–भाटक 2012 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई।
45	मेसर्स वंदना विद्युत लिमिटेड	-	-	229759	229759	229759	229759	919036	भू–भाटक 2012 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई।
46	मेसर्स एस.ई. डब्ल्यू इंफ्रास्ट्रकचर लिमिटेड	-	-	282271	660442	660442	660442	2263597	भू–भाटक 2012 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई।
47	मेसर्स वंदना विद्युत लिमिटेड	-	-	219309	219309	219309	219309	877236	भू–भाटक 2012 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्तीकरण की सूचना 8 जून 2015 दिया गया। अब तक लीज डीड निरस्त नहीं की गई।
48	मेसर्स सोना पावर प्राइवेट लिमिटेड	-	3027218	8124520	8124520	8124520	8124520	35525298	भू–भाटक 2011 से बकाया है, यद्यपि लीज डीड निरस्तीकरण की सूचना 12 मई 2015 दिया गया। अब तक लीज डीड निरस्त नहीं की गई।
49	मेसर्स वंदना विद्युत लिमिटेड	-	-	716045	716045	716045	716045	2864180	भू–भाटक 2012 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्तीकरण की सूचना 8 जून 2015 दिया गया। अब तक लीज डीड निरस्त नहीं की गई।
50	मेसर्स वंदना एनर्जी एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड	-	-	277179	277179	277179	277179	1108716	भू–भाटक 2012 से बकाया है, लेकिन लीज डीड निरस्तीकरण की सूचना 8 जून 2015 दिया गया। अब तक लीज डीड निरस्त नहीं की गई।

(स्त्रोतः कम्पनी के अभिलेखों से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 2.20

आबंटितियों द्वारा रियायत की शर्त के पालन करने में विफल प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 2.8.8)

औद्योगिक क्षेत्र का नाम	आबंटिती का नाम	आबंटित भूमि	आबंटन की तिथि	भू–प्रीमियम की कुल राशि (₹)	प्रीमियम पर दी गई रियायत की राशि (₹)	छूट की पात्रता हेतु वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की अंतिम तिथि	वाणिज्यिक संचालन की वास्तविक तिथि
भनपुरी	रायपुर पालीमर्स	1.44 एकड़	06/03/2013	2341208	1170604	31/10/2014	अब तक प्रारंभ नहीं
उरला	डेस्टार पालिको प्राइवेट लिमिटेड	0.92 एकड़	29/04/2013	1486482	743241	31/10/2014	अब तक प्रारंभ नहीं
उरला	एस बी टी स्पाइनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड	2.34 एकड़	23/01/2013	3790528	1895264	31/10/2014	अब तक प्रारंभ नहीं
उरला	प्राइम विजन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	1.01 एकड़	16/05/2013	1625840	812920	31/10/2014	अब तक प्रारंभ नहीं
बिरकोनी	सिद्धार्थ पालीट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड	0.869 एकड़	05/03/2014	705756	351878	31/10/2014	अब तक प्रारंभ नहीं
बोरई	सिम्हागिरी फाउण्डरी वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	0.284 हेक्टेयर	14/08/2013	2328800	1164400	31/10/2014	अब तक प्रारंभ नहीं
बोरई	शालीमार पेलेट फीड्स लिमिटेड	2.428 हेक्टेयर	17/01/2012	19910970	9955485	31/10/2014	अब तक प्रारंभ नहीं
बोरई	डी एंड एच इंडिया लिमिटेड	0.80 हेक्टेयर	11/12/2012	6560000	3280000	31/10/2014	अब तक प्रारंभ नहीं
बोरई	दिनशॉ डेयरी फूड (सीजी) प्राइवेट लिमिटेड	2.00 हेक्टेयर	08/01/2013	16400000	8200000	31/10/2014	अब तक प्रारंभ नहीं
हथखोज	रिलायेबल हाई–टेक इंफ्रास्ट्रकचर प्राइवेट लिमिटेड	1.9791 हेक्टेयर	17/10/2014	19791000	9895500	31/10/2014	अब तक प्रारंभ नहीं (चूंकि लीज डीड का निष्पादन 31 अक्टूबर 2014 के पश्चात् 18 जून 2015 को किया गया इसलिए कम्पनी को लीज डीड के निष्पादन के पूर्व 100 प्रतिशत प्रीमियम की वसूली करना चाहिए था)
योग				**74940584**	**37469292**		

(स्त्रोतः कम्पनी के अभिलेखों से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक 3.1

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के संविदा कर्मचारियों को फरवरी 2015 तक भुगतान किए गए अधिक वेतन को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 3.4)

क्र. सं.	कर्मचारियों के नाम	पदनाम	प्रावधानिक सेटअप के अनुसार वेतनमान (₹)	ग्रेड पे (₹)	अवधि		प्रति माह भुगतान की गयी वास्तविक समेकित वेतन (₹)	संविदा नियम[1] के अनुसार दिया जाने वाला समेकित वेतन (₹)	प्रति माह भुगतान किया गया अधिक वेतन (₹)	कुल अधिक भुगतान (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
1	स्वागत कुमार साहू	महाप्रबन्धक (तकनीकी)	37000-67000	8700	01/05/2013	31/07/2013	60000	27840	32160	96480
					01/08/2013	30/04/2014	60000	30620	29380	264420
					01/05/2014	28/02/2015	63000	30620	32380	323800
2	विपिन माहेश्वरी	महाप्रबन्धक (वित्त)	37000-67000	8700	06/05/2013	31/07/2013	60000	27840	32160	92192
					01/08/2013	05/05/2014	60000	30620	29380	271275
					06/05/2014	28/02/2015	63000	30620	32380	321641
3	निखत आफ़रीन खान	उप प्रबन्धक (प्रशासन एच आर)	15600-39100	6600	23/04/2013	31/07/2013	30000	24960	5040	16632
					01/08/2013	22/04/2014	30000	27460	2540	22352
					23/04/2014	28/02/2015	31500	27460	4040	41881
4	वीरेंद्र जैन	उप प्रबन्धक (क्यू–सी)	15600-39100	6600	23/04/2013	31/07/2013	30000	24960	5040	16632
					01/08/2013	22/04/2014	30000	27460	2540	22352
					23/04/2014	28/02/2015	31500	27460	4040	41881
5	आशुतोष पोद्धार	उप प्रबन्धक (वित्त)	15600-39100	6600	03/05/2013	31/07/2013	30000	24960	5040	14952
					01/08/2013	30/04/2014	30000	27460	2540	22860
					01/05/2014	28/02/2015	31500	27460	4040	40400
6	तेजस्वी श्रीवास्तव	बायोमेडिकल इंजीनियर	15600-39100	6600	24/08/2013	30/09/2014	40000	27460	12540	168036
					01/10/2014	28/02/2015	41500	27460	14040	70200
7	केयूर थुमर	उप प्रबन्धक (पी ओ)	15600-39100	6600	28/09/2013	27/09/2014	40000	27460	12540	150480
					27/09/2014	28/02/2015	41500	27460	14040	72072
8	आनंद पड़ेगांवकर	कार्यपालन यंत्री	15600-39100	6600	03/10/2013	03/10/2014	40000	27460	12540	150480
					03/10/2014	28/02/2015	41500	27460	14040	69264
9	मृत्युंजय साहू	कार्यपालन यंत्री	15600-39100	6600	03/10/2013	03/10/2014	40000	27460	12540	150480
					03/10/2014	28/02/2015	41500	27460	14040	69264
10	मृगेंद्र ज्योति सोनवानी	कार्यपालन यंत्री	15600-39100	6600	11/10/2013	10/10/2014	40000	27460	12540	150480
					11/10/2014	28/02/2015	41500	27460	14040	65520
11	सुखदेव कश्यप	सिस्टम प्रबन्धक	15600-39100	6600	15/05/2014	28/02/2015	30000	27460	2540	24469
12	सर्वोत्तम मुंजवानी	सहा. यंत्री	15600-39100	5400	13/05/2013	31/07/2013	29000	22610	6390	16827
					01/08/2013	12/05/2014	29000	24870	4130	39097
					13/05/2014	28/02/2015	30400	24870	5530	53641
13	मनीष साहू	सहा. यंत्री	15600-39100	5400	22/07/2013	31/07/2013	29000	22610	6390	1917
					01/08/2013	21/07/2014	29000	24870	4130	48734
					22/07/2014	28/02/2015	30400	24870	5530	40738
14	शशि कान्त साहू	सहा. यंत्री	15600-39100	5400	24/09/2013	23/09/2014	29000	24870	4130	50111
					24/09/2014	28/02/2015	30400	24870	5530	28940
15	निशांत सुर	सहा. यंत्री	15600-39100	5400	18/11/2014	28/02/2015	29000	24870	4130	14042
16	महेंद्र प्रताप सिंह	सहा. यंत्री	15600-39100	5400	20/11/2014	28/02/2015	29000	24870	4130	13767
17	शांमुखानद्ध	सहा. बायोमेडिकल यंत्री	15600-39100	5400	01/12/2014	28/02/2015	29000	24870	4130	12390
18	नुरीन अहमद (त्यागपत्र जनवरी 2015)	एच आर अधिकारी	9300-34800	4600	12/07/2012	11/07/2013	19000	16440	2560	30720
					12/07/2013	31/07/2013	20200	16440	3760	2381
					01/08/2013	11/07/2014	20200	18080	2120	24309
					12/07/2014	31/12/2014	21400	18080	3320	19035

[1] संविदा नियम में वेतनमान ₹ 8700 तथा ₹ 4600 के लिए कोई समेकित संविदा वेतन उपलब्ध नहीं होने के कारण, इन पदों पर अतिरिक्त वेतन की गणना संविदा नियम में वेतनमान ₹ 7600 तथा ₹ 4400 के लिए दिये गये समेकित वेतन के आधार पर की गई है।

क्र. सं.	कर्मचारियों के नाम	पदनाम	प्रावधानिक सेटअप के अनुसार वेतनमान (₹)	ग्रेड पे (₹)	अवधि		प्रति माह भुगतान की गयी वास्तविक समेकित वेतन (₹)	संविदा नियम[1] के अनुसार दिया जाने वाला समेकित वेतन (₹)	प्रति माह भुगतान किया गया अधिक वेतन (₹)	कुल अधिक भुगतान (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
19	रौनक पाण्डेय	प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800	4600	27/04/2013	31/07/2013	19000	16440	2560	8107
					01/08/2013	26/04/2014	20200	18080	2120	18939
					27/04/2014	28/02/2015	20200	18080	2120	21695
20	तृप्ति राय	सहा./सिस्टम प्रबन्धक	9300-34800	4600	01/05/2013	31/07/2013	19000	16440	2560	7765
					01/08/2013	30/04/2014	19000	18080	920	8341
					01/05/2014	28/02/2015	20200	18080	2120	21200
21	अशोक कुमार धीवर	सहा. लेखा अधिकारी	9300-34800	4600	03/05/2013	31/07/2013	19000	16440	2560	7595
					01/08/2013	03/05/2014	19000	18080	920	8433
					02/05/2014	28/02/2015	20200	18080	2120	21200
22	शैलेंद्र कुमार साहू	सहा. लेखा अधिकारी	9300-34800	4600	04/05/2013	31/07/2013	19000	16440	2560	7509
					01/08/2013	03/05/2014	19000	18080	920	8433
					04/05/2014	28/02/2015	20200	18080	2120	21200
23	राम कुमार पटेल	सहा./सिस्टम प्रबन्धक	9300-34800	4600	12/08/2013	11/08/2014	19000	18080	920	11040
					12/08/2014	28/02/2015	20200	18080	2120	14133
24	सुनील कुमार नाग	सहा. लेखा अधिकारी	9300-34800	4600	19/08/2013	18/08/2014	19000	18080	920	11040
					19/08/2014	28/02/2015	20200	18080	2120	13639
25	देकेश्वर वर्मा	निविदा एवं क्रय अधिकारी	9300-34800	4600	22/08/2013	21/08/2014	19000	18080	920	11040
					22/08/2014	28/02/2015	20200	18080	2120	13427
26	अनीता सुरेश	सहा. लेखा अधिकारी	9300-34800	4600	03/10/2013	02/10/2014	19000	18080	920	11040
					03/10/2014	28/02/2015	20200	18080	2120	10459
27	इति नायडू	सहा./सिस्टम प्रबन्धक	9300-34800	4600	05/10/2013	04/10/2014	19000	18080	920	11040
					05/10/2014	28/02/2015	20200	18080	2120	10317
28	कल्पना सूर्यवंशी	निविदा एवं क्रय अधिकारी	9300-34800	4600	07/10/2013	06/10/2014	19000	18080	920	11040
					07/10/2014	28/02/2015	20200	18080	2120	10176
29	शलिनी बाजपेई	निविदा एवं क्रय अधिकारी	9300-34800	4600	01/04/2014	28/02/2015	19000	18080	920	10120
30	कृष्ण दत्त अग्निहोत्री	उप यंत्री	9300-34800	4200	26/04/2013	31/07/2013	19000	14180	4820	15424
					01/08/2013	25/04/2014	19000	15600	3400	30260
					26/04/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	47227
31	अभिषेक कुमार सोनी	उप यंत्री	9300-34800	4200	02/05/2013	31/07/2013	19000	14180	4820	14460
					01/08/2013	01/05/2014	19000	15600	3400	30940
					02/05/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	46307
32	देवराज गुप्ता	उप यंत्री	9300-34800	4200	20/05/2013	31/07/2013	19000	14180	4820	11568
					01/08/2013	19/05/2014	19000	15600	3400	32980
					20/05/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	43547
33	लेखराज ठाकुर	उप यंत्री	9300-34800	4200	22/05/2013	31/07/2013	19000	14180	4820	11247
					01/08/2013	21/05/2014	19000	15600	3400	33207
					22/05/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	43240
34	प्रतिमा शर्मा	उप यंत्री	9300-34800	4200	15/07/2013	31/07/2013	19000	14180	4820	2571
					01/08/2013	15/07/2014	19000	15600	3400	39440
					16/07/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	34807
35	रवि कान्त भोसले	उप यंत्री	9300-34800	4200	18/07/2013	31/07/2013	19000	14180	4820	2089
					01/08/2013	17/07/2014	19000	15600	3400	39667
					18/07/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	34500
36	अजय कापसे	उप यंत्री	9300-34800	4200	18/07/2013	31/07/2013	19000	14180	4820	2089
					01/08/2013	17/07/2014	19000	15600	3400	39667
					18/07/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	34500
37	मनीष फुलेकर	उप यंत्री	9300-34800	4200	19/07/2013	31/07/2013	19000	14180	4820	1928
					01/08/2013	18/07/2014	19000	15600	3400	39780
					19/07/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	34347
38	अमित कुमार शर्मा	उप यंत्री	9300-34800	4200	19/07/2013	31/07/2013	19000	14180	4820	1928
					01/08/2013	18/07/2014	19000	15600	3400	39780
					19/07/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	34347
39	रंजना अग्रवाल	उप यंत्री	9300-34800	4200	22/07/2013	31/07/2013	19000	14180	4820	1446
					01/08/2013	21/07/2014	19000	15600	3400	40120
					22/07/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	33887

क्र. सं.	कर्मचारियों के नाम	पदनाम	प्रावधानिक सेटअप के अनुसार वेतनमान (₹)	ग्रेड पे (₹)	अवधि		प्रति माह भुगतान की गयी वास्तविक समेकित वेतन (₹)	संविदा नियम[1] के अनुसार दिया जाने वाला समेकित वेतन (₹)	प्रति माह भुगतान किया गया अधिक वेतन (₹)	कुल अधिक भुगतान (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
40	रूध्यन्त कुमार महालिंगे	उप यंत्री	9300-34800	4200	22/07/2013	31/07/2013	19000	14180	4820	1446
					01/08/2013	21/07/2014	19000	15600	3400	40120
					22/07/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	33887
41	विनदया कुमार टिर्की	उप यंत्री	9300-34800	4200	24/07/2013	31/07/2013	19000	14180	4820	1125
					01/08/2013	23/07/2014	19000	15600	3400	40347
					24/07/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	33580
42	ललित कुमार वर्मा	उप यंत्री	9300-34800	4200	24/07/2013	31/07/2013	19000	14180	4820	1125
					01/08/2013	23/07/2014	19000	15600	3400	40347
					24/07/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	33580
43	रोहित कुमार नाग	उप यंत्री	9300-34800	4200	23/07/2013	31/07/2013	19000	14180	4820	1285
					01/08/2013	22/07/2014	19000	15600	3400	40233
					23/07/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	33733
44	प्रवीण मेश्राम	उप यंत्री	9300-34800	4200	25/07/2013	31/07/2013	19000	14180	4820	964
					01/08/2013	24/07/2014	19000	15600	3400	40460
					25/07/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	33427
45	अविनाश यदु	उप यंत्री	9300-34800	4200	30/09/2013	30/09/2014	19000	15600	3400	40800
					01/10/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	23000
46	शोभाराम देवहरी	उप यंत्री	9300-34800	4200	01/10/2013	30/09/2014	19000	15600	3400	40800
					01/10/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	23000
47	अमोल कननमवार	उप यंत्री	9300-34800	4200	01/10/2013	30/09/2014	19000	15600	3400	40800
					01/10/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	23000
48	इरशाद खान	उप यंत्री	9300-34800	4200	03/10/2013	02/10/2014	19000	15600	3400	40800
					03/10/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	22693
49	रॉबिन कुजूर	उप यंत्री	9300-34800	4200	03/10/2013	02/10/2014	19000	15600	3400	40800
					03/10/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	22693
50	विवेक रंजन टिर्की	उप यंत्री	9300-34800	4200	03/10/2013	02/10/2014	19000	15600	3400	40800
					03/10/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	22693
51	विजीत सोरी (त्यागपत्र सितंबर 2014)	उप यंत्री	9300-34800	4200	03/10/2013	31/08/2014	19000	15600	3400	37400
52	आकाश साहू	उप यंत्री	9300-34800	4200	03/10/2013	02/10/2014	19000	15600	3400	40800
					03/10/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	22693
53	वासुदेव अरगोल	उप यंत्री	9300-34800	4200	05/10/2013	04/10/2014	19000	15600	3400	40800
					04/10/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	22540
54	सुरेखा मींज	उप यंत्री	9300-34800	4200	05/10/2013	04/10/2014	19000	15600	3400	40800
					04/10/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	22540
55	शैलेश नागेश्वर	उप यंत्री	9300-34800	4200	07/10/2013	06/10/2014	19000	15600	3400	40800
					07/10/2014	28/02/2015	20200	15600	4600	22080
56	दिव्यानंद पचोरी	उप यंत्री	9300-34800	4200	07/06/2014	28/02/2015	19000	15600	3400	30147
57	विशाल श्री जैसवाल (त्यागपत्र नवंबर 2014)	उप यंत्री	9300-34800	4200	10/06/2014	31/10/2014	19000	15600	3400	16207
58	गिरिजाशंकर पात्रे	उप यंत्री	9300-34800	4200	01/07/2014	28/02/2015	19000	15600	3400	27427
59	महेंद्र नेताम	उप यंत्री	9300-34800	4200	18/11/2014	28/02/2015	19000	15600	3400	11560
60	संतोष कुमार साहू	स्टेनो (एच)	5200-20200	2800	21/11/2012	31/07/2013	11000	10940	60	504
					01/08/2013	20/11/2013	11000	12030	0	0
					21/11/2013	20/11/2014	11800	12030	0	0
					21/11/2014	28/02/2015	12600	12030	570	1881
61	पूनम त्रिपाठी	एच आर अनुभाग अधिकारी	5200-20200	2800	24/08/2013	23/08/2014	11000	12030	0	0
					24/08/2014	28/02/2015	11800	12030	0	0
62	सौरभ कुमार श्रीवास्तव	प्रशासनिक अनुभाग अधिकारी	5200-20200	2800	25/02/2014	28/02/2015	11000	12030	0	0
63	विकास अग्रवाल	लेखा सहायक	5200-20200	2800	18/11/2014	28/02/2015	11000	12030	0	0
64	सनत कुमार ध्रुव	लेखा सहायक	5200-20200	2800	18/11/2014	28/02/2015	11000	12030	0	0
65	मीनल रेगुलवार	लेखा सहायक	5200-20200	2800	01/12/2014	28/02/2015	11000	12030	0	0
66	गजानन्द श्रीवास्तव	डीईओ	5200-20200	2400	17/06/2013	31/07/2013	10000	9750	250	367
					01/08/2013	16/06/2014	10000	10670	0	0
					17/06/2014	28/02/2015	10700	10670	30	256
67	विवेक कुमार पटेल	डीईओ	5200-20200	2400	22/06/2013	31/07/2013	10000	9750	250	325

क्र. सं.	कर्मचारियों के नाम	पदनाम	प्रावधानिक सेटअप के अनुसार वेतनमान (₹)	ग्रेड पे (₹)	अवधि		प्रति माह भुगतान की गयी वास्तविक समेकित वेतन (₹)	संविदा नियम[1] के अनुसार दिया जाने वाला समेकित वेतन (₹)	प्रति माह भुगतान किया गया अधिक वेतन (₹)	कुल अधिक भुगतान (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
					01/08/2013	21/06/2014	10000	10670	0	0
					22/06/2014	28/02/2015	10700	10670	30	251
68	सोहन प्रधान	डीईओ	5200-20200	2400	24/06/2013	31/07/2013	10000	9750	250	308
					01/08/2013	23/06/2014	10000	10670	0	0
					24/06/2014	28/02/2015	10700	10670	30	249
69	विजय पराते	डीईओ	5200-20200	2400	25/06/2013	31/07/2013	10000	9750	250	300
					01/08/2013	24/06/2014	10000	10670	0	0
					25/06/2014	28/02/2015	10700	10670	30	248
70	दिलीप कुमार	डीईओ	5200-20200	2400	27/06/2013	31/07/2013	10000	9750	250	283
					01/08/2013	26/06/2014	10000	10670	0	0
					27/06/2014	28/02/2015	10700	10670	30	246
71	नवीन देवांगन	डीईओ	5200-20200	2400	27/06/2013	31/07/2013	10000	9750	250	283
					01/08/2013	26/06/2014	10000	10670	0	0
					27/06/2014	28/02/2015	10700	10670	30	246
72	गोविंद प्रसाद (त्यागपत्र जुलाई 2014)	डीईओ	5200-20200	2400	26/08/2013	30/06/2014	10000	10670	0	0
73	छत्तर सिंह	डीईओ	5200-20200	2400	27/06/2013	31/07/2013	10000	9750	250	283
					01/08/2013	26/06/2014	10000	10670	0	0
					27/06/2014	28/02/2015	10700	10670	30	246
74	राज कुमार ढिधी	डीईओ	5200-20200	2400	19/09/2013	18/09/2014	10000	10670	0	0
					19/09/2014	28/02/2015	10700	10670	30	162
75	पीताम्बर प्रसाद	डीईओ	5200-20200	2400	30/09/2013	30/09/2014	10000	10670	0	0
					01/10/2014	28/02/2015	10700	10670	30	150
76	राहुल गुप्ता	डीईओ	5200-20200	2400	01/10/2013	30/09/2014	10000	10670	0	0
					01/10/2014	28/02/2015	10700	10670	30	150
77	विनोद निर्मलकर	डीईओ	5200-20200	2400	02/12/2013	01/12/2014	10000	10670	0	0
					02/12/2014	28/02/2015	10700	10670	30	88
78	रोहित कुमार साहू	डीईओ	5200-20200	2400	09/12/2013	08/12/2014	10000	10670	0	0
					09/12/2014	28/02/2015	10700	10670	30	81
79	खेमराज साहू	डीईओ	5200-20200	2400	09/12/2013	08/12/2014	10000	10670	0	0
					09/12/2014	28/02/2015	10700	10670	30	81
80	बलदेव प्रसाद तिवारी (त्यागपत्र सितम्बर 2014)	डीईओ	5200-20200	2400	16/12/2013	31/08/2014	10000	10670	0	0
81	टोकेश्वर दहरिया	डीईओ	5200-20200	2400	15/01/2014	14/01/2015	10000	10670	0	0
					16/01/2015	28/02/2015	10700	10670	30	43
82	रविशरण उरांव (त्यागपत्र जुलाई 2014)	डीईओ	5200-20200	2400	16/01/2014	30/06/2014	10000	10670	0	0
83	हेमलता मारकंडे	डीईओ	5200-20200	2400	21/01/2014	20/01/2015	10000	10670	0	0
					21/01/2015	28/02/2015	10700	10670	30	38
84	रिचर्ड ऋषिराज	कार्यालय सहायक	4400-7440	1300	20/06/2013	31/07/2013	10000	6640	3360	4592
					01/08/2013	20/06/2014	10000	7300	2700	29070
					21/06/2014	28/02/2015	10700	7300	3400	28560
85	माया सिंह	कार्यालय सहायक	4400-7440	1300	22/06/2013	31/07/2013	10000	6640	3360	4368
					01/08/2013	21/06/2014	10000	7300	2700	29160
					22/06/2014	28/02/2015	10700	7300	3400	28447
86	हरिश कुमार कोसरिया	कार्यालय सहायक	4400-7440	1300	26/06/2013	31/07/2013	10000	6640	3360	3920
					01/08/2013	25/06/2014	10000	7300	2700	29520
					26/06/2014	28/02/2015	10700	7300	3400	27993
87	महेंद्र कुमार पात्रे	कार्यालय सहायक	4400-7440	1300	27/06/2013	31/07/2013	10000	6640	3360	3808
					01/08/2013	26/06/2014	10000	7300	2700	29610
					27/06/2014	28/02/2015	10700	7300	3400	27880
88	छत्तर प्रकाश प्रधान	हम्माल	4400-7440	1300	13/08/2013	12/08/2014	6000	7300	0	0
					13/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
89	तेज नारायण ध्रुव	चपरासी	4400-7440	1300	13/08/2013	12/08/2014	6000	7300	0	0
					13/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0

क्र. सं.	कर्मचारियों के नाम	पदनाम	प्रावधानिक सेटअप के अनुसार वेतनमान (₹)	ग्रेड पे (₹)	अवधि		प्रति माह भुगतान की गयी वास्तविक समेकित वेतन (₹)	संविदा नियम[1] के अनुसार दिया जाने वाला समेकित वेतन (₹)	प्रति माह भुगतान किया गया अधिक वेतन (₹)	कुल अधिक भुगतान (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
90	कन्हैया लाल साहू	चौकिदार	4400-7440	1300	13/08/2013	12/08/2014	6000	7300	0	0
					13/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
91	राम कुमार नागर्ची	चपरासी	4400-7440	1300	14/08/2013	13/08/2014	6000	7300	0	0
					14/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
92	चन्द कुमार कुर्रे	हम्माल	4400-7440	1300	14/08/2013	13/08/2014	6000	7300	0	0
					14/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
93	लक्ष्मी नाथ ध्रुवे	हम्माल	4400-7440	1300	14/08/2013	13/08/2014	6000	7300	0	0
					14/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
94	गेविंद राम बार्ले	हम्माल	4400-7440	1300	14/08/2013	13/08/2014	6000	7300	0	0
					14/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
95	राम कुमार नेताम	चौकिदार	4400-7440	1300	14/08/2013	13/08/2014	6000	7300	0	0
					14/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
96	राधेश्याम पैगवार	चौकिदार	4400-7440	1300	15/08/2013	14/08/2014	6000	7300	0	0
					15/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
97	मुरली साहू	हम्माल	4400-7440	1300	16/08/2013	15/08/2014	6000	7300	0	0
					16/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
98	मन दास पड़ोती	चपरासी	4400-7440	1300	16/08/2013	15/08/2014	6000	7300	0	0
					16/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
99	टंकेश्वर बघेल	चपरासी	4400-7440	1300	16/08/2013	15/08/2014	6000	7300	0	0
					16/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
100	मनीष पात्रे	हम्माल	4400-7440	1300	16/08/2013	15/08/2014	6000	7300	0	0
					16/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
101	विष्णु राम	गार्ड	4400-7440	1300	16/08/2013	15/08/2014	6000	7300	0	0
					16/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
102	अजय बघेल	गार्ड	4400-7440	1300	16/08/2013	15/08/2014	6000	7300	0	0
					16/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
103	सोहन चंद्रवंशी	चौकिदार	4400-7440	1300	17/08/2013	16/08/2014	6000	7300	0	0
					17/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
104	चिंता राम देशवर	हम्माल	4400-7440	1300	19/08/2013	18/08/2014	6000	7300	0	0
					19/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
105	रूपेश कुमार नेताम	चपरासी	4400-7440	1300	19/08/2013	18/08/2014	6000	7300	0	0
					19/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
106	तामेश्वर यादव	चौकिदार	4400-7440	1300	19/08/2013	18/08/2014	6000	7300	0	0
					19/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
107	संतनु राम	चौकिदार	4400-7440	1300	19/08/2013	18/08/2014	6000	7300	0	0
					19/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
108	ठाकरा राम साहू	हम्माल	4400-7440	1300	19/08/2013	18/08/2014	6000	7300	0	0
					19/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
109	परमेश्वर गगवंशी	हम्माल	4400-7440	1300	19/08/2013	18/08/2014	6000	7300	0	0
					19/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
110	राजेश कुमार दीवान	चपरासी	4400-7440	1300	19/08/2013	18/08/2014	6000	7300	0	0
					19/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
111	मिथलेश कुमार कुरिल	चौकिदार	4400-7440	1300	19/08/2013	18/08/2014	6000	7300	0	0
					19/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
112	निरंजन बाग	हम्माल	4400-7440	1300	19/08/2013	18/08/2014	6000	7300	0	0
					19/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
113	राजबीर दास	हम्माल	4400-7440	1300	22/08/2013	21/08/2014	6000	7300	0	0
					22/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
114	रमेश कुमार मरावी	हम्माल	4400-7440	1300	22/08/2013	21/08/2014	6000	7300	0	0
					22/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
115	मनबहार सिंह पैकरा	चौकिदार	4400-7440	1300	23/08/2013	22/08/2014	6000	7300	0	0
					23/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
116	संदीप कुमार एक्का	चपरासी	4400-7440	1300	23/08/2013	22/08/2014	6000	7300	0	0
					23/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
117	राजेश कुजूर	चौकिदार	4400-7440	1300	23/08/2013	22/08/2014	6000	7300	0	0
					23/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
118	सुरेश लाकरा	हम्माल	4400-7440	1300	23/08/2013	22/08/2014	6000	7300	0	0
					23/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0

क्र. सं.	कर्मचारियों के नाम	पदनाम	प्रावधानिक सेटअप के अनुसार वेतनमान (₹)	ग्रेड पे (₹)	अवधि		प्रति माह भुगतान की गयी वास्तविक समेकित वेतन (₹)	संविदा नियम[1] के अनुसार दिया जाने वाला समेकित वेतन (₹)	प्रति माह भुगतान किया गया अधिक वेतन (₹)	कुल अधिक भुगतान (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11
119	राम कुमार डिल्लो	हम्माल	4400-7440	1300	23/08/2013	22/08/2014	6000	7300	0	0
					23/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
120	सुरेश कुमार भगत	चपरासी	4400-7440	1300	23/08/2013	22/08/2014	6000	7300	0	0
					23/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
121	उषा किरण एक्का	हम्माल	4400-7440	1300	23/08/2013	22/08/2014	6000	7300	0	0
					23/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
122	शंकर लाल दानसेना	चौकिदार	4400-7440	1300	23/08/2013	22/08/2014	6000	7300	0	0
					23/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
123	राजेश सिंह सीडर	चौकिदार	4400-7440	1300	24/08/2013	23/08/2014	6000	7300	0	0
					24/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
124	विवेक मंडावी	हम्माल	4400-7440	1300	24/08/2013	23/08/2014	6000	7300	0	0
					24/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
125	लकेश जुरेशीया	चौकिदार	4400-7440	1300	29/08/2013	28/08/2014	6000	7300	0	0
					29/08/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
126	गेंद सिंह (त्यागपत्र नवम्बर 2014)	चौकिदार	4400-7440	1300	29/08/2013	28/08/2014	6000	7300	0	0
					29/08/2014	31/10/2014	6500	7300	0	0
127	रूपेश कुमार	चपरासी	4400-7440	1300	04/09/2013	03/09/2014	6000	7300	0	0
					04/09/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
128	राहुल लोधी	चपरासी	4400-7440	1300	12/09/2013	11/09/2014	6000	7300	0	0
					12/09/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
129	रिमनाथ कोररम	हम्माल	4400-7440	1300	16/09/2013	15/09/2014	6000	7300	0	0
					16/09/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
130	सुशील कुमार डाहरे	चपरासी	4400-7440	1300	17/09/2013	16/09/2014	6000	7300	0	0
					17/09/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
131	खेलावन दीवान	गार्ड	4400-7440	1300	11/12/2013	10/12/2014	6000	7300	0	0
					11/12/2014	28/02/2015	6500	7300	0	0
132	सुबोध टिर्की	कार्यालय सहायक	4400-7440	1300	15/01/2014	14/01/2015	10000	7300	2700	32400
					15/01/2015	28/02/2015	10700	7300	3400	4987
133	शीतल प्रसाद सीडर	गार्ड	4400-7440	1300	26/02/2014	28/02/2015	6000	7300	0	0
134	अशोक कुमार साहू	हम्माल राजनांद गाँव	4400-7440	1300	01/07/2014	28/02/2015	6000	7300	0	0
135	श्याम चरण गुप्ता	गार्ड अम्बिकापुर	4400-7440	1300	01/07/2014	28/02/2015	6000	7300	0	0
योग										5698088

(स्त्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक – 3.2

बैंक खातों में ऑटो स्वीप की सुविधा न लेने के कारण ब्याज में हुई हानि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 3.5)

क्र. सं.	बैंक का नाम	खाता संख्या	ब्याज की हानि[2] (₹)
1	पंजाब नेशनल बैंक, बचत खाता	6114000100016402	6236828
2	भारतीय स्टेट बैंक, बचत खाता	32802133523	2278692
3	भारतीय स्टेट बैंक, बचत खाता	33181757582	504321
4	एक्सिस बैंक, बचत खाता	913010024103123	1253013
5	एक्सिस बैंक, बचत खाता	913010010530689	3093830
6	कोटक महिंद्रा, बचत खाता	9511296179	323694
7	कोटक महिंद्रा, बचत खाता	9511274191	1930816
8	एचडीएफसी, बचत खाता	1521450000451	6038241
9	एचडीएफसी, बचत खाता	1521450000461	17886821
10	एचडीएफसी, बचत खाता	1527620000015	2450239
11	इंडियन ओवरसीस बैंक, बचत खाता	121301000010000	4882642
12	इंडियन ओवरसीस बैंक, बचत खाता	287101000000888	1319933
13	इंडियन ओवरसीस बैंक, बचत खाता	287101000000666	442593
14	आईडीबीआई, बचत खाता	49104000504454	1711975
15	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बचत खाता	3246995981	3753185
16	आईसीआईसीआई बैंक, बचत खाता	16101015110	5656500
योग			**59763321**

(स्त्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

[2] प्राथमिक खाते में न्यूनतम ₹ 1.00 लाख रखते हुये तथा ऑटो स्वीप खाते में ₹1000 के गुणक में ₹1.00 लाख से अधिक न्यूनतम शेष में साप्ताहिक आधार पर एसबीआई कार्ड रेट पर उस अवधि के लिए, जितने समय के लिए राशि खाते में पड़ी थी तब तक, न्यूनतम 15 दिन की अवधि मानते हुए ब्याज की गणना की गई है । राशि की आवश्यकता होने पर (ऑटो स्वीप सावधि जमा खाते को बंद करते समय) रिवर्स ऑटो स्वीप के रूप में अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन (लिफो) प्रणाली अपनाई गई है ।

अनुलग्नक – 3.3

कम्पनी द्वारा भुगतान की गयी वैट राशि को दिखाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 3.8)

(राशि ₹ में)

माह	10% ♣ मार्जिन को सम्मिलित करते हुये विक्रय की कुल राशि	विक्रय की कुल राशि पर 7% की दर से भुगतान किया गया वैट
1	2	3 (2*7/107)
अगस्त - 13	432903905	28320816
सितम्बर - 13	511909065	33489378
अक्टूबर - 13	640073733	41873983
नवंबर - 13	518128444	33896253
दिसंबर - 13	621044243	40629063
जनवरी - 14	567748228	37142407
फरवरी - 14	540192519	35339698
मार्च - 14	563861368	36888127
योग 13-14		**287579725**
अप्रैल - 14	837996561	54822205
मई - 14	810356481	53013975
जून - 14	685674150	44857187
जुलाई - 14	589785839	38584120
अगस्त -14	591042335	38666321
सितम्बर -14	646720439	42308814
अक्टूबर -14	688526818	45043811
नवंबर -14	589097904	38539115
दिसंबर -14	735717351	48131042
जनवरी -15	750358513	49088875
फरवरी -15	736366312	48173497
मार्च -15	539847484	35317125
योग 14-15		**536546087**

(स्त्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

♣ फुटकर विक्रेताओं तथा शासकीय दुकानों को सम्मिलित करते हुये एवं सुरक्षा बलों को छोड़कर किया गया विक्रय

अनुलग्नक– 3.4

राजस्व आधारित प्रणाली के अधीन विद्यमान् कार्य आदेशों को जारी रखने को दिखाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 3.11)

क्र.सं.	फ्रेंचाइजी का नाम	क्षेत्र (वितरण केन्द्र)	आबंटित गाँव	मूल कार्य आदेश की तिथि	प्रथम विस्तार आदेश की तिथि एवं अवधि	द्वितीय विस्तार आदेश की तिथि एवं अवधि	तृतीय विस्तार आदेश की तिथि एवं अवधि
(अ) ओ एण्ड एम संभाग–I, रायगढ़							
1	प्रशांत कुमार मेश्राम	रायगढ़ (ग्रामीण)	10	02.04.2008 (2 वर्ष)	19.03.2010 (2 वर्ष)	04.05.2012 (1 वर्ष)	30-06-2013 तक (3 माह)
2	दिलेश्वर साव	रायगढ़ (ग्रामीण)	16	26.03.2008 (2 वर्ष)	19.03.2010 (2 वर्ष)	03.05.2012 (1 वर्ष)	30-06-2013 तक (3 माह)
3	गणेश कुमार डे	रायगढ़ (ग्रामीण)	20	20.05.2008 (2 वर्ष)	24.04.2010 (2 वर्ष)	28.05.2012 (1 वर्ष)	19-05-2013 (3 माह)
4	गणेश कुमार डे	रायगढ़ (ग्रामीण)	8	28.02.2009 (2 वर्ष)	10.03.2011 (2 वर्ष)	31.05.2013 तक (3 माह)	-
5	राजेश कुमार यादव	घरघोड़ा	36	03.10.2008 (2 वर्ष)	22.10.2010 (2 वर्ष)	17.10.2012 (6 माह)	30-06-2013 तक (3 माह)
(ब) ओ एण्ड एम संभाग–II, रायगढ़							
6	उमा साव	कोंडातराई एवं पुसोर	57	01.10.2008 (2 वर्ष)	28.08.2010 (2 वर्ष)	-	-
7	गंगाधर पटेल	कोंडातराई	16	25.02.2008 (2 वर्ष)	10.05.2010 (2 वर्ष)	-	-
8	नरेन्द्र पंडा	कोंडातराई एवं पुसोर	57	03.03.2008 (2 वर्ष)	01.05.2010 (2 वर्ष)	03.05.2012 (01.03.2013 तक)	-
9	मार्तण्ड पटेल	सरिया	29	12.12.2007 (2 वर्ष)	03.12.2009 (2 वर्ष)	02.12.2011 (4 माह)	03.05.2012 (31.03.13 तक) एवं 30.09.2013 (30.06.13 तक)
10	राकेश नायक	बरमकेला	51	12.12.2007 (2 वर्ष)	03.12.2009 (2 वर्ष)	02.12.2011 (4 माह)	03.05.2012 (31.03.13 तक) एवं 30.09.2013 (30.06.13 तक)
11	कुसुम कुमार पटेल	कोंडातराई, सरिया एवं पुसोर	47	27.03.2008 (2 वर्ष)	18.01.2010 (2 वर्ष)	03.05.2012 (31.03.13 तक) एवं 30.09.2013 (30.06.13 तक)	-
12	सुदामा ईजारदार	सरिया	14	24.01.2008 (2 वर्ष)	29.01.2010 (2 वर्ष)	03.05.2012 (31.03.13 तक) एवं 30.09.2013 (30.06.13 तक)	-

(स्त्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक–3.5

रायगढ़ ओ एण्ड एम संभाग I और II में फ्रेंचाइजी को किये गये परिहार्य अतिरिक्त भुगतान को दिखाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 3.11)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	फ्रेंचाइजी का नाम	वितरण केन्द्र का नाम	अवधि	अवधि के लिए कुल माँग	फ्रेंचाइजी द्वारा संग्रहित की गई राशि	वितरण केन्द्र द्वारा संग्रहित राशि	कुल संग्रहण	राजस्व आधारित प्रणाली के अधीन भुगतान किया गया कमीशन			इनपुट आधारित प्रणाली के अधीन भुगतान योग्य अधिकतम कमीशन	परिहार्य भुगतान
								नियमित	तिमाही	योग	राशि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (12–13)
अ. ओ एण्ड एम संभाग I, रायगढ़												
1	प्रशांत कुमार मेश्राम	रायगढ़ (ग्रामीण)	04/2011 से 06/2013	63142136	61409078	1102764	62511842	11726536	1557040	13283576	10402915	2880661
2	दिलेश्वर साव	रायगढ़ (ग्रामीण)	04/2011 से 06/2013	36814512	29853176	419265	30272441	5219295	588525	5807820	4834654	973167
3	गणेश कुमार डे (20 गाँव)	रायगढ़ (ग्रामीण)	04/2011 से 05/2013	12974022	11213092	803298	12016390	2110938	आज दिनांक तक दावा नही किया गया	2110938	1892661	218277
4	गणेश कुमार डे (8 गाँव)	रायगढ़ (ग्रामीण)	04/2011 से 02/2013	6221998	5429238	80577	5509815	1011901	आज दिनांक तक दावा नही किया गया	1011901	901362	110539
5	राजेश कुमार यादव	घरघोड़ा	04/2011 से 05/2013	12608058	7921118	3543693	11464811	1992574	250357	2242931	1828964	413967
योग (अ)				**94946214**	**115825702**	**5949597**	**121775299**	**22061244**	**2395922**	**24457166**	**19860555**	**4596612**

ब. ओ एण्ड एम संभाग–II, रायगढ़												
1	उमा साव	कोंडातराई एवं पुसोर	04/2011 से 09/2012	17701798	12912036	84337	12996373	2169950	204807	2374757	1928251	446507
2	गंगाधर पटेल	कोंडातराई	04/2011 से 03/2013	3390521	2926733	0	2926733	552718	41366	594084	474051	120033
3	नरेन्द्र पंडा	कोंडातराई एवं पुसोर	04/2011 से 03/2013	8447424	6481909	0	8721588	1608614	137092	1745706	1387986	357720
4	मार्तण्ड पटेल	सरिया	12/2011 से 06/2013	11676344	14307638	0	14307638	2579754	328353	2908107	2320943	587164
5	राकेश नायक	बरमकेला	12/2011 से 06/2013	12561920	13999713	0	13999713	2578422	345776	2924198	2330410	593788
6	कुसुम कुमार पटेल	पुसोर	05/2012 से 06/2013	1075323	1033830	0	1033830	183267	0	183267	164204	19063
7	सुदामा ईजारदार	सरिया	05/2012 से 06/2013	2260230	1033830	0	1033830	183267	0	183267	164204	19063
योग (ब)				**57113560**	**52695689**	**84337**	**55019705**	**9855992**	**1057394**	**10913386**	**8770048**	**2143338**
महायोग (अ+ब)				**152059774**	**168521391**	**6033934**	**176795004**	**31917236**	**3453316**	**35370552**	**28630603**	**6739949**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

©
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

Email : agauchhattisgarh@cag.gov.in